₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

अक्टूबर 2022

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PL-55

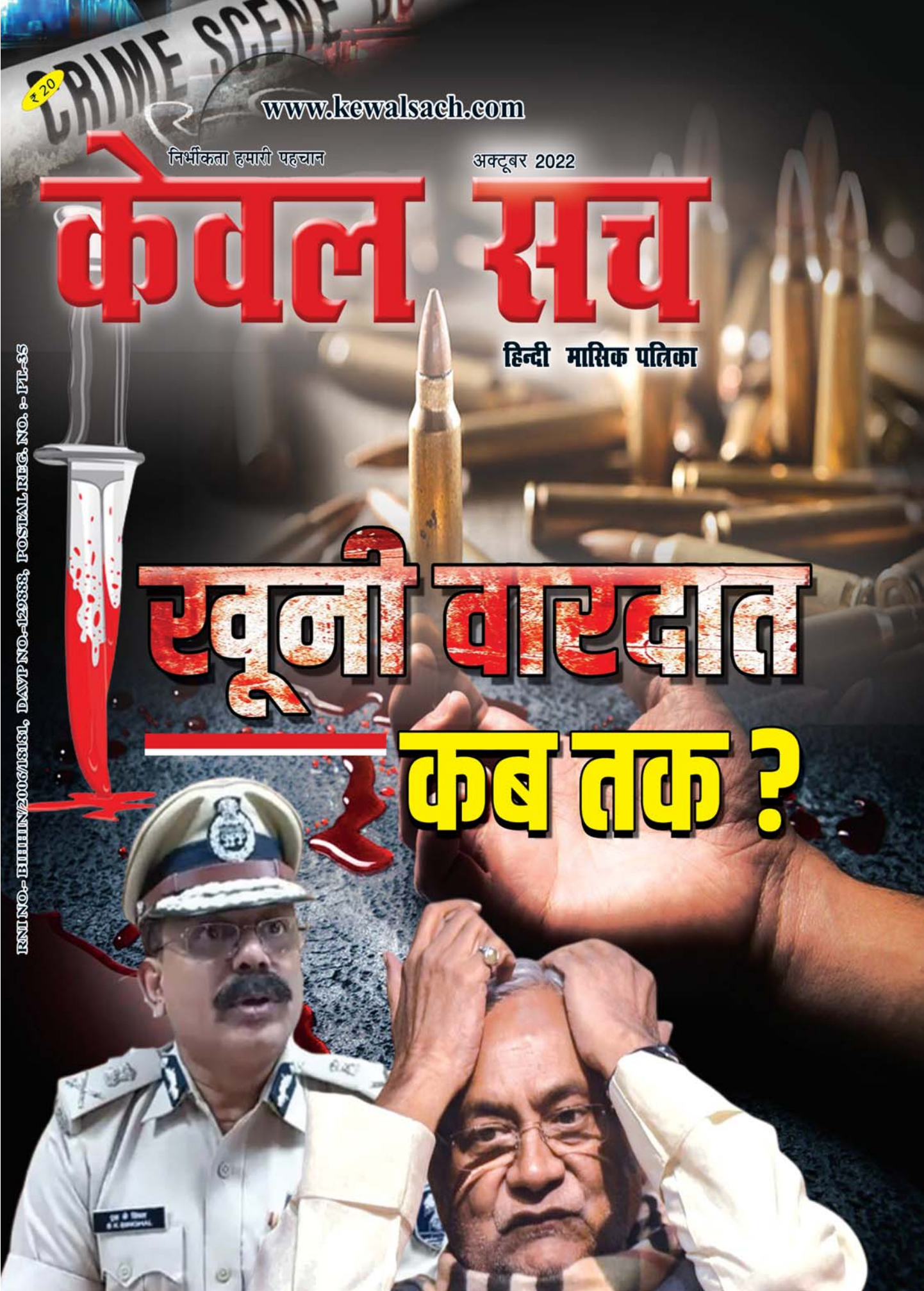

खूनी वारदात कब तक ?

जन-जन की आवाज है केवल सच

निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news
www.kewalsach.com
Kewalsach news
Mob.: 9431073769, 9308815605
खबर वहीं,
जो केवल सच हो

केवल सच TIMES
21 तक आने की संभावना नहीं: विज्ञान मंत्रालय

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM UPI
G Pay पे paytm

www.kewalsach.com
www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

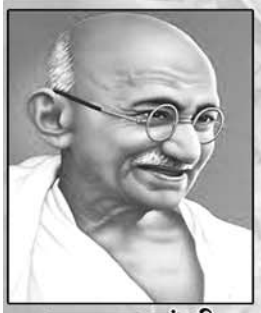

महात्मा गांधी
02 अक्टूबर 1869

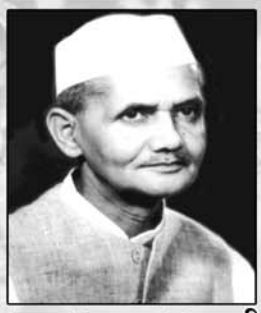

लाल बहादूर शास्त्री
02 अक्टूबर 1904

अभिजीत सावंत
07 अक्टूबर 1981

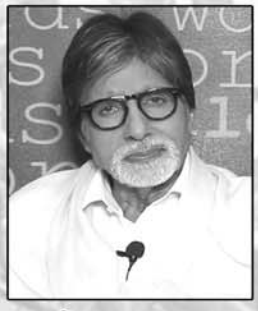

अमिताभ बच्चन
11 अक्टूबर 1942

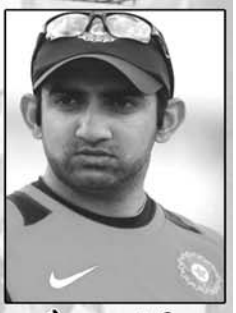

गौतम गंभीर
14 अक्टूबर 1981

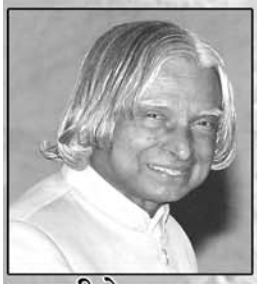

एपीजे कलाम
15 अक्टूबर 1931

नवीन पटनायक
16 अक्टूबर 1946

हेमा मालिनी
16 अक्टूबर 1948

अनिल कुंबले
17 अक्टूबर 1970

वृंदा करात
17 अक्टूबर 1947

सनी देवल
19 अक्टूबर 1956

नवजोत सिंह सिद्धू
20 अक्टूबर 1963

वीरेन्द्र सहवाग
20 अक्टूबर 1978

कादर खान
22 अक्टूबर 1932

परिनीति चोपड़ा
22 अक्टूबर 1988

सुनील भारती मित्तल
23 अक्टूबर 1957

प्रभाश राजू
23 अक्टूबर 1979

रवीना टंडन
26 अक्टूबर 1974

अनुराधा पौडवाल
27 अक्टूबर 1954

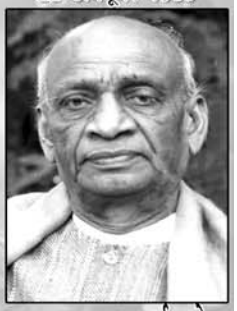

सरदार वल्लभभाई पटेल
31 अक्टूबर 1875

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi-834001 (Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:-
editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

Advertisement Rates Per Issue

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

बिहार में लालूराज

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

17 साल बाद 2022 में फिर से बिहार में लालूराज कायम हो चुका है। 1990 के दशक तो सबको याद ही होगा की 1990 से 2005 तक किस प्रकार बिहार में लालू-राबड़ी की सरकार चली। 32 साल पहले जब बिहार में कांग्रेस की सिंहासन से उखाड़ कर फेंकने वाले लालू यादव राजनीति के चाणक्य बनकर उभरे थे तथा गरीबों के बीच उनकी साख इतनी मजबूत थी कि वह जो चाहते और करते थे जिसकी वजह से यह कहावत काफी प्रचलित हुई की ''**दूध न दही, जो लालू जी बोले वही सही**''। कमजोर वर्ग एवं दबे-कुचले लोगों की आवाज बनकर अभी वह सुर्खियों में आना शुरू ही हुए थे कि लालू यादव चारा घोटाले का आरोप में फंस गये और मजबूरन उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। लालू यादव के पुराने मित्र रहे नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, सरयू राय ने राजनीतिक दृष्टिकोण से इस कदर पीछे पड़ गये कि किस प्रकार लालू यादव को राजनीति गलियारे से दूर रखा जाये लेकिन संयुक्त बिहार में श्री यादव की गहरी पैठ इतनी थी कि वह अपनी पत्नी के सहारे 2005 तक सत्ता के सिंहासन पर बने रहे, भले ही विपक्ष पैर-हांथ पटकता रहा। बिहार ही नहीं केन्द्र में भी लालू के वर्चस्व के आगे किसी की नहीं चली और जब 2005 से 2022 तक सत्ता से बाहर रहने के बाद भी बिहार एवं झारखण्ड में लालू की राजनीतिक कद बरकरार रहा जबकि वह लगातार कभी जेल तो कभी बेल में वह एनडीए का विरोध करते रहे और अपने पुत्र तेजस्वी यादव को चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल कर राजनीति में शीर्ष पर पहुंचा जाये उसमें कारगर बना चुके हैं और यही कारण है कि बिहार में फिर से लालू का राज कायम हो गया है और नीतीश कुमार फिर से लालू यादव के प्रभाव में आ चुके हैं।

बिहार की राजनीति को समझना आसान काम नहीं है और वह भी तब जब लालू प्रसाद यादव सक्रिय हो जाएं। बिहार की राजनीति केंद्र की कूटनीति पर गहरा प्रभाव डालती है भले ही लोकसभा की महज 40 सीट ही है परंतु बिहार की जनता स्पष्ट जनादेश के मामले न सिर्फ बिहार बल्कि हिंदी पट्टी के राज्यों में काफी प्रभाव डालती है और यही प्रमुख कारण है कि कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने के बाद लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता का मिजाज को भांपते हुए ही राजनीति करते हैं। गरीबी से निकल कर हजारों करोड़ की संपत्ति का मामला हो या दबंग राजनीति का लालू यादव ने समय-समय पर देश प्रदेश की राजनीतिक दलों को औकात बताते रहे हैं। बिहार की राजनीति को अगर 1990 के दशक में लेकर चलें तो उस वक्त बिहार में लालू यादव के परिवार एवं ससुराल परिवार का कैसा वर्चस्व था यह बात मिथिला मोटर्स के साथ हुई कूटनीति से समझा जा सकता है। बिहार की राजनीति में लालू यादव को हासिये पर पहुंचाने वाले नीतीश कुमार हो या फिर वामपंथी दल कोई अवसर नहीं छोड़ते और लालू राबड़ी सरकार को हर मोर्चे पर घेरते थे तथा 1990 से लेकर 2005 नवंबर तक बिहार की राजनीति से उखाड़ फेंकना बहुत ही कठिन कार्य था और बहुत ही चतुराई के साथ-साथ चुनाव आयोग की सक्रियता के साथ बिहार की जनता के मन से भय से निकलकर वोट करने की क्षमता को विकसित करना आसान नहीं था क्योंकि लालूराज का प्रभाव इतना था कि उनके तमाम गलत कार्य के बाद भी जनता के दिल में खास स्थान था और सूबे में माय समीकरण का मुकाबला करना कितना चुनौतीपूर्ण था, यह तो नीतीश कुमार से बेहतर कौन समझ सकता है। लालू यादव ने भले बिहार से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके अपनी जगह बनाई लेकिन कुछ दशक बाद बिहार में कांग्रेस का गिरता वजूद और केन्द्र में मिटता अस्तित्व को बचाये रखने के लिए खुलकर कांग्रेस का साथ भी दिया। लालू राज का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि वह सत्ता से बाहर रहने के बाद भी बिहार में 2005 से 2022 तक राजनीतिक दृष्टिकोण से लाचार होने के बाद भी बिहार की राजनीति बगैर लालू यादव के नाम लिए पूरी हजम हुई तथा आज नीतीश कुमार ने मोदी से खुद का बड़ा कद बताने की कोशिश में लालूराज के सामने घुटने टेक चुके हैं और यह पहली बार नहीं हुआ बल्कि लालू यादव के नाम के सामने नीतीश कुमार हमेशा बौना हीं रहे और कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा का दामन थामकर लालूराज के खात्मे में लगे रहे परंतु होइहें वही जो लालू चाहें। अपने तेवर और भाजपा को सदैव आंख दिखाने का क्षमता रखने वाले लालू यादव को नेस्तनाबूद करने के लिए सभी प्रकार के राजनीतिक हथकंडे अपनाए गए लेकिन लालू यादव की किस्मत और राजनीति के सामने कभी भाजपा तो कभी जदयू ने घुटने टेक ही दिया है। भाजपा को भारत जलाओ पार्टी का नारा देने वाले लालू प्रसाद का साथ 2015 मे खुलकर मिला तो नीतीश कुमार ने भी भाजपा का बड़का झूठा पार्टी कहते नहीं थकते लेकिन लालूराज के कद के सामने खुद को बौना होता देख 2017 में बहुत आनन फानन में एनडीए में घर वापसी की लेकिन नीतीश कुमार को इस बात का भान तो था कि बिहार में लालूराज का खात्मा असंभव है क्योंकि बिहार की राजनीति में माय समीकरण का अपना खास प्रभाव है और इस वोट बैंक पर लालू यादव का हीं आज भी कब्जा है बल्कि 17 साल की राजनीति में लालूराज का परिवार का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है और उनके पुत्र और पुत्री राजनीति के मंझे हुए सूरमाओं को तगड़ा पलटवार भी कर रहे हैं। लालूराज का प्रभाव इससे भी समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तगड़ी जोड़ी के बाद भी लालू यादव का पुत्र तेजस्वी यादव ने **2020** के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू के जेल में रहने के बाद भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी की पहचान दिलाने में सफल रहे। लालू यादव बीमार रहने के बाद भी राजनीति की कूटनीति में सदैव सफल रहे और उनको कोई आंख दिखाकर बिहार में राजनीति नहीं कर सकता है का एहसास करा दिया है। 2010 मे विपक्ष के लायक भी नहीं बचा था लालू एवं राजद की राजनीति परंतु बहुत हीं चतुराई से महज 02 साल में ही ऐसी रणनीति बनाई की **17** साल पुराना भाजपा-जदयू के याराना चकनाचूर हो गया और **2015** में तो लालूराज की सत्ता में वापसी भी हो गयी। भ्रष्टाचार एवं अपराध के मामले को लेकर हमेशा न्यायालय का चक्कर लगाने वाला लालू परिवार के बगैर बिहार की पक्ष एवं विपक्ष की राजनीति चल ही नहीं सकती ऐसा ही गठजोड़ लालूराज में कायम हो चुका है। प्रधानमंत्री का सपना देख रहे नीतीश कुमार की राजनीति ने बिहार में एक बार फिर से लालू परिवार का वर्चस्व को स्थापित करने में अहम भूमिका निभा दी है और मोदी से बदले के भावना के कारण बिहार का वास्तविक विकास आज भी बाट ही जोह रहा है। **32** साल से बिहार में लालूराज है भले ही **17** साल सूबे का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे और **12** साल भाजपा के उप मुख्यमंत्री लेकिन पक्ष एवं विपक्ष में लालूराज की ही चर्चा होती रही है।

सितम्बर 2022

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

जीवीका

संपादक जी,

बिहार की बेटिओं का अस्मत लूटने वाला आज भी जीविका में शान के साथ वेतन उठा रहा है। सितम्बर 2022 अंक में जीविका में फैले भ्रष्टाचार एवं सेक्स की खबरों की बिना डरे प्रकाशित करने के लिए पत्रिका प्रबंधन एवं पत्रकार सागर कुमार बधाई के पात्र है। मुस्ताक अहमद का घिनौना सच पढ़कर मन में काफी आक्रोश है और गुस्सा इतना है की मुस्ताक सामने आ जाये तो उसका इंकाउंटर कर दूं। पत्रिका सिर्फ रंगीन पृष्ठों में प्रकाशित होने लगे तो केवल सच को मुकाबला करना दूसरो के लिए कठिन हो जायेगा।

✦ धर्मेन्द्र सिंह, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना

योगदान

ब्रजेश जी,

सितम्बर 2022 अंक में झारखण्ड के महापुरूषों के उपर काफी सटीक जानकारी भरा आलेख प्रकाशित किया गया है जो पठनीय, संग्रहनीय और प्रेरणादायक बनाया गया है। बाबा तिलका माँझी के विषय में काफी विस्तार से जानकारी इस अंक में दी गयी है और मुझे यह ज्ञात हुआ कि स्वाधीनता संग्राम के प्रथम नायक है। आदिवासी समाज के महानायक के रूप में ख्याति रखने वाले बाबा तिलका माँझी को बहुत ज्यादा एक्सपोजर नही मिला। यह अंक वास्तव में केवल सच पत्रिका को सम्मान में वृद्धि करेगा।

✦महेश गुप्ता, हरमू हाउसिंग कॉलोनी राँची

पटाक्षेप

मिश्रा जी,

मैं केवल सच, पत्रिका का नियमित पाठक हूँ सितम्बर 2022 अंक में शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला की खबर ''पट्टे पर पटाक्षेप'' में बालू के वर्चस्व पर दमदार खबर को पाठकों के बीच रखा है कि किस प्रकार राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। सरकार एवं प्रशासन की तमाम कोशिश के बाद भी बालू माफियाओं का कहर जारी है और सरकार को खुली चुनौती दे रहा है। केवल सच पत्रिका कोई भी खबर को पूर्ण बेबाकी के साथ और तथ्यों के साथ कोई भी खबर को लिखता है। केवल सच की निडरता ही इसकी साख को बढ़ा रही है।

✦ मनोज साव, इटखोरी बाजार, चतरा

धर्मसंकट में राजनीति

मिश्रा जी,

सितम्बर 2022 अंक को विशेषांक में बहुत ज्ञानवर्द्धक एवं जानकारीप्रद खबरों को पढ़ा जिससे झारखण्ड के विभूतियों को समझ सका। आपका इस अंक का संपादकीय ''**धर्मसंकट में है राजनीति**'' भी काफी रोचक लगा। राजनीति के लिए किसी प्रकार धर्म का खेल सत्ता के लिए संचालित हो रहा है के विषय का काफी बेहतरीन ढ़ंग से समझाने की कोशिश की गयी है। राजनीति का अपना धर्म होता है और धर्म की अपनी राजनीति लेकिन नेताओं ने इसको अपने सुविधानुसार बना दिया है। आपका संपादकीय मैं कई बार पढ़ता हूं मुझे इतना अच्छा लगता है।

✦ नारायण मिश्र, टावर चौक, गया

एक पर एक

संपादक जी,

वैसे तो झारखण्ड के सभी लोगों की खबर मुझे बहुत सही लगी लेकिन गंगा नारायण सिंह, बुद्ध,भगत ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, सखाराम गणेश देउस्कर, तेलंगा खड़िया की खबर को पहली बार पढ़ा था। संक्षिप्त ही सही लेकिन सभी योद्धाओं की जानकारी को एक पत्रिका में समेटकर आपने प्रतियोगी छात्रों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की है। पूरी पत्रिका की खबर एक से बढ़कर एक है। नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार पर भी इस अंक में विशेष फोकस किया गया है। इस प्रकार की पत्रिका और ऐसी खबर से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।

✦ परमेश्वर उरांव, सेक्टर-6 बोकारो

जैक और स्लीपर

संपादक जी,

केवल सच पत्रिका का मैं वर्षो पुराना पाठक हूं और यह लगातार महसूस कर रहा हूं कि केवल सच नीतीश कुमार से जुड़ी खबरों को खोज-खोजकर प्रकाशित करता है। सितम्बर 2022 अंक में ''**जैक और स्लीपर घोटाला**'' में पत्रकार शशि रंजन सिंह और राजीव शुक्ला गड़े मुर्दे को एकबार फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में इस खबर में पत्रकारों ने बहुत परिश्रम किया है और एक एक तथ्य की सटीक जानकारी दी है। बहुत दमदार खबर है और इसपर सर्तकता के साथ पत्रकार को रहना चाहिए।

✦ कौशल सहाय, सेन्ट्रल रेवन्यु, कोलकात्ता

अन्दर के पन्नों में

10

32

समाजवाद का एक युग खत्म.....71

78

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 17,	अंक:- 197,	माह:- अक्टूबर 2022,	मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

स्व० गोपाल मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका 7782053204
सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917
सुरजीत तिवारी 9431222619
ललन कुमार प्रसाद 9334107607

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350
अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154
मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819
रीता सिंह 7004100454, 9308729879

उपसंपादक

अरबिन्द मिश्रा 9934227532, 9576438501
प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186
ब्रजेश सहाय 7488696914
ललन कुमार 9430243587, 9334813587
आलोक कुमार सिंह 8409746883

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

amit.kewalsach@gmail.com

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565
कृष्ण कुमार सिंह 6209194719, 7909077239
काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829
प्रदीप कुमार सिन्हा 9472589853, 6204674225

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179
मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833
नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994
रामपाल प्रसाद वर्मा 9939086809, 7079501106

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203
बिनय भूषण झा 9473035808, 8229070426.

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485
रवि कुमार पाण्डेय 9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

आनन्द प्रकाश 9508451204, 8409462970
कुमार सौरभ 7004381748, 9102366629
गगन कुमार मिश्र 8210810032, 9835585560

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०):- श्रीधर पाण्डेय 09470709185
(म०):-
(ग्रा०) :-
बाढ़ :-
भोजपुर :- गुड्डू कुमार सिंह 8789291547
बक्सर :- बिन्ध्याचल सिंह 8935909034
कैमूर :-
रोहतास :- अशोक कुमार सिंह 7739706506
:-
गया (श०) :- सुमित कुमार मिश्र 7667482916
(ग्रा०) :-
औरंगाबाद :-
जहानाबाद :- नवीन कुमार रौशन 9934039939
अरवल :- संतोष कुमार मिश्रा 9934248543
नालन्दा :-
:-
नवादा :- अमित कुमार 9934706928
:-
मुंगेर :-
लखीसराय :-
शेखपुरा :-
बेगूसराय :- निलेश कुमार 9113384406
:-
खगड़िया :-
समस्तीपुर :-
जमुई :- अजय कुमार 09430030594
वैशाली :-
:-
छपरा :-
सिवान :-
:-
गोपालगंज :-
:-
मुजफ्फरपुर :- .
:-
सीतामढ़ी :-
शिवहर :-
बेतिया :- रवि रंजन मिश्रा 9801447649
बगहा :-
मोतिहारी :-
दरभंगा :-
:-
मधुबनी :- सुरेश प्रसाद गुप्ता 9939817141
:-
सहरसा :-
मधेपुरा :-
सुपौल :-
किशनगंज :-
:-
अररिया :- अब्दुल कय्यूम 9934276870
पूर्णिया :-
कटिहार :-
भागलपुर, :-
(ग्रा०):- रवि पाण्डेय 7033040570
नवगछिया :-

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
नियर- न्यू छोटानागपुर स्कूल
बरियातु रोड, राँची- 834001
....., स्टेट हेड
मो०- 6206889040, 9431073769

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, ditor.kstimes@rediffmail.com kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

ब्रजेश कुमार मिश्र 9431950636, 9631490205

उप संपादक

अजय कुमार 6203723995

.....

झारखण्ड सहायक संपादक

ब्रजेश मिश्रा 7654122344, 7979769647

अभिजीत दीप 7004274675, 9430192929

संयुक्त संपादक

.....
.....
.....
.....
.....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची	:- अभिषेक मिश्र	09431732481
साहेबगंज	:- अनंत मोहन यादव	09546624444
खूँटी	:-	
जमशेदपुर	:-	
हजारीबाग	:-	
जामताड़ा	:-	
दुमका	:-	
देवघर	:-	
धनबाद	:-	
बोकारो	:-	
रामगढ़	:-	
चाईबासा	:-	
कोडरमा	:-	
गिरीडीह	:-	
चतरा	:-	
लातेहार	:- रविकांत पासवान	09801637947
गोड्डा	:-	
गुमला	:-	
पलामू	:-	
गढ़वा	:-	
पाकुड़	:-	
सरायकेला	:-	
सिमडेगा	:-	
लोहरदगा	:-	

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी
'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''
9060148110
sudhir4s14@gmail.com

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C
08877663300

देवब्रत्त कुमार गणेश

मुख्य संरक्षक सह भावी प्रत्याशी, 53 ठाकुरगंज विधानसभा
'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''
8986196502/9304877184
devbartkumar15@gmail.com

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सागर कुमार	9155378519, 8863014673
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
रामउदय यादव	8862858305, 9709409232
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
लक्ष्मी नारायण सिंह	9204090774
मणिभूषण तिवारी	9693498852
राजीव रंजन	9431657626
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
अनु कुमारी	9471715038, 7542026482
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
रंजीत कुमार सिन्हा	9931783240, 7033394824
विनित कुमार	8210591866, 8969722700
कुणाल कुमार सिंह	9988447877, 9472213899

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा कुमार	9608084774, 9835829947

ट्रिपल टेस्ट के बिना संभव नहीं है चुनाव

● **शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला**

बिहार नगरपालिका चुनाव 2022, बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग अधिसूचना संख्या 10/ न0वि0 निर्वाचन-09/2022/2731 2012 2731 न0 वि0आ0, पटना, दिनांक-09/09/2022 से शुरू होकर पटना उच्च न्यायालय के सी डब्ल्यू जे सी नंबर -12514 /2022 में सुनील कुमार एवं अन्य वर्सेस बिहार सरकार और सचिव निर्वाचन आयोग बिहार के मामले में 04/10/2022 के दिए, आदेश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पत्रांक संख्या - न0वि0 -50-128/222- 4585 दिनांक - 04/10/2022 से स्थगित हो गया है।

बिहार में नगरपालिका / नगर निगम का चुनाव बिहार नगर पालिका निर्वाचन अधिनियम 2007 और बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के आलोक में हो रहा था। बिहार नगर पालिका चुनाव 2022 बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के आलोक में मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद अर्थात मेयर/ उप मेयर के सीधे चुनाव के कारण कुछ ज्यादा ही रोचक हो गया था। बड़े राजनीतिक दलों की स्थिति और असामान्य हो गई थी ऐसे तो यह चुनाव के गैरदलीय था, लेकिन कई जगहों पर राजनीतिक दलों द्वारा मेयर /उप मेयर मेयर के प्रत्याशी या तो घोषित कर दिए या राजनीतिक दल वहां उहापोह स्थिति में थे मतलब राजनीतिक दलों के सामने "बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा" वाली स्थिति हो गई थी।

दीपक प्रसाद
निर्वाचन आयुक्त

बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के नियम (30) में नगर पालिकाओं के आरक्षण हेतु स्थानों का निर्धारण करना है, तथा नियम 31 में आरक्षण शर्तों के आधार पर वार्ड तथा मेयर/उप मेयर पद पर आरक्षण का निर्धारण करना है। नियम 35 के अनुसार एकल पद की स्थिति में कोई आरक्षण नहीं होगा, नियम 34 के अनुसार वार्ड नगर पालिकाओं का चकरानुक्रम से आरक्षण लागू होगा। नगर पालिकाओं के आरक्षण में नियम 34 तथा 35 का पालन नहीं किया गया था ,यहां तक कि स्थानीय दबंग नेता/अधिकारी मिलकर आरक्षित या अनारक्षित वार्ड अपने सुविधाअनुसार अधिकारियों को आर्थिक लोभ देकर पूरा कर रहे थे। नगर पालिका चुनाव 2022 में मुख्य पार्षद/ उप मुख्य पार्षद और मेयर/उप मेयर के लिए

आरक्षण तैयार करने वाले अधिकारी या तो शराब के नशे में थे या सत्ता के नशे में मुख्य पार्षद/ उप मुख्य पार्षद और मेयर/उप मेयर दोनों ही एक ही वर्ग के आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई थी ,उदाहरण स्वरूप दरभंगा का मेयर की सीट सामान्य महिला और उप मेयर की सीट भी सामान्य महिला ,इसी तरह नगर पंचायत गया वजीरगंज के मुख्य पार्षद की सीट भी अनुसूचित जाति और उप मुख्य पार्षद की सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई थीप् राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की इतनी जल्दबाजी थी कि बिहार नगर पालिका निर्वाचन अधिनियम 2007 के नियम (34) के आलोक में आरक्षण का चकराअनुक्रम भी लागू नहीं किया गया था।

भारतीय संविधान की अनुसूची 243 में पंचायत/नगर पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पंचायत या नगर पंचायत के आरक्षण का प्रावधान करने से पहले जातियों की आबादी उसकी शैक्षणिक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना आवश्यक है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के नियम 35 में कहा गया है कि जनसंख्या बराबर रहने की स्थिति में संख्या क्रम में पहले आने वाले निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कोटि को आवंटित किया जाएगा, नियम 32 में वार्ड नगरपालिका की संख्या का निर्धारण एक समूह मानकर किया जाएगा। बिहार में कुल नगर पालिका की संख्या 248 है, जिसमें 224 पर निर्वाचन हो रहा था जिसमें नगर निगम 17, नगर परिषद 70 और नगर पंचायत की संख्या 137 है अर्थात कुल 224 निकायों पर चुनाव हो रहा था, इन 224 नगर इकाइयों में एक करोड़, 1452759 मतदाताओं को उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करना था, यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न होना था।

बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम से चुनाव को जोड़ें तो यह पूरी चुनावी प्रक्रिया ही संदेहास्पद लगती है, जब बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार थी तब यह चुनाव टाला जा रहा था ,लेकिन वर्तमान सरकार जो राजद और जदयू की बनी है वह आनन-फानन में उच्चतम न्यायालय के आदेश की अनदेखी करते हुए

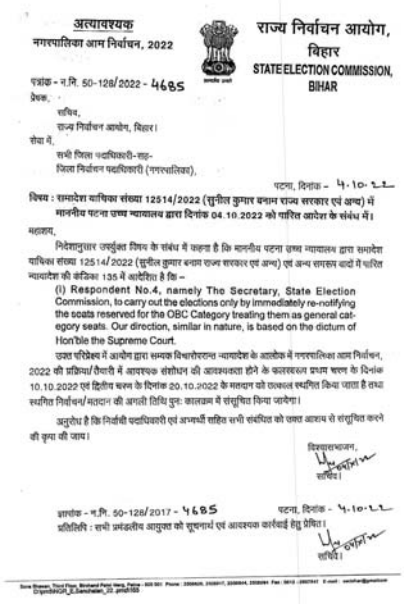

अत्यावश्यक
नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्रांक - न.नि. 50-128/2022 - 4685

प्रेषक,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका),

पटना, दिनांक - 4.10.22

विषय : समादेश याचिका संख्या 12514/2022 (सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2022 को पारित आदेश के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या 12514/2022 (सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) एवं अन्य समरूप वादों में पारित न्यायादेश की कंडिका 135 में आदेशित है कि -

(i) Respondent No.4, namely The Secretary, State Election Commission, to carry out the elections only by immediately re-notifying the seats reserved for the OBC Category treating them as general category seats. Our direction, similar in nature, is based on the dictum of Hon'ble the Supreme Court.

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा समक्ष विभारोरक्त न्यायादेश के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की प्रक्रिया/तैयारी में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता होने के फलस्वरूप प्रथम चरण के दिनांक 10.10.2022 एवं द्वितीय चरण के दिनांक 20.10.2022 के मतदान को तत्काल स्थगित किया जाता है तथा स्थगित निर्वाचन/मतदान की अगली तिथि पुनः कालक्रम में संसूचित किया जायेगा।

अनुरोध है कि निर्वाची पदाधिकारी एवं अभ्यर्थी सहित सभी संबंधित को उक्त आशय से संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-128/2017 - 4685 पटना, दिनांक - 4.10.22
प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
सचिव।

चुनाव की घोषणा कर दी गई। देखा जाए तो पटना उच्च न्यायालय के केस सीडब्ल्यूजेसी नंबर-12514/2022 के मुख्य वादी सुनील कुमार पिछड़ा वर्ग /ओबीसी समाज से आते हैं और यादव जाति से आते हैं। आज चाहे अनचाहे बिहार की राजनीति में जाति हावी हो गई हैप् नई सरकार के मुख्य साथी राजद का मुख्य वोट बैंक ही यादव जाती है जो कि ओबीसी वर्ग से आता है, इसलिए राजद के बड़े नेता यहां तक कि उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव इस पर खुलकर बोल नहीं पाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो सिर्फ गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। अगर सरकार उच्चतम न्यायालय जाती है तो चुनाव लंबा चल सकता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय की रिट पिटीशन नंबर-980/2019 के आलोक में ही पटना उच्च न्यायालय ने आदेश सुनाया है तो संभव है कि बिहार सरकार को उच्चतम न्यायालय में मुंह की खानी पड़े और अंततः ट्रिपल टेस्ट को तैयार होना पड़े, कानूनी प्रक्रिया में 6 महीने का वक्त लग सकता है, उसके बाद सरकार आयोग का गठन कर ट्रिपल तथा ओबीसी जातियों का राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर आयोग द्वारा दिए गए रिपोर्ट पर चुनाव होने की संभावना है, इसमें भी अड़चन पड़ने की संभावना है," हो भी गया तो "न्यायालय और आयोग की रिपोर्ट में 12 से 14 महीने का समय कम से कम लगता है, उसके बाद 2024 में लोकसभा और 2025 में विधानसभा चुनाव है कोई भी सरकार इस बीच नगर इकाई का चुनाव कराने का रिक्स कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं ले सकती है। चुनाव कब होगा यह बताना किसी के लिए संभव नहीं होगा।

पटना उच्च न्यायालय ने सुनील कुमार और अन्य बनाम बिहार सरकार में आदेश सुनाते हुए सरकार को यह निर्देश दिया :- 134. इस प्रकार, हम मानते हैं कि -

☞ बिहार नगर अधिनियम, 2007 (2007 के अधिनियम संख्या 11) के तहत शासित बिहार राज्य के सभी नगर निकायों के चुनाव के लिए ओबीसी/ईबीसी श्रेणी के लिए सीटों को आरक्षित करने में सरकार और चुनाव आयोग की कार्रवाई), सुनील कुमार 1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उक्ति का अनुपालन किए बिना; के कृष्ण मूर्ति 2; विकास किशनराव गवाली3; सुरेश महाजन4; राहुल रमेश वाघ 5; मनमोहन नगर6 का अवैध होना।

☞ उप महापौर/उप पार्षद या इसी तरह के पदों के लिए सीटों का वैधानिक आरक्षण कानून में अनुमत है।

✯ हम निर्देशित करते हैं-

☞ प्रतिवादी संख्या 4, अर्थात् सचिव, राज्य चुनाव आयोग, ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में मानते हुए तुरंत फिर से अधिसूचित करके चुनाव कराने के लिए। हमारा निर्देश, प्रकृति में समान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित है।

☞ अनुच्छेद 32 में संदर्भित आक्षेपित अधि सूचनाएं/परिपत्र पूर्वोक्त सीमा तक संशोधित माने जाएंगे।

☞ चुनाव आयोग एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में अपने कामकाज की समीक्षा करेगा, जो बिहार सरकार के निर्देशों से बाध्य नहीं है।

☞ बिहार राज्य स्थानीय निकायों, शहरी या

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.12514 of 2022

Sunil Kumar Son of Shyam Nandan Rai, Resident of Paharpur, Police Colony, Saheb Ka Ghar, P.S. - Anisabad, District- Patna.

... ... Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through the Chief Secretary, Government of Bihar, Patna.
2. The Principal Secretary, Urban Development and Housing Department, Government of Bihar, Patna.
3. The Deputy Secretary, Urban Development and Housing Department, Government of Bihar, Patna.
4. The Secretary, State Election Commission, Sone Bhawan, Veer Chand Patel Marg, Patna.

... ... Respondent/s

with

Civil Writ Jurisdiction Case No. 13513 of 2022

Surendra Kumar Agrawal S/o Jagdish Chandra Agrawal Resident of Mohalla- Navratan Bazar, P.O. and P.S.- Sasaram, District- Rohtas at Sasaram.

... ... Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through the Chief Secretary, Government of Bihar, Patna.
2. The Additional Chief Secretary, Urban Development and Housing Department, Government of Bihar, Patna.
3. The State Election Commission, Sone Bhawan, Birchand Patel Path, Patna through the State Election Commissioner (Municipality).
4. The State Election Commissioner (Municipality), The State Election Commission, Sone Bhawan, Birchand Patel Path, Patna.
5. The Secretary, The State Election Commission, Sone Bhawan, Birchand Patel Path, Patna.
6. The Divisional Commissioner, Patna Division, Patna.
7. The District Magistrate-cum-District Election Officer (Municipality), Rohtas at Sasaram, District- Rohtas at Sasaram.

... ... Respondent/s

(ii) The impugned notifications/circulars referred to in paragraph 32 shall stand modified to the aforesaid extent.

(iii) The Election Commission shall review its functioning as an autonomous and independent body, not bound by the dictates of the Government of Bihar.

(iv) The State of Bihar may consider enacting a comprehensive legislation pertaining to reservations in elections to local bodies, urban or rural, to bring the State seamlessly in line with the directions issued by Hon'ble the Apex Court in **K. Krishna Murthy2; Sunil Kumar1; Vikas Kishanrao Gawali3; Suresh Mahajan4; Rahul Ramesh Waghs; Manmohan Nagar6.**

(v) Let a copy of this judgment be communicated to the Chief Secretary, Government of Bihar and the State Election Commissioner for taking all consequential action.

136. We place on record our appreciation for the assistance rendered to the Court by all the learned senior advocate(s)/advocate(s) appearing on behalf of the parties, Shri Amit Shrivastava, learned Senior Advocate, *Amicus*

Curiae, and with special reference to Ms. Shristhi, Advocate and Mr. Ravi Ranjan, Advocate, who are young at the Bar.

137. The petitions are allowed and disposed of in the aforesaid terms.

138. Interlocutory Application(s), if any, shall stand disposed of.

139. Shri Girish Pandey, learned counsel appearing for the State Election Commission, undertakes to communicate this judgment to the authority concerned immediately.

(Sanjay Karol, CJ)

S. Kumar, J. I agree.

(S. Kumar, J)

KCJha/PKP/Sujit

AFR/NAFR	AFR
CAV DATE	29.09.2022
Uploading Date	04.10.2022
Transmission Date	

ग्रामीण चुनावों में आरक्षण से संबंधित एक व्यापक कानून बनाने पर विचार कर सकता है, ताकि राज्य को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा के कृष्ण मूर्ति में जारी निर्देशों के अनुरूप लाया जा सके; सुनील कुमार 1; विकास किशनराव गवाली3; सुरेश महाजन 4; राहुल रमेश वाघ5; मनमोहन नगर6.

☞ इस फैसले की एक प्रति मुख्य सचिव, बिहार सरकार और राज्य चुनाव आयुक्त को सभी परिणामी कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाए।

☞ हम पक्षकारों की ओर से उपस्थित सभी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं/अधिवक्ताओं, श्री अमित श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, न्याय मित्र, और विशेष सुश्री सृष्टि, अधिवक्ता और श्री रवि रंजन, अधिवक्ता, जो बार में युवा हैं, के संदर्भ में।

☞ उपरोक्त शर्तों में याचिकाओं को अनुमति दी जाती है और उनका निपटारा किया जाता है।

☞ अंतर्वर्ती आवेदन (आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

☞ राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गिरीश पाण्डेय इस निर्णय की सूचना संबंधित प्राधिकारी को तत्काल देने का वचन देते हैं।

✯ ओबीसी और उसकी संवैधानिक स्थिति के लिए आरक्षण :-

☞ भारत के संविधान में भाग IX-A के सम्मिलन के साथ, संविधान 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से 1 जून, 1993 से 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, नागरिकों के बीच अधिक जवाबदेही' की प्रक्रिया और 'कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण' निर्वाचित स्थानीय निकायों की एक श्रेणीबद्ध संरचना की एक योजना शुरू की गई थी। एक अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र के लिए, एक नगर पालिका, चाहे वह एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत हो; छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद; और एक राज्य में बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए एक नगर निगम का गठन किया जाना आवश्यक था।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-10/न०वि०/निर्वाचन-09/2022 2731 /न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक- 09-09-2022

चूँकि राज्य के 72 नगरपालिकाओं यथा 11 नगर निगमों, 26 नगर परिषदों एवं 42 नगर पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है;

और चूँकि राज्य सरकार द्वारा नवगठित/उत्क्रमित/सीमा विस्तारित 152 नगरपालिकाओं, यथा 06 नगर निगमों, 44 नगर परिषदों एवं 95 नगर पंचायतों का गठन करने का निर्णय लिया गया है;

और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उन नगरपालिका के लिए चुनाव कराना आवश्यक हो गया है;

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 11, 2007) की धारा 441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 3497 दिनांक 31.08.2022 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में एतद् द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार संलग्न अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में दर्शाये गये जिलों में अवस्थित उस अनुसूची के स्तम्भ 3 में अंकित नगरपालिकाओं के पार्षदों, उप मुख्य पार्षदों एवं मुख्य पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान हेतु क्रमशः 10 अक्टूबर, 2022 एवं 20 अक्टूबर, 2022 की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदाताजन, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार पार्षदों, उप मुख्य पार्षदों एवं मुख्य पार्षदों को निर्वाचित करें :-

नगरपालिकाओं के निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों से संबंधित कार्यक्रम

क्रमांक	कार्य का विवरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण
1	निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 11 में सूचना का प्रकाशन की तिथि	10.09.2022	16.09.2022
2	नामांकन प्राप्त करने की तिथि	10.09.2022 से 19.09.2022 तक	16.09.2022 से 24.09.2022 तक
3	संवीक्षा की तिथि	20.09.2022 से 21.09.2022	25.09.2022 से 26.09.2022
4	अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि	22.09.2022 से 24.09.2022 तक	27.09.2022 से 29.09.2022
5	अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात् अंतिम रूप से अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं प्रतीक आवंटन	25.09.2022	30.09.2022
6	मतदान की तिथि	10.10.2022	20.10.2022
7	मतदान का समय	7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक	7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक
8	मतगणना की तिथि	12.10.2022	22.10.2022

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के उप सचिव।

1

REPORTABLE

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL ORIGINAL JURISDICTION

WRIT PETITION (CIVIL) NO. 980 OF 2019

VIKAS KISHANRAO GAWALI ...PETITIONER

VERSUS

STATE OF MAHARASHTRA & ORS. ...RESPONDENTS

WITH

WRIT PETITION (CIVIL) NO. 981 OF 2019

WRIT PETITION (CIVIL) NO. 1408 OF 2019

AND

WRIT PETITION (CIVIL) NO. 743 OF 2020

JUDGMENT

A.M. KHANWILKAR, J.

1. These writ petitions under Article 32 of the Constitution of India seek a declaration that Section 12(2)(c) of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961[1], is *ultra vires* the

1 for short, "the 1961 Act"

35

during the pendency of these writ petitions mentioning that the elections to the concerned local bodies were being held subject to the outcome of these writ petitions, are quashed and set aside to the extent of providing reservation of seats in the concerned local bodies for OBCs. As a consequence, follow up steps taken on the basis of such notifications including the declaration of results of the candidates against the reserved OBC seats in the concerned local bodies, are declared *non est* in law; and the seats are deemed to have been vacated forthwith prospectively by the concerned candidate(s) in terms of this judgment. The State Election Commission shall take immediate steps to announce elections in respect of such vacated seats, of the concerned local bodies, not later than two weeks from today, to be filled by general/open category candidates for the remainder term of the *Panchayat/Samitis*. Ordered accordingly.

The writ petitions are disposed of in the above terms. No order as to costs.

36

All pending applications also stand disposed of.

.....J.
(A.M. Khanwilkar)

.....J.
(Indu Malhotra)

.....J.
(Ajay Rastogi)

New Delhi;
March 04, 2021.

☞ इसी तरह के प्रभाव के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए संविधान 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत 24 अप्रैल, 1993 से अधिसूचित भारत के संविधान के भाग-IX को शामिल किया गया था।

☞ भाग-IX के अनुच्छेद 243-डी और भाग IX-A के अनुच्छेद 243-टी में निकायों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है-

(ए) अनुसूचित जाति

(बी) अनुसूचित जनजाति और

(सी) पिछड़े वर्ग के नागरिक।

☞ समाज में परंपरागत रूप से कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में योगदान करने के लिए निर्वाचित स्थानीय निकायों की संरचना में सामाजिक विविधता का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक संशोधन लाया गया था। जहाँ तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के पक्ष में सीटों के आरक्षण का संबंध है, यह इन श्रेणियों से संबंधित जनसंख्या के अनुपात और संबंधित क्षेत्र की कुल जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए।

☞ अनुच्छेद 243-डी (6) (भाग-IX) और 243-टी (6) (भाग-IX) दोनों राज्य विधायकों को 'पिछड़े वर्ग के नागरिकों' के पक्ष में अध्यक्ष सहित सीटें आरक्षित करने में सक्षम और सशक्त बनाते हैं।

☞ संविधान में पूर्वोक्त संशोधनों की वैधता को बरकरार रखते हुए, के कृष्ण मूर्ति 2 में, न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 243-डी और 243-टी स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों में आरक्षण के लिए एक अलग और स्वतंत्र संवैधानिक आधार बनाते हैं। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार तक पहुंच में सुधार के लिए तैयार की गई आरक्षण नीतियों की प्रकृति और उद्देश्य अलग और अलग हैं। आरक्षण के लाभों को प्रदान करने के लिए विकसित सिद्धांतों को आरक्षण के संदर्भ में पूर्व में आरक्षण के संदर्भ में 'यांत्रिक रूप से लागू' नहीं किया जा सकता है। इस मुद्दे पर, राय निम्नानुसार निकाली गई है :-

☞ विवादास्पद मुद्दों को संबोधित करने से पहले, निर्वाचित स्थानीय निकायों में आरक्षण के प्रावधानों के पीछे व्यापक विचारों की जांच करना आवश्यक है। सबसे पहले, हम श्री राजीव धवन के इस सुझाव से सहमत हैं कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) द्वारा उल्लेखित आरक्षण लाभ प्रदान करने के लिए जो सिद्धांत विकसित किए गए हैं, उन्हें अनुच्छेद 243 द्वारा सक्षम आरक्षण के संदर्भ में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। -डी और 243-टी। इस संबंध में हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि अनुच्छेद 243-डी और 243-टी स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों में आरक्षण के लिए एक अलग और स्वतंत्र संवैधानिक आधार बनाते हैं, जिसकी प्रकृति और उद्देश्य उच्च तक पहुंच में सुधार के लिए डिजाइन की गई आरक्षण नीतियों से अलग है। शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार, जैसा कि क्रमशः अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत विचार किया गया

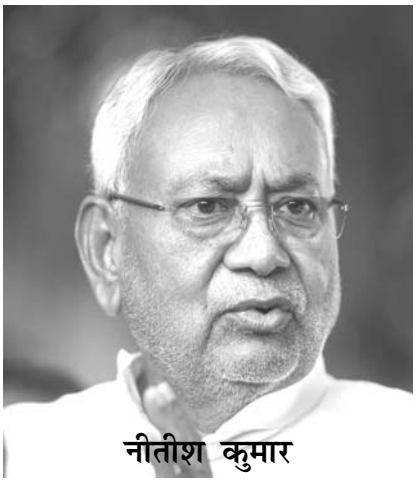
नीतीश कुमार

कर्पूरी ठाकुर

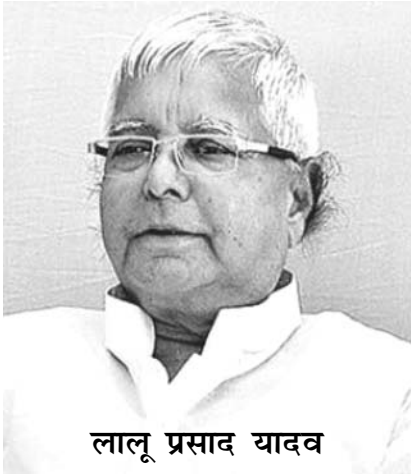
लालू प्रसाद यादव

है।'

☞ इसके अलावा, राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में, किसी भी स्तर पर संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाने की संभावना को निर्धारित करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड नहीं हो सकते हैं और इस तरह, रिपोर्ट के पैरा 54 में, यह देखा गया था कि : जब स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए समान अवसर पैदा करने की बात आती है, सामाजिक और आर्थिक अर्थों में पिछड़ापन वास्तव में आरक्षण लाभ प्रदान करने के मानदंडों में से एक हो सकता है।

☞ हालांकि, इसने स्पष्ट किया कि-

(ए) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ, शासन को सहभागी बनाना था; सहित; और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति जवाबदेह; (पैरा 58)

(बी) स्थानीय स्वशासन में आरक्षण का उद्देश्य पूरे समुदाय को सीधे तौर पर निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में लाभ पहुंचाना था; (पैरा 58)

(सी) इस प्रकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में क्रीमी लेयर को बाहर करने की दलील को नकारना; (पैरा 58)

(डी) राज्य विधानमंडल, अपने विवेक से, पिछड़े वर्गों के पक्ष में लाभ डिजाइन और प्रदान कर सकते हैं। (पैरा 58);

(ई) आरक्षण के उद्देश्य के लिए पिछड़े वर्गों की पहचान, एक कार्यकारी कार्य होने के नाते, समय-समय पर समीक्षा की जाने वाली ऐसी नीतियों के साथ पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों की कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए नियुक्त एक समर्पित आयोग द्वारा किया जाना आवश्यक था।

✯ बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का बिहार अधिनियम 6) :-

☞ नगर अधिनियम की संशोधित धारा 2(104), जो मूल रूप से 'बोर्ड ऑफ काउंसिलर्स' को नगरपालिका के निर्वाचित निकाय के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें धारा 12 के तहत या नगरपालिका के उप-चुनाव में आम चुनाव में चुने गए पार्षद शामिल होते हैं। इसमें मुख्य पार्षदों और उप मुख्य पार्षदों को बोर्ड के दायरे में शामिल करने और धारा 23 के तहत निर्वाचित होने के लिए संशोधित किया गया था।

☞ नगरपालिका अधिनियम की धारा 11 में संशोधन किया गया, जिसमें मूल रूप से यह प्रावधान था कि एक नगर पालिका में वार्डों की संख्या में पार्षद होंगे। अब इसे इस प्रभाव से बदल दिया गया है कि प्रत्येक नगर पालिका में एक निर्वाचित मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद होगा।

☞ धारा 12, जो नगरपालिका के संविधान और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए प्रत्येक नगरपालिका में कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करती है, को भी संशोधित किया गया है।

(क) उप-धारा (1) में, नगरपालिकाओं में सभी सीटों शब्दों को नगर पालिकाओं में पार्षदों की सभी सीटों शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया है।

(बी) उप-धारा (2) (ए) में, सदस्य की कुल सीटों शब्दों को 'पार्षदों की कुल सीटों' शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया है।

(ग) उप-धारा (2) (ए) और (बी) में, 'सीटों' शब्दों को 'काउंसलर की सीटों' शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया है।

(घ) उप-धारा (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है- 'नगरपालिका के प्रत्येक सदस्य को बैठक में मतदान करने का अधिकार होगा'।

तेजस्वी यादव

☞ अधिनियम की संशोधित धारा 29, जो राज्य में अध्यक्ष के पद की कुल सीटों के 50% से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए मुख्य पार्षद के कार्यालय के आरक्षण का प्रावधान करती है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए, और ओबीसी, मुख्य पार्षद के पद के अलावा, उप मुख्य पार्षद के पद को भी शामिल करने के लिए।

✯ इन याचिकाओं में आक्षेपित आदेश/अधिसूचनाएं :-

☞ कानूनी राय के आधार पर, सरकार ने संचार संख्या-850, दिनांक-01/04/2022 के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग को चुनाव आगे बढ़ाने का निर्देश दिया, क्योंकि अनुभवजन्य डेटा फॉर्म-7 के संदर्भ में एकत्र किया जा सकता है, (सीडब्ल्यूजेसी का पेज- 66 2022 का 12514)।

☞ ओबीसी/ईबीसी सहित सभी श्रेणियों के लिए नगर निगम के चुनाव के लिए उप मुख्य पार्षद के पद को सुरक्षित करते हुए राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी संचार संख्या 3732 दिनांक 8.09.2022 की अधिसूचना। (सीडब्ल्यूजेसी का पेज-55, 2022 का 14240)

☞ जिला मजिस्ट्रेट-सह-जिला चुनाव अधिकारी (नगर पालिका) द्वारा जारी संचार नंबर 3090 दिनांक 7.09.2022, जिसमें विभिन्न नगर

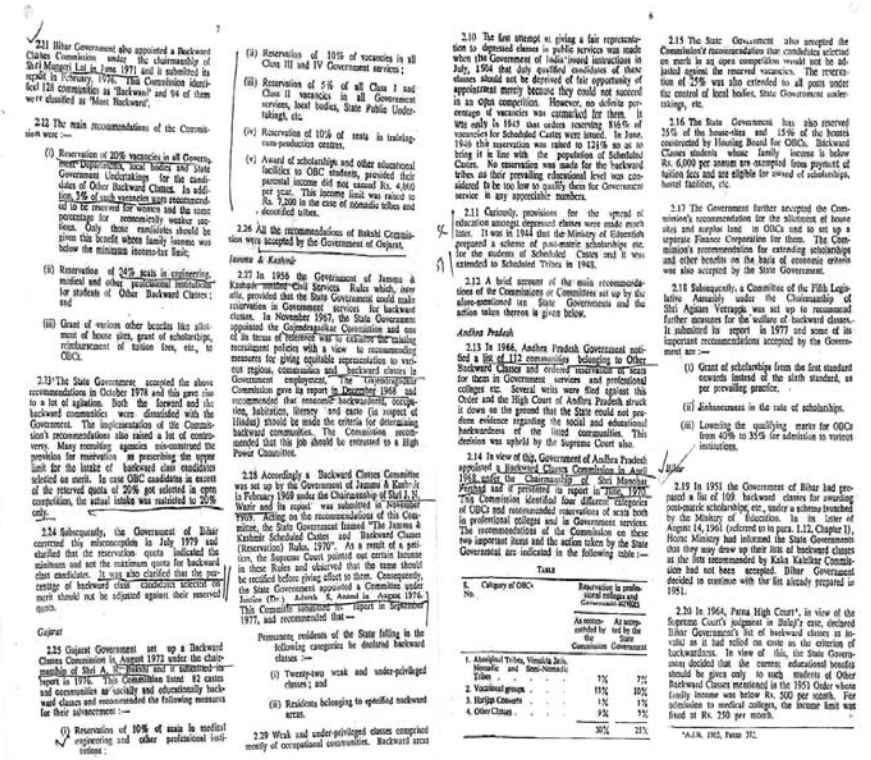

GOVERNMENT OF INDIA

REPORT

OF THE

BACKWARD CLASSES COMMISSION

First Part

Volumes I & II

1980

परिषदों (छह की संख्या में) में विभिन्न श्रेणियों के लिए विशिष्ट सीटों को आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है। (पृष्ठ- 2022 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 14193 का पृष्ठ)

☞ राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी संचार संख्या 3237 दिनांक 19.08.2022, सभी संभागीय आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेट-सह-जिला चुनाव अधिकारी (नगर पालिका) को आरक्षण प्रस्ताव (एसटी / एससी / बीसी / महिला) तैयार करने का आह्वान करता है। बिहार नगरपालिका चुनाव नियम, 2007 के अनुसार नगर पालिकाओं में से प्रत्येक में नगर पार्षद के पद के लिए, उसी आधार पर जैसा कि वर्ष 2017 में नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए किया गया था। . 2022 का 12514)

☞ राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3734 दिनांक 08.09.2022 बिहार के विभिन्न नगरपालिका क्षेत्रों में चुनाव के लिए उप मुख्य पार्षद पद के लिए सभी श्रेणियों का आरक्षण प्रदान करता है। (पृष्ठ- 2022 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 14249 का 40)

☞ राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3731 दिनांक 08.09.2022 बिहार के विभिन्न नगरपालिका क्षेत्रों में चुनाव के लिए मुख्य पार्षद के पद के लिए सभी श्रेणियों का आरक्षण प्रदान करता है। (पृष्ठ- 2022 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 14245 का 65)

☞ राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3733 दिनांक 08.09.2022 बिहार के विभिन्न नगरपालिका क्षेत्रों में चुनाव के लिए मुख्य पार्षद के पद के लिए सभी श्रेणियों का आरक्षण प्रदान करता है। (2022 के सीडब्ल्यूजेसी नंबर 14242 का पेज-19)

☞ शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2731 दिनांक 09.09.2022, बिहार राज्य के नगर निकायों में सभी पदों के लिए होने वाले चुनाव के लिए कार्यक्रम को अधिसूचित करता है। (सीडब्ल्यूजेसी नं. का पृष्ठ-116 2022 का 12514)

✯ **बिहार अधिनियम 3, 1992 :-**

☞ 1992 के अधिनियम संख्या 3/आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की जांच, हमारे विचार में, केवल सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य और उद्देश्य है।

☞ इसके अलावा, पिछड़ेपन को चित्रित करने का मानदंड-आर्थिक पिछड़ापन' है न कि 'राजनीतिक पिछड़ापन', जैसा कि उसमें परिभाषित अन्य पिछड़े वर्गों से स्पष्ट है। तत्काल संदर्भ के लिए, कानून के प्रासंगिक प्रावधान यहां दिए गए हैं :-

☞ 'अन्य पिछड़ा वर्गष का संदर्भ अत्यंत पिछड़े और पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं से होगा';

☞ अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्गष का अर्थ है और इसमें वे जातियां शामिल हैं जिनका उल्लेख कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया गया है। संकल्प संख्या 11/ए1-501/78-756/के, दिनांक 10 नवंबर, 1978 समय-समय पर संशोधित और इस अधिनियम की अनुसूची I और II में निर्दिष्ट और जिनके सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय आयकर सीमा से कम है;

☞ आर्थिक रूप से पिछड़े का अर्थ है और उन उम्मीदवारों को शामिल करें जिनके सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय आयकर सीमा से कम है।

☞ 'आर्थिक रूप से पिछड़ी महिला' का अर्थ है और इसमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जिनके सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय आयकर सीमा से कम है।

☞ मेरिट सूची का अर्थ है प्रारंभिक भर्ती या पदोन्नति के संबंध में नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों और आदेशों के अनुसार तैयार की गई योग्यता के क्रम में व्यवस्थित और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए उम्मीदवारों की सूची;

☞ राज्य में बिहार राज्य की सरकार, विधायिका और न्यायपालिका और राज्य के भीतर या राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) सं। 2019 का 980 विकास किशन राव गवाली याचिकाकर्ता बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले के आदेश के आलोक में पटना उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश में कहा गया है की 1961 के अधिनियम की धारा 12(2)(ब)

राजद की सरकार अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती है पूर्व में भी राजद सरकार के कार्यकाल में पटना उच्च न्यायालय के आरक्षण के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देकर पूरे कार्यकाल में चुनाव नहीं करवाया गया था।

संजय सरावगी
भाजपा विधायक, दरभंगा

की वैधता को चुनौती है नकारात्मक इसके बजाय, उस प्रावधान को इस अर्थ में पढ़ा जा रहा है कि संबंधित स्थानीय निकायों में ओबीसी के पक्ष में आरक्षण को इस हद तक अधिसूचित किया जा सकता है कि यह एससी/एसटी/ओबीसी के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के कुल 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है। साथ में। दूसरे शब्दों में, धारा 12(2)(सी) में आने वाले 27 प्रतिशत से पहले की अभिव्यक्ति होगा, हो सकता है के रूप में माना जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि ओबीसी के लिए आरक्षण 27 प्रतिशत तक हो सकता है, लेकिन इसके अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत की बाहरी सीमा, जैसा कि इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तथापि, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आक्षेपित अधिसूचनाएं/आदेश दिनांक 27.07.2018 और 14.02.2020 तथा इसी प्रकार की अन्य सभी अधिसूचनाएं इन रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, यह उल्लेख करते हुए कि संबंधित स्थानीय निकायों के चुनाव इन रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन हो रहे थे, को रद्द कर दिया जाता है और ओबीसी के लिए संबंधित स्थानीय निकायों में सीटों के आरक्षण की सीमा तक अलग रखा जाता है। परिणामस्वरूप, संबंधित स्थानीय निकायों में आरक्षित ओबीसी सीटों के खिलाफ उम्मीदवारों के परिणामों की घोषणा सहित ऐसी अधिसूचनाओं के आधार पर उठाए गए अनुवर्ती कदमों को गैर-कानूनी घोषित किया जाता है और इस निर्णय के अनुसार संबंधित उम्मीदवारों द्वारा सीटों को संभावित रूप से तत्काल खाली कर दिया गया माना जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत/समितियों की शेष अवधि के लिए सामान्य/खुली श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले संबंधित स्थानीय निकायों के रिक्त पदों के संबंध में चुनाव की घोषणा करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा, जो आज से दो सप्ताह के भीतर नहीं होगा।

संवैधानिक वैधता पर विचार किया है और निर्णय लिया है, याचिकाकर्ताओं या किसी भी पीड़ित पक्ष के लिए उक्त संवैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में अधिनियमित किसी भी राज्य के कानून को चुनौती देने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट। हमारा विचार है कि अनुच्छेद 243डी(6) और अनुच्छेद 243टी(6) के तहत 'पिछड़े वर्गों' की पहचान अनुच्छेद 15(4) के उद्देश्य से एसईबीसी की और पिछड़े वर्गों की पहचान से अलग होनी चाहिए।

✯ अनुच्छेद 16 (4) का उद्देश्य :-

☞ स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में 50% ऊर्ध्वाधर आरक्षण की ऊपरी सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में उनके प्रतिनिधित्व के मामले में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए ही अपवाद बनाए जा सकते हैं। (अ) अनुच्छेद 243डी(4) और 243 टी(4) द्वारा निर्धारित तरीके से अध्यक्ष पदों का आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है। ये अध्यक्ष पद सार्वजनिक रोजगार के संदर्भ में एकान्त पदों के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।

☞ रिपोर्ट किए गए निर्णय के विवरण को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, यह निम्नानुसार है कि ओबीसी के लिए आरक्षण केवल एक 'संवैधानिक' है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में 'संवैधानिक' आरक्षण के विपरीत राज्य के विधानों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यवस्था जो जनसंख्या के अनुपात से जुड़ी हुई है। ओबीसी के संबंध में सीटों के आरक्षण के लिए प्रदान करने वाले राज्य विधानों के संबंध में, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी के संबंध में कुल ऊर्ध्वाधर आरक्षण संबंधित स्थानीय निकायों में सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। मामले में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किया गया संवैधानिक आरक्षण संपूर्ण उपभोग करना था संबंधित स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत और अनुसूचित क्षेत्र में कुछ मामलों में 50 प्रतिशत से अधिक भी, ऐसे स्थानीय निकायों के संबंध में, ओबीसी को और आरक्षण प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसे अलग ढंग से कहने के लिए, ओबीसी के लिए आरक्षण की मात्रा स्थानीय निकाय विशिष्ट होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए कि यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के ऊर्ध्वाधर आरक्षण के 50 प्रतिशत (कुल) की मात्रात्मक सीमा से अधिक नहीं है। ☞ इस अनुल्लंघनीय मात्रात्मक सीमा के अलावा, राज्य प्राधिकरण इससे पहले अन्य पूर्व शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित करना। इसके लिए स्थापित एक स्वतंत्र समर्पित आयोग के माध्यम से संबंधित स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की समसामयिक कठोर अनुभवजन्य जांच करके आरक्षण के उद्देश्य के लिए पिछड़े वर्गों की पहचान करने में मदद कर सकने वाली पर्याप्त सामग्री या दस्तावेजों का मिलान करना सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उद्देश्य। इस प्रकार, राज्य विधान राज्य भर में स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए सीटों के आरक्षण की एक समान और कठोर मात्रा प्रदान नहीं कर सकते हैं,

सवर्ण मोर्चा किसी भी तरह के जातिगत आरक्षण विरोध करती है, लेकिन साथ ही मानना है कि अगर आरक्षण जरूरी है जो जिस परिवार को एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया उस परिवार को दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बिहार नगर पालिका निर्वाचन के मामले में सरकार पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को मानना चाहिए और अति पिछड़ा सीट को सामान्य सीट की अधिसूचना कर जल्द से जल्द निर्वाचन करवा लेनी चाहिए।

श्री संजीव सिंह
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा

वह भी इस तरह के आरक्षण की अनिवार्यता के बारे में एक स्वतंत्र आयोग द्वारा पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की उचित जांच के बिना। इसके अलावा, यह एक स्थिर व्यवस्था नहीं हो सकती। इसकी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि इस तरह के आरक्षण की अधिकता के सिद्धांत का उल्लंघन न हो (जो अपने आप में एक सापेक्ष अवधारणा है और गतिशील है)। इसके अलावा, इसे केवल उस सीमा तक सीमित किया जाना चाहिए जो आनुपातिक है और मात्रात्मक सीमा के भीतर है जैसा कि इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित किया गया है।

☞ विशेष रूप से, संविधान पीठ ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि अधिकांश राज्य विधानों के प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अनुभवजन्य आंकड़ों के संदर्भ में पिछड़े वर्गों की पहचान में खामियों को इंगित करके विशिष्ट चुनौतियों को उठाने के लिए स्वतंत्रता के साथ इसकी वैधता के प्रश्न को खुला छोड़ दिया। इसके अलावा, संविधान पीठ ने एक आशावादी आशा व्यक्त की कि संबंधित राज्यों को उक्त निर्णय के आलोक में स्थानीय स्वशासन में आरक्षण के संबंध में नीति निर्माण पर नए सिरे से विचार करना चाहिए, जबकि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी नीति ऊपरी सीमा का पालन करती है जिसमें संशोधन करना शामिल है। उनके विधान - ताकि ओबीसी के पक्ष में मौजूदा कोटा की मात्रा को कम किया जा सके और वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर इसे यथार्थवादी और मापने योग्य बनाया जा सके।

☞ इस विषय पर कानून की घोषणा और सभी राज्यों को जारी सामान्य टिप्पणियों और निर्देशों के बावजूद, महाराष्ट्र राज्य की विधायिका ने मौजूदा प्रावधानों पर फिर से विचार नहीं किया जो इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा घोषित कानून का उल्लंघन करते थे। वास्तव में, दो रिट याचिकाएं दायर की जाने लगीं बॉम्बे हाई कोर्ट में जिसमें महाराष्ट्र राज्य की ओर से गंभीर आश्वासन दिया गया था 6 डब्ल्यू.पी. (सिविल) 2016 की संख्या 6676 और डब्ल्यू.पी. (सिविल) 2018 की संख्या 5333 कि इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में आवश्यक सुधारात्मक उपाय सही तरीके से किए जाएंगे। हालांकि स्थिति जस की तस बनी रही।

☞ वास्तव में, कोई सामग्री सामने नहीं आ रही है कि किस आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण की मात्रा 27 को प्रति वर्ष निर्धारित की गई थी। प्रतिशत, जब इसे 1994 में संशोधन के माध्यम से डाला गया था। वास्तव में, जब 1994 में संशोधन किया गया था, तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों की सीमा तय करने के तौर-तरीकों के बारे में कोई दिशानिर्देश मौजूद नहीं था जैसा कि संविधान पीठ के निर्णय में उल्लेख किया गया था। के कृष्ण मूर्ति (सुप्रा) में। हालाँकि, उस निर्णय के बाद, यह था राज्य के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करना अनिवार्य पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की समसामयिक कठोर अनुभवजन्य जांच करना और उस आयोग की सिफारिशों के आधार पर मौजूदा वैधानिक व्यवस्था में संशोधन करने सहित अनुवर्ती कदम उठाना, जैसे कि 1961 के अधिनियम की धारा 12 (2) (सी) में संशोधन करना। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब तक इस तरह के एक समर्पित आयोग का गठन किया गया हो। दूसरी ओर, इस न्यायालय के समक्ष हलफनामे पर राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए रुख से पता चलता है कि इस तरह की अनुभवजन्य जांच करने के लिए आवश्यक जानकारी नहीं दी गई है। भारत संघ द्वारा इसके लिए उपलब्ध है। राज्य सरकार के उस रुख के आलोक में, यह अथाह है कि प्रतिवादी राज्य चुनाव आयोग द्वारा संबंधित स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए जारी अधिसूचना को कैसे सही ठहरा सकते हैं, जिसके संबंध में वर्ष दिसंबर में चुनाव हुए हैं। 2019/जनवरी 2020, किन अधिसूचनाओं को वर्तमान रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है। इस न्यायालय ने वर्तमान रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन चुनावों को आगे बढ़ने की अनुमति दी थी।

☞ जैसा भी हो, यह निर्विवाद है कि राज्य द्वारा पहले ट्रिपल टेस्ट/शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित करने का काम अब तक नहीं किया गया है। बुद्धि के लिए, (1) राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की समसामयिक कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना करना; (2) आयोग की सिफारिशों के आलोक में स्थानीय निकाय-वार प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना, ताकि अधिकता का भ्रम न हो; और (3) किसी भी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के कुल 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। किसी स्थानीय निकाय में, ओबीसी के पक्ष में ऐसा आरक्षण प्रदान करने के लिए स्थान चुनाव कार्यक्रम (अधिसूचनाएं) जारी करते समय उपलब्ध हो सकता है। हालाँकि, यह केवल उपरोक्त पूर्व शर्त को पूरा करने पर ही अधिसूचित किया जा सकता है। बेशक, कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए समर्पित आयोग की स्थापना का पहला कदम अपने आप में एक मृगतृष्णा है। इसे अलग तरीके से कहें तो उत्तरदाताओं के लिए यह खुला नहीं होगा कि वे ऊपर बताए गए ट्रिपल टेस्ट को पूरा किए बिना ओबीसी के लिए आरक्षण को न सही ठहराएं।

बिहार नगर पालिका निर्वाचन 2007 में दिए गए आरक्षण के नियमों का पालन नहीं कर साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर चुनाव का घोषणा प्रत्याशियों और जनता के साथ घोर अन्याय है, साथ ही उन्होंने एकल पद पर आरक्षण को संविधान के अनुसार गलत और न्याय संगत नहीं होना बताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार जैसे गरीब राज्य के जनता करोड़ों रुपैया चुनावी तैयारी में बर्बाद करने के लिए जवाब दे हमारा लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए।

श्रीमती विनीता बिट्टू सिंह
पटना के चर्चित मेयर पद के प्रत्याशी

पिछड़े वर्ग के अंदर पिछड़ गई जातियों का पता लगाने के लिए अक्टूबर 2017 में गठित रोहिणी आयोग के विस्तारित कार्यकाल को एक बार फिर बढ़ा दिया गया। उसका कार्यकाल इसी 31 जनवरी को खत्म हो रहा था। इस आयोग के कार्यकाल को बार-बार बढ़ाए जाने से उन वर्गों का निराश होना स्वाभाविक है, जो आरक्षण के भीतर आरक्षण को अपने लिए लाभदायक मान रहे हैं। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने भी आरक्षण के भीतर आरक्षण को सही ठहराया है। उसका कहना था कि आरक्षण का लाभ सभी तक समान रूप से पहुंचाने के लिए राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्गीकरण कर सकती हैं। उसके अनुसार बदलती सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सामाजिक बदलाव के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसने यह भी कहा था कि राज्य आरक्षण देते समय अनुच्छेद 14, 15 और 16 की अवधारणा के आधार पर सूची में दी गई अनुसूचित जातियों में तर्कसंगत उप वर्गीकरण भी कर सकते हैं। दरअसल अनुसूचित जातियों में

सरकार को उच्चतम न्यायालय का आदेश का पालन पहले ही कर लेना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय का यह आदेश उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में आया है इसलिए बिहार सरकार को सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाकर आयोग बनाकर जातियों का राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक अर्थात ट्रिपल टेस्ट सर्वेक्षण करवा कर ही चुनाव करवाना चाहिए।

श्री राजीव कुमार सिंह
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना
सचिव, लॉयर एशोसियेशन,
पटना उच्च न्यायालय, पटना
सदस्य, बार काउंसिल बिहार, पटना

राजीव कुमार सिंह

कुछ अभी भी बहुत पिछड़ी हुई हैं, जबकि कुछ जातियां बहुत आगे बढ़ गई हैं। कई राज्यों ने इसके लिए विशेष कोटा लागू कर इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार ने पिछड़े दलितों के लिए कोटा के अंदर कोटा दिया है। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा महादलित आयोग बनाकर कोटा के अलावा कई अन्य सुविधाओं की भी घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश में भी जस्टिस रामचंद्र राजू की सिफारिशों के बाद विधानसभा से कोटे के अंदर वर्गीकरण का प्रस्ताव पास कर लगभग 57 अति दलित जातियों को अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराई गई है।

✯ आजादी से पहले ही हो गई थी नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत :- वास्तव में आजादी से पहले ही नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत कर दी गई थी। आजादी के बाद प्रेसिडेंसी रीजन और रियासतों के एक बड़े हिस्से में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहूजी महाराज ने 1901 में पिछड़े वर्ग की गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उन्हें हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण देना शुरू किया था। भारत में कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला यह पहला सरकारी आदेश है । सामाजिक समता के लिए संघर्षरत समूह शाहूजी महाराज को सामाजिक न्याय के प्रथम महापुरुष के रूप में स्मरण करते हैं। 1901 में ही मद्रास प्रेसिडेंसी के सरकारी आदेश के तहत कमजोर वर्गों के लिए 44 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1942 में डॉ. भीमराव आंबेडकर ने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग उठाई थी।

✯ स्वतंत्र भारत में एससी और एसटी के लिए 15 और 7.5 फीसदी आरक्षण का प्राविधान किया गया :- स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान किया गया, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और संघर्ष भी। सर्वप्रथम 1953 में काका कालेलकर आयोग बना। उसने पिछड़ी जातियों का चार मानकों (सामाजिक सोपान, शैक्षणिक आधार, सरकारी नौकरियां और कारोबार) पर वर्गीकरण किया, लेकिन उनकी सभी सिफारिशें सरकारी दस्तावेजों में धूल चाटती रहीं। समाजवादी विचारक डॉ. राममनोहर लोहिया जब गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के प्रयोग में लगे थे तब उन्होंने समाजवादी पार्टी के मंच से पहली बार पिछड़ों के आरक्षण की जोरदार वकालत की। पार्टी के मंच से यह नारा निरंतर गूंजता रहा-'ससोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पाएं सौ में साठ।' इसमें हिंदू-मुसलमानों के पिछड़े वर्गों के अलावा महिलाओं के लिए विशेष अवसर के सिद्धांत की वकालत की गई थी। नौकरियों के अलावा पार्टी के संगठन में भी यह व्यवस्था लागू हो, ऐसा डॉ. लोहिया का कहना था।

✯ पिछड़ी जातियों और ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने का श्रेय कर्पूरी ठाकुर को जाता है :- शाहूजी महाराज और डॉ. आंबेडकर के बाद पिछड़ी जातियों और अत्यंत पिछड़ी जातियों के आरक्षण के सिद्धांत को लागू करने का श्रेय कर्पूरी ठाकुर को जाता है। 1971 में बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने मुंगेरीलाल आयोग का गठन किया। आयोग ने 1975 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें पिछड़े वर्ग को दो भागों में विभाजित किया गया। अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी में 128 जातियां और अति पिछड़े वर्ग यानी एमबीसी में 93 जातियां रखी गईं। 1977 में जनता पार्टी की ओर से बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 1978 में इस रिपोर्ट को स्वीकार किया। तब सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण का फॉर्मूला बना, जिसके तहत आठ प्रतिशत ओबीसी, 12 प्रतिशत एमबीसी, 14 प्रतिशत एससी, 10 प्रतिशत एसटी, तीन प्रतिशत महिला और तीन प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। इसी प्रश्न पर जनता पार्टी दो हिस्सों में बंट गई और कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, लेकिन वह अति पिछड़ों के देशभर में सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित हो गए। बाद में मंडल आयोग की अनुशंसाएं अगस्त 1990 में लागू की गईं, लेकिन जनता दल के विभाजन के कारण वीपी सिंह को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। अंततः सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समूचे देश में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था हो गई।

✯ देश में आरक्षण को लेकर विभिन्न वर्गों में असंतोष बरकरार है :- इसके बावजूद देश में आरक्षण को लेकर विभिन्न वर्गों में असंतोष बरकरार है। केंद्र की सूची में कुल 2663 ओबीसी जातियों में से 19 जातियों को ओबीसी आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिला है। 25 प्रतिशत जातियां 97 प्रतिशत आरक्षण का लाभ ले रही हैं। इसके अलावा 983 जातियां ऐसी हैं, जिन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है। रोहिणी आयोग के जरिये इस विसंगति को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए, ताकि सभी जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ समान रूप से मिल सके।

बहरहाल, बिहार नगर पालिका निर्वाचन के पटना उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की जिसमें पटना उच्च न्यायालय में 19 अक्टूबर को लंबी सुनवाई की गई लंबी सुनवाई के बाद सरकार ने अपना केस वापस ले लिया और पटना उच्च न्यायालय को सूचित किया कि हम ट्रिपल टेस्ट के लिए तैयार हैं और आयोग का गठन कर लिए हैं आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही बिहार नगर पालिका का निर्वाचन करवाया जाएगा ।●

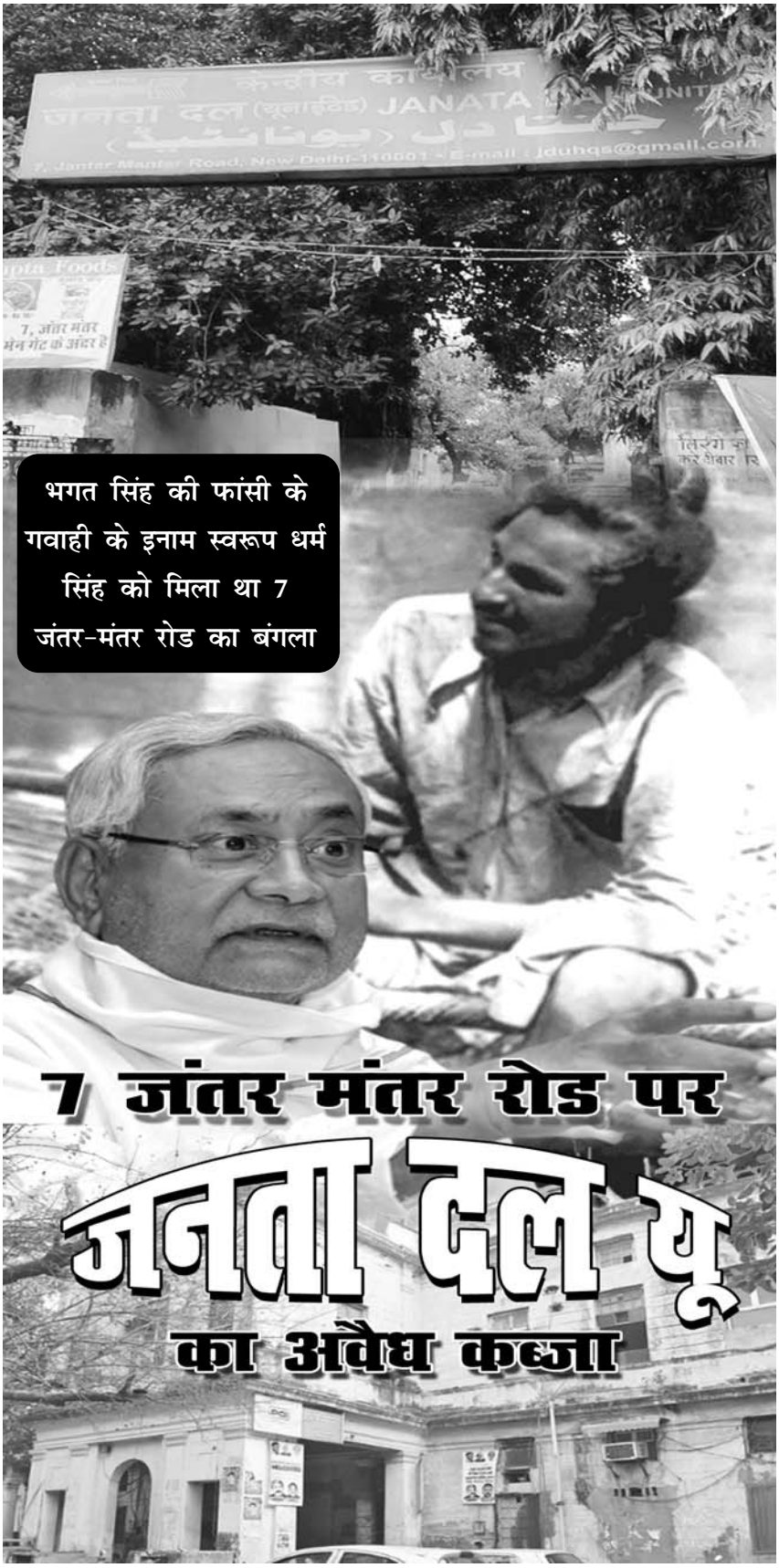

भगत सिंह की फांसी के गवाही के इनाम स्वरूप धर्म सिंह को मिला था 7 जंतर-मंतर रोड का बंगला

7 जंतर मंतर रोड पर जनता दल यू का अवैध कब्जा

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

राजनीति सुचिता की बात करने वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड को केंद्र सरकार द्वारा जमीन आवंटित की जा चुकी है और उसमें चारदीवारी भी हो चुकी है, लेकिन जंतर- मंतर रोड के बंगले से उसका मोह नहीं जा रहा है। कभी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जार्ज फर्नांडीस और शरद यादव ने इसे बहुत ही अच्छे ढंग से संधारित किया था, बाद के दिनों में पार्टी कार्यालय और पार्टी पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का कब्जा हो गया। सात जंतर मंतर रोड, भगत सिंह के फांसी की सजा में मुख्य गवाह की भूमिका निभाने वाले शोभा सिंह के भाई धर्म सिंह को इनाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। आज आजाद भारत में भगत सिंह को इंसाफ दिलाना है तो सात जंतर-मंतर रोड के बंगले को ध्वस्त कर भगत सिंह संग्रहालय और स्मारक बनाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को स्वेच्छा से इस जगह का त्याग कर देश को संदेश देना चाहिए। 2020 में ही सभी प्रकार की लीज सात जंतर मंतर रोड के बंगले पर खत्म हो चुका है और यह जमीन राष्ट्र की संपत्ति हो चुकी है उसके बावजूद जनता दल यूनाइटेड का अवैध कब्जा राष्ट्रीय शर्म की बात हो सकती है, जिससे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के प्रयास को धक्का लग सकता है।

5, 7 और 9 जंतर-मंतर रोड नई दिल्ली के लिए 2020 में ही खत्म हो चुकी है। 5 जंतर मंतर रोड के परिसर के लीज होल्डर ने आत्महत्या कर ली। 7 जंतर-मंतर रोड परिसर को जनता दल यूनाइटेड तथा कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े लोगों का कब्जा बना हुआ है। 9 जंतर-मंतर रोड के लीज होल्डर पाकिस्तान चले गए हैं, इसलिए संपत्ति शत्रु संपत्ति हो गई है, जिसमें अवैध बांग्लादेशियों का भी कब्जा है, क्योंकि यह क्षेत्र सुरक्षा के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इतने बड़े परिसर में अवैध अतिक्रमण कार्यों का रहना देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है।

साल 1920-21 में अंग्रेज ने 99 साल के लिए लीज पर 7 जंतर मंतर परिसर नवाबों को दिया, नवाब ने यह संपत्ति अंग्रेजों के कहने पर धर्म सिंह को दी। धर्म सिंह के पिता का नाम सुजान सिंह था। धर्म सिंह दो भाई थे, धर्म सिंह और शोभा सिंह। विदित हो कि शोभा

सिंह के ही गवाही पर शहीद भगत सिंह को फांसी हुई थी, जिसके इनाम स्वरूप शोभा सिंह के भाई धर्म सिंह को कई सरकारी ठीका और सात जंतर-मंतर रोड अंग्रेजों द्वारा नवाब से दिलवाई गई थी। धर्म सिंह की बेटी 1947 में अंग्रेज से शादी कर इंग्लैंड चली गई, इसी बीच कांग्रेस पार्टी से 7 जंतर-मंतर रोड के लिए 1 करोड रुपैया में बात फाइनल हुआ। बयाना के तौरपर कांग्रेस पार्टी ने धर्म सिंह के बेटी को 50 लाख रुपैया दे दिया, क्योंकि देश में कांग्रेस की सरकार थी और 7 जतर-मंतर रोड पर कांग्रेस का कब्जा हो गया तो कांग्रेस ने बाकी के 50 लाख रुपया धर्म सिंह की बेटी को नहीं दिया, पैसा नहीं देने के कारण जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं हुई। 1948 में कांग्रेस का मुख्यालय इलाहाबाद के स्वराज भवन से सात जंतर-मंतर रोड आ गया। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, तब इस जगह पर कांग्रेस (इंदिरा गांधी) का कब्जा हुआ। न्यायालय के आदेश पर यह जगह मोरारजी देसाई कांग्रेस (व) को मिल गया। 1977 में जनता पार्टी बनने के उपरांत मोरारजी देसाई ने सरदार पटेल ट्रस्ट का गठन किया, जिसमें कांग्रेस (ओ) के ही सारे लोग (तत्कालीन जनता पार्टी) थे। उसका किराएदार जनता पार्टी को रूपये 22000 महीने पर बना दिया गया। जनता पार्टी से 1988 में जनता दल का गठन हुआ और 1999 में जनता दल (यू) का आज भी जनता दल यूनाइटेड का यहां ऑफिस है।

7 (सात) जंतर-मंतर परिसर में रहने वाले सारे लोग या तो कांग्रेस या जनता पार्टी के कर्मचारी के वंशज हैं। हाल के वर्षों में जनता दल यूनाइटेड ने परिसर में अवैध कब्जा करना भी शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के पीछे वाले मकान को भी कब्जा कर लिया है और गरीब कर्मचारी के वंशज को डरा धमका

कर भगाने में लगा हुआ है। आज जनता दल यूनाइटेड पोषित गुंडों के कारण 7 जंतर-मंतर परिसर में तनाव का माहौल व्याप्त है, यह तनाव कभी भी खूनी संघर्ष का रूप ले सकता है।

7 जंतर मंतर सड़क पर किस राजनीतिक दल का नियंत्रण है, या कभी किसका मुख्य कार्यालय था? एआईसीसी/आईएन और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र? मंत्रालय के आरटीआई जवाब में कहा गया है कि कोई निश्चित जवाब नहीं है क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय ने दावा किया है कि जिस राजनीतिक दल को यह आवंटित किया गया था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। भूमि एवं विकास कार्यालय के पट्टा-1 अनुभाग के अभिलेखों के अनुसार, 7 जंतर-मंतर रोड, नई दिल्ली में किस राजनीतिक दल को संपत्ति आवंटित की गई थी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, 16 अप्रैल, 1958 के पत्र की एक प्रति सेटलमेंट कमिश्नर के कार्यालय में, जहां यह कहा गया है कि परिसर का अधिग्रहण हिस्सा एआईसीसी के कब्जे में है, शहरी विकास मंत्रालय के पीटी जेम्सकुट्टी सीपीआईओ ने कहा। सुभाष अग्रवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उपलब्ध अभिलेखों में कहा गया है कि संपत्ति को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) को बातचीत के जरिए बेचा गया था। नोट में यह भी कहा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक ट्रस्ट ने दावा किया है कि 30 अप्रैल, 1977 को अशोक मेहता, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस (INC) और चार अन्य लोगों ने ट्रस्ट के सभी अधिकारों को हस्तांतरित करने के पक्ष में एक विलेख निष्पादित किया। लेकिन ट्रस्ट को सूचित किया गया कि ट्रस्ट के पक्ष में डीड निष्पादित करना संभव नहीं होगा क्योंकि उसने उनके साथ लेन-देन नहीं किया था। हालांकि, उत्तर के साथ दी गई फाइल नोटिंग्स में यह दर्शाया गया है कि कानूनी मामलों के विभाग ने अगस्त 1993 में यह कहते हुए एक राय दी है कि कानूनी स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है। चूंकि केंद्र सरकार और एआईसीसी के बीच कोई अंतिम समझौता नहीं

शरद यादव

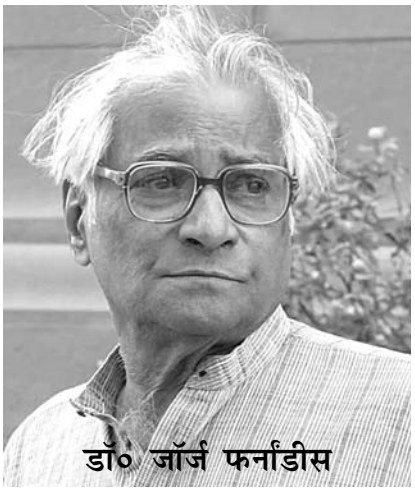

डॉ० जॉर्ज फर्नांडीस

हुआ था और 40 वर्षों के बाद किसी को भी प्राथमिक रोक के सिद्धांत को लागू करने का अधिकार नहीं है, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि आईएनसी/एआईसीसी अपने मूल संगठनात्मक ढांचे में अस्तित्व में नहीं है। पार्टी में बार-बार विभाजन के बाद, यह कहा। यह संपत्ति 1920 में सरदार धरम सिंह को पट्टे के माध्यम से दी गई थी जिसे बाद में नवाब अब्दुल हसन खान ने खरीद लिया था, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसे खाली संपत्ति घोषित कर दिया था। 1959 में, केंद्र सरकार ने 6.10 लाख रुपये की कीमत पर पूरी संपत्ति AICC को बेचने का फैसला किया।

नीतीश कुमार

इसके अलावा, पार्टी को निवास से कार्यालय में स्थायी परिवर्तन के कारण 14 जुलाई, 1959 तक अतिरिक्त प्रीमियम के रूप में 96,962 रुपये और एजीआर के रूप में 4849 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था, फाइल नोटिंग में कहा गया है। अग्निवेश को नहीं मिला जंतर मंतर बंगला केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसके रिकॉर्ड से पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी के मध्य में जंतर मंतर रोड पर एक बंगला सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक ट्रस्ट को आवंटित किया गया था और कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश या उनके गैर-सरकारी संगठन बंधुआ मुक्ति मोर्चा को आवंटित नहीं किया गया था। . सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रश्न के लिए शहरी विकास मंत्रालय की प्रतिक्रिया में कहा गया है कि रिकॉर्ड बताते हैं कि 30 अप्रैल, 1977 को जंतर-मंतर रोड पर बंगला नंबर 7 ट्रस्ट के नाम पर था। "रिकॉर्ड के अनुसार, किसी भी समय बंधुआ मुक्ति मोर्चा को संपत्ति आवंटित नहीं की गई थी। अभिलेखों के अनुसार, संपत्ति पूर्व में स्वामी अग्निवेश को आवंटित नहीं की गई थी, "मंत्रालय ने कहा। आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि 2010-2015 के दौरान संपत्ति के संबंध में कोई शिकायत नहीं थी। "अवैध कब्जे और दुरुपयोग को इंगित करने वाली कोई शिकायत संपत्ति संख्या के रिकॉर्ड में नहीं पाई गई। 7, जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली, "यह कहा। आरटीआई के जवाब को न्यायमूर्ति विभु बाखरू की पीठ के समक्ष भेजा गया था, जो केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के अक्टूबर 2016 के आदेश के खिलाफ कार्यकर्ता अजय गौतम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीआईसी ने श्री गौतम को इस आधार पर मांगी गई जानकारी से इनकार कर दिया था कि वह संपत्ति के पट्टेदार नहीं थे। हालांकि, श्री अग्निवेश ने कहा कि उनका एनजीओ बंधु मुक्ति मोर्चा बंगले से संचालित हो रहा था। कोर्ट ने केंद्र के जवाब पर विचार करते हुए श्री गौतम की याचिका का निस्तारण किया एक इमारत के रूप में जिसने जवाहरलाल नेहरू को नारे लगाए और कांग्रेस के विभाजन के समय हाथ बदले और फिर जब वह अपना पहला चुनाव हार गई, तो 7 जंतर मंतर रोड इतिहास का है। इसके अलावा, ऐसा लगता है, यह किसी और का नहीं है। पूर्व कांग्रेस मुख्यालय के द्वार पर लगे साइनबोर्ड जनता दल यूनाइटेड, अखिल भारतीय सेवा दल, मोरारजी देसाई द्वारा गठित एक ट्रस्ट और अच्छे उपाय के लिए 'अनीस कैंटीन' का उल्लेख करते हैं। लेकिन केंद्र को भी पता नहीं है कि लुटियंस दिल्ली की हवेली पर किसके पास अधिकार है, जैसा कि कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल के सूचना के अधिकार के सवाल के जवाब में दिखाया गया है। "भूमि और विकास कार्यालय के पट्टा -1 खंड के रिकॉर्ड के अनुसार, कोई जानकारी नहीं है कि किस राजनीतिक दल को 7 जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली में संपत्ति आवंटित की गई थी," पी.टी. जेम्सकुट्टी, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय। 'हालांकि, समझौता आयुक्त के कार्यालय से 16 अप्रैल, 1958 को एक पत्र की एक प्रति, जहां यह कहा गया है कि परिसर का अधिग्रहण हिस्सा एआईसीसी (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी) के कब्जे में है।' आजादी के बाद

ललन सिंह

कांग्रेस ने अपना मुख्यालय आनंद भवन, इलाहाबाद से नई दिल्ली में 7 जंतर मंतर रोड पर स्थानांतरित कर दिया था। तब प्रधान मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू अपना बहुत समय पार्टी के काम में भाग लेने, सदस्यता फॉर्मों की जांच करने और पार्टी के राज्य और जिला प्रमुखों को लिखने में बिताते थे। इमारत ने 1959 में नेहरू के आदेश पर इंदिरा गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अचानक नियुक्ति देखी। इसके बाद इंदिरा ने पार्टी को एक किरायेदार से औपचारिक पट्टाधारक बना दिया। लेकिन 1971 में, पार्टी के विभाजन के दो साल बाद, तथाकथित कांग्रेस (संगठन), जो इंदिरा के विरोध में थी, ने मूल पार्टी होने के कारण इमारत पर कब्जा कर लिया। 1977 के आम चुनाव की पूर्व संध्या पर मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली कांग्रेस (ओ) का जनता पार्टी में विलय हो गया। प्रधान मंत्री के रूप में, देसाई ने सरदार पटेल स्मारक संस्थान का गठन किया - एक ट्रस्ट - ताकि यह इमारत को अपने कब्जे में ले सके। हालांकि, जेम्सकुट्टी के जवाब से पता चलता है कि स्थानांतरण कभी पूरा नहीं हुआ था, हालांकि लगता है कि जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। नोट में यह भी कहा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक ट्रस्ट ने दावा किया है

कि 30 अप्रैल, 1977 को, अशोक मेहता, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), और चार अन्य लोगों ने ट्रस्ट के पक्ष में सभी को स्थानांतरित करने के लिए एक विलेख निष्पादित किया। इसके अधिकार, "आरटीआई के जवाब में कांग्रेस (ओ) को कांग्रेस (इंदिरा) के विरोध में आधिकारिक कांग्रेस के रूप में संदर्भित करते हुए कहा गया। लेकिन ट्रस्ट को सूचित किया गया था कि ट्रस्ट के पक्ष में विलेख निष्पादित करना संभव नहीं होगा क्योंकि उसने उनके साथ लेनदेन में प्रवेश नहीं किया था। वर्ष 2000 तक मूल न्यासियों में अंतिम एस. निजलिंगप्पा की मृत्यु हो चुकी थी। कुछ साल बाद, सोनिया गांधी की अगुआई वाली कांग्रेस ने इमारत पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की, यह तर्क देते हुए कि ट्रस्ट निष्क्रिय हो गया है। तब पार्टी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस ने कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को पत्र लिखकर पूछा कि ट्रस्ट के रजिस्ट्रार, जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, कांग्रेस के अधिकारियों को ट्रस्टी नियुक्त करके संस्थान को पुनर्जीवित करें। लेकिन एक राजनीतिक ढोंग ने इसे विफल कर दिया। दीक्षित सरकार ने 7 जंतर मंतर रोड को सीधे कांग्रेस के नाम से पंजीकृत कराने की कोशिश की और केंद्र की तत्कालीन एनडीए सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा। उस समय, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय का नेतृत्व संजय गांधी के पूर्व विश्वासपात्र जगमोहन ने किया था, जो विचारधाराओं के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को पार करने के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस के अनुरोध को खारिज कर दिया। फर्नांडीस बार-बार जगमोहन से उनके निर्माण भवन कार्यालय में मिलने गए, लेकिन मंत्री ने उन्हें एल.के. नॉर्थ ब्लॉक में आडवाणी या राम जेठमलानी और अरुण जेटली, जिन्होंने लगातार केंद्रीय कानून मंत्रालय का नेतृत्व किया। आखिरकार फर्नांडिस ने हार मान ली। सूत्रों ने कहा कि कई अधिकृत और अनधिकृत किरायेदारों और उप-किरायेदारों ने इमारत पर कब्जा करना जारी रखा है। उनमें से जनता दल यूनाइटेड, एक अलग जनता समूह है जो एनडीए में शामिल हो गया था। अग्रवाल को दी गई फाइल नोटिंग से पता चलता है कि कानूनी मामलों के विभाग ने अगस्त 1993 में एक राय दी थी कि स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है। इसने नोट किया कि बार-बार विभाजन के बाद INC/AICC अपने मूल संगठनात्मक रूप में मौजूद नहीं रह गया है। 1977 की हार के बाद 24 अकबर रोड कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बन गया। 1980 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में लौटीं, तो उन्होंने 7 जंतर मंतर रोड पर दावा करने से इनकार कर दिया। संजय गांधी ने 7 जंतर-मंतर पर लौटने

के विषय पर बात करते हुए कहा,था ष्मैंने पार्टी को एक बार नहीं बल्कि दो बार शुरू किया है। नया कार्यालय परिसर पार्टी के रैंक और फाइल को दशकों तक फिर से जीवंत करेगा।ष तत्कालीन कांग्रेस (ओ) कार्यालय सचिव, सद्दीक अली ने इंदिरा को कोई आधिकारिक कागजात या किताबें सौंपने से इनकार कर दिया। इसलिए पार्टी के पास 1947 और 1971 के बीच के वर्षों का कोई दस्तावेज, कार्यवृत्त या पत्राचार नहीं है। नई दिल्ली: किस राजनीतिक दल का 7, जंतर मंतर रोड पर नियंत्रण है, जो कभी AICC/INC का मुख्य कार्यालय और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था? मंत्रालय के आरटीआई जवाब में कहा गया है कि कोई निश्चित जवाब नहीं है क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय ने दावा किया है कि जिस राजनीतिक दल को यह आवंटित किया गया था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। भूमि एवं विकास कार्यालय के लीज-1 अनुभाग के अभिलेखों के अनुसार यह जानकारी नहीं है कि किस राजनीतिक दल की संपत्ति है।

केवल सच ने भी अपने सामाजिक दायित्व के मद्देनजर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा था, उसके बाद शिकायत संख्या - 8010125751 दर्ज कर इसे कनॉट प्लेस स्थित थाने के दरोगा रमेश मीणा को प्रथम अनुसंधान के लिए भेज दिया गया है अब इसमें केंद्र सरकार की पुलिस जो दिल्ली में काम करती है वह किस दिशा में काम करती है यह 7 जंतर- मंतर के भविष्य तय करेगा। चुनाव से लेकर जमीन पर राष्ट्रीयता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और इसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करते हुए इसमें शहीद भगत सिंह संग्रहालय और स्मारक का निर्माण करवाना चाहिए। ●

27वाँ न्यूरोसर्जरी स्थापना दिवस, आई.जी.आई.एम.एस., पटना

न्यूरो सर्जन की कमी के कारण बिहार के ट्रामा सेंटर बने सफेद हाथी

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

बढ़ते भागदौड़ तनाव के साथ वायु और ध्वनि प्रदूषण के कारण न्यूरो की समस्या बढ़ती जा रही है। हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज की भी समस्या महामारी का रूप लेती जा रही है। बिहार जैसे 14 करोड़ की आबादी वाले राज्य में मात्र 70 से 80 न्यूरो सर्जन है, उसमें से 40 न्यूरो सर्जन सिर्फ पटना में रहते हैं बाकी के जिले न्यूरो सर्जन के कमी के कारण अपने सगे संबंधियों को मौत की नींद में जाते हुए सिर्फ देख ही सकता है। सरकार हर जिले में ट्रामा सेंटर खोल रही है, बिना न्यूरोसर्जन का ट्रामा सेंटर से सफेदपोश हाथी बन कर रह जाएगा या यूं कहें रह गया है। बिहार में आईजीआईएमएस में सिर्फ 2 सीट न्यूरो सर्जन के अध्ययन के लिए है और अभी हाल में एम्स पटना में किसी तरह 2 सीट पर न्यूरो सर्जन की पढ़ाई आरंभ हो पाई है। पीएमसीएच, डीएमसीएच और एनएमसीए जैसे बड़े मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जन की पढ़ाई नहीं शुरू होना शर्म की बात है। न्यूरोसर्जन के कमी के कारण ब्रेन हेमरेज या ब्रेन दुर्घटना वाले कई व्यक्ति पटना आने के रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।

न्यूरोसर्जरी का एक उपसमुच्चय मस्तिष्क के प्रदर्शन को संशोधित करने का इरादा रखता है, और इस प्रकार गंभीर मानसिक बीमारी के इलाज या कम करने के इरादे से किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक लक्षणों में परिवर्तन को प्रभावित करता है। न्यूरोसर्जन द्वारा विकसित, यह संसाधन रोगियों और उनके परिवारों को न्यूरोसर्जिकल स्थितियों और बीमारियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर भरोसेमंद जानकारी प्रदान करता है। बीमारी और चोट के जोखिम वाले कारकों, लक्षणों, निदान और सर्जिकल और नॉनसर्जिकल उपचार दोनों विकल्पों के बारे में जानें। न्यूरोसर्जरी या स्नायविक सर्जरी, जिसे आम बोलचाल में ब्रेन सर्जरी के रूप में जाना जाता है, विकारों के सर्जिकल उपचार से संबंधित चिकित्सा विशेषता है जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और परिधीय तंत्रिका तंत्र सहित तंत्रिका तंत्र के किसी भी हिस्से को प्रभावित करती है। सामान्य न्यूरोसर्जरी में अधिकांश न्यूरोसर्जिकल स्थितियां शामिल होती हैं जिनमें न्यूरो-आघात और अन्य न्यूरो-आपातकाल जैसे इंट्राक्रैनील हेमोरेज शामिल हैं। अधिकांश स्तर 1 अस्पतालों में इस तरह का चिकित्सा होता है। विशेष और कठिन परिस्थितियों को पूरा करने के लिए विशिष्ट शाखाओं का विकास किया गया है। ये विशिष्ट शाखाएं अधिक परिष्कृत अस्पतालों में सामान्य न्यूरोसर्जरी के साथ सह-अस्तित्व में हैं। न्यूरोसर्जरी के भीतर उन्नत विशेषज्ञता का अभ्यास करने के लिए, न्यूरोसर्जन से एक से दो साल के अतिरिक्त उच्च फेलोशिप प्रशिक्षण प्राप्त करता है। न्यूरोसर्जरी के इन विभागों में से कुछ हैं: संवहनी न्यूरोसर्जरी में एन्यूरिज्म की कतरन और कैरोटिड एंडाटेरेक्टॉमी (सीईए) करना शामिल है। स्टीरियोटैक्टिक न्यूरोसर्जरी, कार्यात्मक न्यूरोसर्जरी, और मिर्गी सर्जरी (बाद में आंशिक

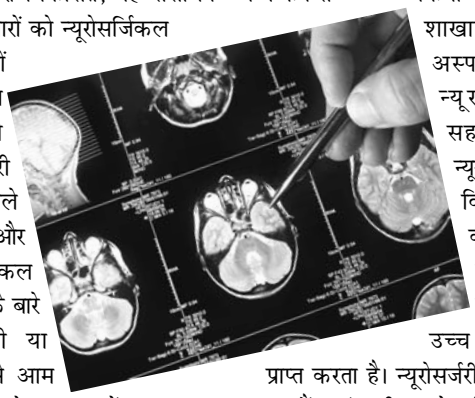

या कुल कॉर्पस कॉलोसोटॉमी शामिल है – जब्ती प्रसार और गतिविधि को रोकने या कम करने के लिए कॉर्पस कॉलोसम का हिस्सा या सभी को अलग करना, और कार्यात्मक, शारीरिक या शारीरिक टुकड़ों का सर्जिकल निष्कासन या मस्तिष्क के विभाजन, जिन्हें मिरगी का फॉसी कहा जाता है, जो संचालित होते हैं और जो दौरे का कारण बनते हैं और अधिक कट्टरपंथी और दुर्लभ आंशिक या कुल लोबेक्टोमी, या यहां तक कि गोलार्द्ध-भाग या सभी लोबों में से एक को हटाने, या इनमें से एक मस्तिष्क के सेरेब्रल गोलार्द्ध; वे दो प्रक्रियाएं, जब संभव हो, ऑन्कोलॉजिकल न्यूरोसर्जरी में या बहुत गंभीर न्यूरोलॉजिकल आघात का इलाज करने के लिए बहुत ही कम उपयोग की जाती हैं, जैसे कि मस्तिष्क को छुरा या बंदूक की गोली के घाव) ऑन्कोलॉजिकल न्यूरोसर्जरी को न्यूरोसर्जिकल ऑन्कोलॉजी भी कहा जाता है; बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजिकल न्यूरोसर्जरी शामिल है; वयस्कों और बच्चों में सौम्य और घातक केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र के कैंसर और पूर्व-कैंसर घावों का उपचार (अन्य के अलावा, ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म और अन्य ग्लियोमा, ब्रेन स्टेम कैंसर, एस्ट्रोसाइटोमा, पोंटीन ग्लियोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, रीढ़ की हड्डी का कैंसर, मेनिन्जेस के ट्यूमर) और इंट्राक्रैनील रिक्त स्थान, मस्तिष्क, रीढ़ और तंत्रिकाओं के लिए माध्यमिक मेटास्टेस, और परिधीय तंत्रिका तंत्र ट्यूमर) स्कल बेस सर्जरी स्पाइनल न्यूरोसर्जरी पेरिफेरल नर्व सर्जरी बाल चिकित्सा न्यूरोसर्जरी (कैंसर, दौरे, रक्तस्राव, स्ट्रोक, संज्ञानात्मक विकार या जन्मजात तंत्रिका संबंधी विकारों के लिए) आधुनिक न्यूरोसर्जरी निदान और उपचार में न्यूरोरेडियोलॉजी विधियों का उपयोग किया जाता है। इनमें कंप्यूटर सहायता प्राप्त इमेजिंग कंप्यूटेड टोमोग्राफी (सीटी), चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई), पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (पीईटी), मैग्नेटोएन्सेफलोग्राफी (एमईजी),

और स्टीरियोटैक्टिक रेडियोसर्जरी शामिल हैं। कुछ न्यूरोसर्जरी प्रक्रियाओं में इंट्रा-ऑपरेटिव एमआरआई और कार्यात्मक एमआरआई का उपयोग शामिल है। पारंपरिक ओपन सर्जरी में न्यूरोसर्जन खोपड़ी को खोलता है, जिससे मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए एक बड़ा उद्घटक होता है। सूक्ष्मदर्शी और एंडोस्कोप की सहायता से छोटे उद्घाटन वाली तकनीकों का भी अब उपयोग किया जा रहा है। तंत्रिका ऊतक के उच्च-स्पष्टता सूक्ष्म दृश्य के संयोजन के साथ छोटे क्रैनियोटॉमी का उपयोग करने वाले तरीके उत्कृष्ट परिणाम प्रदान करते हैं। हालांकि, खुले तरीके अभी भी पारंपरिक रूप से आघात या आपातकालीन स्थितियों में उपयोग किए जाते हैं। माइक्रोसर्जरी का उपयोग न्यूरोलॉजिकल सर्जरी के कई पहलुओं में किया जाता है। माइक्रोवैस्कुलर तकनीकों का उपयोग ईसी-आईसी बाईपास सर्जरी और बहाली कैरोटिड एंडाटेरेक्टॉमी में किया जाता है। धमनीविस्फार की कतरन सूक्ष्म दृष्टि के तहत की जाती है। मिनिमली इनवेसिव स्पाइन सर्जरी माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप का उपयोग करती है। माइक्रोडिसेक्टोमी, लैमिनेक्टॉमी, और कृत्रिम डिस्क प्रतिस्थापन जैसी प्रक्रियाएं माइक्रोसर्जरी पर निर्भर करती हैं। स्टीरियोटैक्सी न्यूरोसर्जन का उपयोग करके मस्तिष्क में न्यूनतम उद्घटक के माध्यम से एक मिनट के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसका उपयोग कार्यात्मक न्यूरोसर्जरी में किया जाता है जहां इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं या जीन थेरेपी उच्च स्तर की सटीकता के साथ स्थापित की जाती है जैसे कि पार्किंसंस रोग या अल्जाइमर रोग के मामले में। ओपन और स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी की संयोजन पद्धति का उपयोग करके, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज को संभावित रूप से सफलतापूर्वक निकाला जा सकता है। छवि मार्गदर्शन तकनीकों का उपयोग करने वाली पारंपरिक सर्जरी भी आम होती जा रही है और इसे सर्जिकल नेविगेशन, कंप्यूटर-असिस्टेड सर्जरी, नेविगेटेड सर्जरी, स्टीरियोटैक्टिक नेविगेशन के रूप में जाना जाता है। कार या मोबाइल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के समान, इमेज-गाइडेड सर्जरी सिस्टम, जैसे कर्व इमेज गाइडेड सर्जरी और स्टील्थस्टेशन, यूऑपरेटिंग

रूम में कंप्यूटर मॉनीटर के लिए रोगी के शरीर रचना विज्ञान और रोगी के संबंध में सर्जन के सटीक आंदोलनों को पकड़ने और रिले करने के लिए कैमरे या विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र। ट्यूमर सहित रोगी की शारीरिक रचना की त्रि-आयामी छवियों के साथ सर्जन को उन्मुख करने में मदद करने के लिए इन परिष्कृत कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों का उपयोग शल्य चिकित्सा से पहले और उसके दौरान किया जाता है। इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राफी (ईसीओजी) का उपयोग करके विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों की पहचान करने के लिए रीयल-टाइम कार्यात्मक मस्तिष्क मानचित्रण को नियोजित किया गया है मिनिमली इनवेसिव एंडोस्कोपिक सर्जरी आमतौर पर उचित होने पर न्यूरोसर्जन द्वारा उपयोग की जाती है। एंडोस्कोपिक एंडोनासल सर्जरी जैसी तकनीकों का उपयोग पिट्यूटरी ट्यूमर, क्रानियोफेरीन्जिओमास, कॉर्डोमा और मस्तिष्कमेरु द्रव के रिसाव की मरम्मत में किया जाता है। वेंट्रिकुलर एंडोस्कोपी का उपयोग इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीड्स, हाइड्रोसिफलस, कोलाइड सिस्ट और न्यूरोकाइस्टिसरोसिस के उपचार में किया जाता है। एंडोनासल एंडोस्कोपी कभी-कभी एक टीम के रूप में एक साथ काम करने वाले न्यूरोसर्जन और ईएनटी सर्जन के साथ किया जाता है। क्रानियोफेशियल विकारों की मरम्मत और मस्तिष्कमेरु द्रव परिसंचरण की गड़बड़ी न्यूरोसर्जन द्वारा की जाती है जो कभी-कभी मैक्सिलोफेशियल और प्लास्टिक सर्जनों के साथ मिलकर काम करते हैं। क्रानियोसिनेस्टोसिस के लिए क्रैनियोप्लास्टी बाल चिकित्सा न्यूरोसर्जन द्वारा प्लास्टिक सर्जनों के साथ या बिना प्लास्टिक सर्जन के द्वारा की जाती है। न्यूरोसर्जन ट्यूमर और एवीएम उपचार में विकिरण ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ स्टीरियोटैक्टिक रेडियोसर्जरी में शामिल हैं। गामा नाइफ, साइबरनाइफ और नोवेलिस रेडियोसर्जरी जैसी रेडियोसर्जिकल विधियों का भी उपयोग किया जाता है। एंडोवास्कुलर सर्जिकल न्यूरोरेडियोलॉजी एन्यूरिज्म, एवीएम, कैरोटिड स्टेनोसिस, स्ट्रोक, और स्पाइनल विकृतियों और वासोस्पास्म के उपचार के लिए एंडोवास्कुलर इमेज गाइडेड प्रक्रियाओं का उपयोग करती है। एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, क्लॉट रिट्रीवल, एम्बोलिजेशन और डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी जैसी तकनीक एंडोवस्कुलर प्रक्रियाएं हैं। न्यूरोसर्जरी में की जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया वेंट्रिकुलो-पेरिटोनियल शंट (वीपी शंट) की नियुक्ति है। बाल चिकित्सा अभ्यास में इसे अक्सर जन्मजात जलशीर्ष के मामलों में लागू किया जाता है। वयस्कों में इस प्रक्रिया के लिए सबसे आम संकेत सामान्य दबाव हाइड्रोसिफलस (एनपीएच) है। रीढ़ की न्यूरोसर्जरी सर्वाइकल, थोरैसिक और लम्बर स्पाइन को कवर करती है। रीढ़ की सर्जरी के कुछ संकेतों में आघात, रीढ़ की हड्डी के डिस्क के गठिया या स्पोंडिलोसिस के परिणामस्वरूप रीढ़ की हड्डी का संपीड़न शामिल है। सर्वाइकल कॉर्ड कम्प्रेशन में, मरीजों को चाल, संतुलन की समस्या, और/या हाथ या पैरों में सुन्नता और झुनझुनी के साथ कठिनाई हो सकती है। स्पोंडिलोसिस स्पाइनल डिस्क डिजनरेशन और गठिया की स्थिति है जो रीढ़ की हड्डी की नहर को संकुचित कर सकती है। इस स्थिति के परिणामस्वरूप अक्सर हड्डी में मरोड़ और डिस्क हर्नियेशन हो सकता है। स्पाइनल कैनाल की किसी भी संपीड़न समस्या को ठीक करने के लिए अक्सर पावर ड्रिल और विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाता है। स्पाइनल वर्टेब्रल डिस्क के डिस्क हर्नियेशन को विशेष रोंजर्स के साथ हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को डिस्केक्टॉमी के रूप में जाना जाता है। आम तौर पर एक बार डिस्क को हटा दिए जाने के बाद इसे एक इम्प्लांट द्वारा बदल दिया जाता है जो ऊपर और नीचे कशेरुक निकायों के बीच एक बोनी संलयन पैदा करेगा। इसके बजाय, गतिशीलता बनाए रखने के लिए एक मोबाइल डिस्क को डिस्क स्थान में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यह आमतौर पर सर्वाइकल डिस्क सर्जरी में उपयोग किया जाता है। कभी-कभी डिस्क को हटाने के बजाय एक तंत्रिका जड़ को विघटित करने के लिए एक लेजर डिस्केक्टॉमी का उपयोग किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग मुख्य रूप से लम्बर डिस्क के लिए किया जाता है। लैमिनेक्टॉमी रीढ़ की कशेरुकाओं के लैमिना को हटाने के क्रम में संकुचित तंत्रिका ऊतक के लिए जगह बनाने के लिए है। पुराने दर्द के लिए सर्जरी कार्यात्मक न्यूरोसर्जरी की एक उप-शाखा है। कुछ तकनीकों में गहरे मस्तिष्क उत्तेजक, रीढ़ की हड्डी उत्तेजक, परिधीय उत्तेजक और दर्द पंपों का आरोपण शामिल है। परिधीय तंत्रिका तंत्र की सर्जरी भी संभव है, और इसमें कार्पल टनल डीकंप्रेसन और परिधीय तंत्रिका स्थानांतरण की बहुत ही सामान्य प्रक्रियाएं शामिल हैं। कई अन्य प्रकार की तंत्रिका फंसाने की स्थिति और परिधीय तंत्रिका तंत्र के साथ अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। स्थितियाँ न्यूरोसर्जन द्वारा इलाज की जाने वाली स्थितियों में शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं। मेनिनजाइटिस और फोड़े सहित अन्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संक्रमण, स्पाइनल डिस्क हर्नियेशन, सर्वाइकल स्पाइनल स्टेनोसिस और लम्बर स्पाइनल स्टेनोसिस, जलशीर्ष, सिर का आघात (ब्रेन हैमरेज, खोपड़ी फ्रैक्चर, आदि), रीढ़ की हड्डी में चोट, परिधीय नसों की दर्दनाक चोटें ख रीढ़, रीढ़ की हड्डी और परिधीय नसों के ट्यूमर, इंट्राकेरेब्रल रक्तस्राव, जैसे कि सबराचोनोइड रक्तस्राव, अंतर्विभागीय, और अंत:कोशिकीय रक्तस्राव, दवा प्रतिरोधी मिर्गी के कुछ रूप, संचलन संबंधी विकारों के कुछ रूप (उन्नत पार्किंसंस रोग, कोरिया)। इसमें विशेष

रूप से विकसित न्यूनतम इनवेसिव स्टीरियोटैक्टिक तकनीकों (कार्यात्मक, स्टीरियोटैक्टिक न्यूरोसर्जरी) जैसे एब्लेटिव सर्जरी और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी का उपयोग शामिल है।

बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, आई.जी.आई.एम.एस., पटना में 17 सितम्बर को न्यूरोसर्जरी का स्थापना दिवस मनाया गया। आई.जी.आई.एम.एस. के आडिटोरियम में इसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष, आई.एम.ए. डॉ. सहजानन्द प्रसाद सिंह ने किया अपने संबोधन में बताया कि बिहार के लोगों के लिए यह हॉस्पीटल अपनी सेवा के लिए और उच्च मेडिकल ईलाज के लिए जाना जाता है। बिहार सरकार का एकमात्र सुपरस्पेशिएलिटी हॉस्पीटल लगातार गंभीर बीमारी की ईलाज में सफलता प्राप्त कर रहा है। डॉ० सहजानंद सिंह ने न्यूरोसर्जरी के विभाग द्वारा किए जा रहे ऑपरेशन के लिए सभी डॉक्टर को बधाई दी। आईएमए भी लगातार चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों के योगदान के लिए कृत संकल्प है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का सुझाव है कि ऐसी कार्यशाला से चिकित्सा की आधुनिक विधि का आपस में ज्ञान का आदान-प्रदान करने से क्षेत्र में प्रगति होगी। इसके लिए आईएमए के तरफ से हरसंभव मदद की जाएगी। मुख्य अतिथि आई.जी.आई.एम.एस. के डायरेक्टर डॉ. विभूति प्रसन्न सिन्हा ने हॉस्पीटल में सरकार एवं डॉक्टरों के योगदान की सराहना की और आगे भी मिलकर चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की बात की। डॉ विभुति ने कहा कि सरकार के बीच तालमेल बैठा कर संस्थान दिन प्रतिदिन चिकित्सा के नई विधि को अपनाकर बिहार के लोगों के लिए एक उच्च संस्थान की भूमिका का पालन कर रही है आयुष्मान एवं अनुदान के द्वारा भी कई मरीज लाभान्वित हो रहे हैं।

न्यूरोसर्जरी के विभागाध्यक्ष, डॉ समरेन्द्र कुमार सिंह ने स्वागत भाषण में बताया कि विभाग 27 वर्षों में न्यूरोसर्जरी की कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। कोविड के दौरान भी विभाग ने पूरे बिहार में सबसे ज्यादा ब्रेन ऑपरेशन किया, जब पुरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था कोविड के वजह से त्राहिमाम कर रही थी। विभाग ने आधुनिक तरीकों से गंभीर बीमारी के इलाज में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। सबसे बड़ी एवं बिहार के लिए गौरव की बात है कि बिहार राज्य के स्थापना के बाद, पहली बार न्यूरोसर्जरी की उच्च शिक्षा (एम.सी.एच) की पढ़ाई आई.जी.आई.एम.एस. में शुरू की गई और इसमें इस वर्ष छात्र सफल होकर बिहार में पहली बार न्यूरोसर्जरी की डिग्री हासिल करके न्यूरो सर्जन

बने हैं। इस तरह से प्रत्येक वर्ष न्यूरो सर्जन बन के बिहार के चिकित्सा क्षेत्र में कमी को पूरा करेंगे।

इस अवसर पर मनीष मंडल, चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि हाल के दिनों में ईमरजेन्सी की समुचित व्यवस्था की वजह से कई गंभीर मरीजों को ईलाज में सुधार हुआ है। इमरजेन्सी वाई एवं आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई गई है। नई ट्रामा एवं इमरजेन्सी विभाग का गठन किया गया है। कोविड के दौरान भी आई जी आई एम एस के सभी चिकित्सकों के टीम ने मिलकर समुचित ईलाज करके संस्थान का नाम ऊंचा किया था। इस अवसर पर डॉ. अनुज सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष एवं डायरेक्टर सी एन एस हॉस्पीटल के न्यूरोसर्जन ने विभाग के स्थापना 1995 के समय से अब तक के विकास की सराहना की। न्यूरोसर्जरी विभाग की स्थापना इन्होंने उस समय की जब बिहार में ब्रेन सर्जरी के लिए लोगों को दिल्ली ही जाना पड़ता था। 27 वर्ष के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि लोगों का इस संस्थान पर भरोसा बढ़ा और लोगों को कम दाम में समुचित ईलाज होने लगा । इस अवसर पर महावीर कैंसर संस्थान के डायरेक्टर डॉ. मनीषा सिंह ने बताया कि शरीर के अन्य भाग के कैंसर की तरह ब्रेन में भी कैंसर होती है। न्यूरोसर्जरी विभाग ने ब्रेन कैंसर का ऑपरेशन करके कई मरीजों की जान बचाई। कई ब्रेन कैंसर का ऑपरेशन के बाद रेडियेशन के द्वारा इसको आगे बढ़ाने से रोका जा सकता है। बिहार में रेडिएशन का समुचित व्यवस्था होने से अब बिहार में महावीर कैंसर एवं आई.जी.आई.एम.एस. में भी आधुनिक तरीके से किया जा रहा है और इस वजह से अब मरीजों को रेडिएशन के लिए दिल्ली या एसी.एम.सी. भैलोर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस स्थापना दिवस पर दिल्ली के मेदांता हॉस्पीटल के न्यूरो सर्जन एवं चेयरमैन डॉ. भी. पी. सिंह ने न्यूरो सर्जरी के आधुनिक तरीकों पर अपनी व्याख्यान प्रस्तुत की एवं मौजूद डॉक्टरों को विश्व में हो रहे नए तकनीकों से अवगत कराया। जल्द ही इन तकनीकों को आई.जी.आई.एम.एस. में उपलब्ध करा कर बिहार के लोगों को लाभान्वित करने का सुझाव दिया। विभाग के स्थापना दिवस का मंच संचालन डॉ नीरज कनौजिया ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ ब्रजेश कुमार ने की। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत डॉ. ओम प्रकाश गुप्ता के द्वारा की गई। ●

आयोजित हुआ अधिवक्ताओं का सेमिनार और ट्रेनिंग प्रोग्राम

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार राज्य बार काउंसिल के सहयोग से 24.09.2022 को बापू सभागार, पटना में 'समाज के निर्माण में वकीलों का योगदान' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। संगोष्ठी के बाद 24 सितंबर, 2022 को पटना में युवा वकीलों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, कई माननीय न्यायाधीशों द्वारा भाग लिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के कई माननीय न्यायाधीश इसके अलावा, इस कार्यक्रम मां कई वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। भारत के प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने शनिवार को कहा कि वकीलों को तार्किक विचारक होना चाहिए जो स्वाभाविक रूप से तथ्यों को इकट्ठा करने में रुचि रखते हैं। पटना में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सीजेआई ने कहा, 'वकीलों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका उद्देश्य और आदर्श वाक्य कानून के शासन को बनाए रखना होना चाहिए। अधिवक्ताओं के पास मौलिक इनपुट को समझाने का एक अद्भुत गुण है। जनता के दिमाग में उन्हें सोचने और प्रकृति में तथ्य-खोज में तर्कसंगत होना चाहिए।' उन्होंने कहा कि युवा वकीलों को प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानियों के निहित गुणों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो वकील थे। सीजेआई ललित ने कहा, 'यहां तक कि कई स्वतंत्रता सेनानी भी कानूनी पेशे से थे। युवा वकीलों की समाज में बड़ी भूमिका होती है।' केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका देश के हित में काम कर रही हैं। 'तीनों स्तंभों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।' रिजिजू ने लंबित मामलों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता और मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से देश की 1,800 फास्ट-ट्रैक अदालतों के संचालन में तेजी लाने का अनुरोध किया। जस्टिस यूयू ललित ने पिछले महीने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। उनका भारत की न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में 74 दिनों का संक्षिप्त कार्यकाल होगा और 8 नवंबर को पद छोड़ देंगे। युवा वकीलों की समाज में बड़ी भूमिका होती है।' वकीलों के खिलाफ वादियों द्वारा की गई शिकायतों को देखते हुए कानूनी पेशे की शुद्धता बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को 31 दिसंबर, 2022 तक ऐसी सभी शिकायतों का निपटान करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता और बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की, जिसमें शीर्ष बार निकाय को हस्तांतरित शिकायतों की जांच पूरी करने के लिए समय तीन महीने बढ़ाने की प्रार्थना की गई थी।

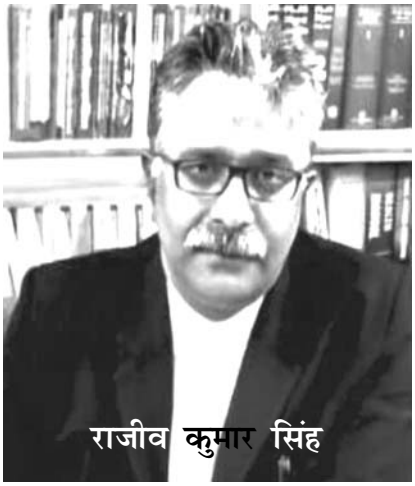
राजीव कुमार सिंह

बिहार बार काउंसिल के सदस्य सह पटना उच्च न्यायालय के लॉयर एसोसिएशन के सचिव अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह का कहना है कि अधिवक्ताओं के मुख्य पांच मांगों को सरकार तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जल्द पूरा करना चाहिए :-

(1) अधिवक्ता कल्याण कोष को पूरी तरह से अधिवक्ता के अधीन सरकार को कर देना चाहिए क्योंकि यह अधिवक्ताओं के द्वारा अर्जित राशि है।

(2) बिहार विधान परिषद में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तर्ज पर अधिवक्ता निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा तुरंत करनी चाहिए ताकि उच्च सदन में भी अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व हो।

(3) सभी अधिवक्ताओं को चिकित्सा आकस्मिक एवं सामान्य मृत्यु इंसुरेंस की सुविधा तुरंत लागू कर देना चाहिए।

(4) वकीलों को जिरह के दौरान अपराधी निशाने पर ले लेते हैं इसीलिए जजेस कॉलोनी के तर्ज पर अधिवक्ताओं का भी अधिवक्ता कॉलनी होना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि विधायकों के कॉटिल्या नगर के तर्ज पर अधिवक्ताओं को भी सस्ते रेट पर जमीन आवंटित होना चाहिए।

(5) राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए।

जिला न्यायालय पटना के अधिवक्ता शिवानंद गिरि ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के बार- बार कहे जाने के बावजूद अधिवक्ताओं को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए एडवोकेट एक्ट 1961 में अमेंडमेंट कर इसे संसद द्वारा पारित कर कानून का दर्जा दिया जाना अत्यावश्यक है। ●

बिहार जीविका के एसपीएम-एचआर आनंद शंकर पर एफआईआर

गुस्साये आनंद शंकर ने एफ.आई.आर. करने वाली महिला के पति बीपीएम शैलेश कुमार को पद से किया निष्कासित

● **सागर कुमार**

जीविका की तात्कालिक वैशाली जिले और अब अरवल जिले की स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधक संगीता कुंज के द्वारा बिहार जीविका के एसपीएम एचआर आनंद शंकर सहित जीविका केअन्य दो अधिकारियों जिनमें तात्कालिक वैशाली जिले कि एचआर बेबी कुमारी, वैशाली महनार के पूर्व बीपीएम हरे राम और बिहार जीविका कैडर संघ के अध्यक्ष प्रदीप सिंह के खिलाफ किया गया है।

इस कहानी की सर्वप्रथम शुरुआत 08/12/2020 से हुई जब पीड़ित महिला के पति शैलेश कुमार को डीपीसीयू गोपालगंज उनके कागजात की जांच करने के लिए बुलाया गया और उस जांच के दौरान उनकी अनुभव प्रमाण पत्रों में भ्रामक जानकारी प्राप्त होने के बाद उनके योगदान को होल्ड पर रखा गया, फिर भी शैलेश कुमार जीविका में सेवाएं देते रहें और फिर सैलरी फिटमेंट प्रक्रिया के दौरान उनके द्वारा प्रेषित अनुभव प्रमाण पत्रों में विसंगति पाई गई तदनुसार प्रखंड परियोजना प्रबंधक के नियुक्ति हेतु उनके द्वारा जीविका में प्रस्तुत किए गए कागजातों की जांच एक राज्य स्तरीय समिति द्वारा की गई। समिति ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 1 अगस्त 2022 को समर्पित किया जिसमें साफ-साफ लिखा हुआ था कि शैलेश कुमार प्रखंड परियोजना प्रबंधक बगहा-2 का अनुभव प्रमाण पत्र सही नहीं पाया गया। अंदर की खबर यह है कि जब समिति द्वारा शैलेश कुमार दोषी पाए जाते हैं तो उस रिपोर्ट के आधार पर एसपीएम-एचआर आनंद शंकर और उनकी करीबी तात्कालिक एचआर-वैशाली बेबी कुमारी लगातार बीपीएम शैलेश कुमार और उनकी पत्नी एच.एन. एस मैनेजर वैशाली संगीता कुंज को प्रतिविदित रिपोर्ट का डर दिखाकर परेशान करने लगे। तब तंग आकर तात्कालिक एच.एन. एस. मैनेजर वैशाली संगीता कुंज ने जीविका के

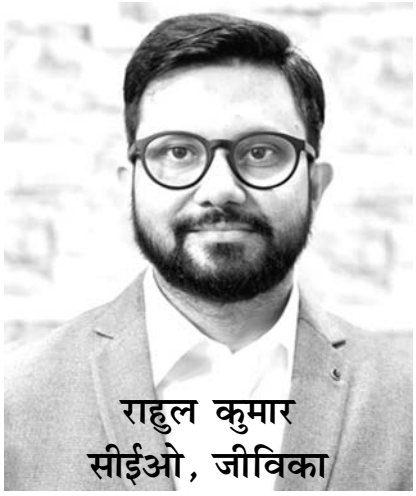

राहुल कुमार
सीईओ, जीविका

एसपीएम रिसोर्स सेल विश्व विजय के परामर्श से जीविका के एसपीएम एचआर आनंद शंकर सहित कुल 4 लोगों पर वैशाली जिले के सदर थाना में धारा 504, 500, 509, 354, 3(1)(r)(s) अंतर्गत एससी एसटी एक्ट के तहत एफ आई आर दर्ज करा दिया जिसका केस नंबर 715 /22 है। उक्त एफ आई आर. में संगीता कुंज ने वैशाली जिले की एचआर बेबी कुमारी और उनके करीबी एसपीएम - एचआर आनंद शंकर पर पिछले 16-17 महीनों से अनुसूचित जाति होने के कारण भेदभाव कर परेशान करने , नीचा दिखाने, कई बार जातिसूचक टिप्पणी करने, कई तरीके से परेशान करने, बेबी कुमारी का अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जानबूझकर वरीय अधिकारियों के सामने गलत तथ्य प्रस्तुत कर संगीता कुंज के अवकाश को कटवाने , वेतन रुकवाने एवं परियोजना द्वारा कर्मियों को दिए जाने वाले लाभ से वंचित रखने सहित 2021 में कोविड-19 के दौरान गर्भवती होने पर भी गैर इरादतन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा नहीं दी जाने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है। और कहा है कि इस कारण संगीता कुंज को हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी एच डी पी हो गया और उसके साथ ही उनका मिसकैरेज भी हो गया जिससे उन्हें मानसिक शारीरिक और आर्थिक क्षति हुई है। इसके बाद संगीता कुंज ने वैशाली महनार के

जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91-612-250 4980, फैक्स: +91-612-250 4960, वेबसाइट: www.brips.in

Ref. No: BRIPS/Pro-00/634/14/Vol-XII/3138 Date: 14.09.22

कार्यालय आदेश

श्री शैलेश कुमार ने जीविका में प्रखंड परियोजना प्रबंधक के पद पर 15-अप्रैल-2021 को योगदान दिया। सैलरी फिटमेंट प्रक्रिया के दौरान उनके द्वारा प्रेषित अनुभव प्रमाण पत्रों में विसंगति पाई गई, तदनुसार प्रखंड परियोजना प्रबंधक के नियुक्ति हेतु उनके द्वारा जीविका में प्रस्तुत किये गए कागजातों की जांच एक राज्य स्तरीय समिति द्वारा की गई। समिति ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 01-अगस्त-2022 को समर्पित किया। प्रतिवेदन के अनुसार उनका अनुभव प्रमाण पत्र सही नहीं पाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है

मायाराम सोशल एवं वेलफेयर सोसाइटी, खगड़िया

1. मायाराम परिवार के सदस्य, जो की अनुभव प्रमाण पत्र पर दिए गए पता(क्षेत्र) में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के समय से पहले कई सालों से रह रहे हैं, उन्हें इस सोसाईटी के उक्त क्षेत्र में कभी भी होने की कोई जानकारी नहीं है एवं मायाराम परिवार को ऐसे किसी भी सोसाइटी के गठन की जानकारी भी नहीं है।
2. स्थानीय निवासियों ने भी यह बताया कि ऐसी कोई भी सोसाइटी दिए गए क्षेत्र में कभी भी मौजूद नहीं थी (विडियो उपलब्ध)।

MBIT

3. समिति ने पाया कि ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि श्री चन्दन कुमार MBIT में रीजनल ऑपरेशन मेनेजर के रूप में कार्यरत थे एवं किस अधिकार से उन्होंने श्री शैलेश कुमार को प्रमाण पत्र जारी किया।
4. श्री चन्दन कुमार ने Innotechaqua जो कि एक अलग संस्था है के CEO रहते हुए, किस अधिकार से श्रीलेश कुमार को उनके द्वारा जारी गए अनुभव प्रमाण पत्र को फिर से सत्यापित किया, इसका न साक्ष्य मौजूद है और न ही उन्होंने ऐसा दावा किया है।
5. Innotechaqua का एक कर्मी जिसने MBIT, फोर्बसगंज मे भी अकाउंटेंट के रूप में काम किया था और अभी Innotechaqua के साथ कार्य कर रहा है, उसे भी शैलेश कुमार का MBIT के साथ जुड़े होने की कोई जानकारी नहीं है। अतः समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है की श्री शैलेश कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र सही प्रतीत नहीं होता है ।

तदनुसार, इस सबंध में श्री शैलेश कुमार को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 03 अगस्त 2022 को जारी किया गया ताकि वे अपना पक्ष साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सके।

उन्होंने अपने ईमेल दिनांक 10th अगस्त 2022 के जरिये उक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा उनके ऊपर लगाए गए आरोपों का जबाब प्रेषित किया जिसका सारांश एवं विश्लेषण निम्न प्रकार है -

1. बगहा -2 के बीपीऐम रहते वे सितंबर 2021 से मार्च -2022 तक बगहा -1 प्रखण्ड का बीपीएम के अतिरिक्त प्रभार मे भी रहे।उस समय उन्होंने दोनों प्रखंडों के 49 पंचायतों के कार्यों का निर्वहन किया। उन्होंने अब तक परियोजना द्वारा प्रदत्त सभी कार्यों का निष्पादन सफलतापूर्वक किया है एवं उनका कार्यकाल संतोषप्रद रहा है। उनके अनुभव प्रमाण पत्र कि जांच पूर्व में भी कई बार की जा चुकी है, सर्वप्रथम उन्हें दिसंबर 2020 में बीपीएम पद पे योगदान देने हेतु डीपीसीयू गोपालगंज बुलाया गया था और उस समय जिन कागजात की मांग की गई थी वे वह सभी कागजात लेकर उपस्थित हुए थे किन्तु, वहाँ वैसे कागजात की मांग की गई जो राज्य कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूची में दिया ही नहीं गया था और जिसके कारण उनकी joining नहीं ली गई और उन्हें कहा गया कि, उन्हें होल्ड पे रखा गया है आगे जो निर्णय होगा उसकी सूचना उन्हें दे दी जाएगी साथ ही उन्होंने अपने पक्ष में कई तथ्य रखे हैं जो कि प्रासंगिक नहीं हैं।

विश्लेषण

डीपीएम् गोपालगंज के नोट दिनांक 08.12.2020 से यह स्पष्ट है कि योगदान कि प्रक्रिया के दौरान श्री शैलेश कुमार जीविका के वेबसाइट पे सम्बंधित पद पर योगदान के लिए निर्धारित आवश्यक कागजात जैसे कि पूर्व संस्था से स्वीकृत त्याग पत्र, उक्त संस्था से अंतिम तीन महीने का सैलरी स्लिप उपलब्ध करवाने में असफल रहे । इसलिए उनके योगदान को होल्ड पर रखा गया। इस प्रकार श्री शैलेश कुमार ने मामले में जान बुझ कर भ्रमित करने कि कोशिश की है।

अपने नोट दिनांक 08.12.2020 द्वारा यह सूचित किया कि दिनांक - 08.12.2020 को उनकी योगदान प्रक्रिया के दौरान श्री शैलेश कुमार को अपने पूर्व के नियोक्ता के साथ किसी भी तरह का पत्राचार उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया पर वो उसमे असफल रहे। इसके अलावा श्री शैलेश कुमार द्वारा जीविका को उपलब्ध कराये गए MBIT से सम्बंधित नियुक्ति पत्र (02.11.2010), विरमन पत्र (31.03.2016), सैलरी स्लिप (January, February, March 2016) जो कि उन्होंने प्रथम दौर की योगदान प्रक्रिया के बाद उपलब्ध कराया, पर उनका पदनाम Assistant Manager Operations है परन्तु उनके अनुभव प्रमाण पत्र (12.03.2014) में उनका पदनाम Operations Manager है जो कि ये साबित करता है कि तथ्यों से छेड़छाड़ की गयी है । समिति कि रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में श्री चन्दन कुमार ने Innotech Aqua के चिफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं परन्तु उन्होंने अपने पत्र दिनांक 19.07.2021 के द्वारा MBIT के रीजनल ऑपरेशन मेनेजर के रूप में श्री शैलेश कुमार के अनुभव प्रमाण पत्र को सत्यापित किया है जो कि संदेहास्पद है । राज्य स्तरीय समिति के द्वारा यह भी बताया गया है कि किस अधिकार से श्री चन्दन कुमार ने श्री शैलेश कुमार के अनुभव प्रमाण पत्र को सत्यापित किया है इसका न कोई साक्ष्य मौजूद है और न ही श्री चन्दन कुमार ने ऐसा कोई दावा किया है। समिति ने श्री चन्दन कुमार के Innotech Aqua सम्बन्धी उनका पहचान पत्र भी रिपोर्ट के साथ संलग्नित किया है जिसके अनुसार श्री चन्दन कुमार Innotech Aqua के चिफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं।

निष्कर्ष

अतः उक्त तथ्यों, साक्ष्य एवं राज्य स्तरीय समिति के प्रतिवेदन के विशलेषण पर पाया गया कि

1- श्री शैलेश कुमार द्वारा जीविका में उपलब्ध करवाए गए मायाराम सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अनुभव पत्र पर अंकित पता एवं उनके द्वारा ही बताये गए वेबसाइट पर उक्त सोसाइटी के वर्णित पते से भिन्न है।
2- MBIT के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र पर उनका पदनाम एवं उसी संस्था से निर्गत सैलरी स्लिप, विरमन पत्र पर अंकित पदनाम भिन्न है।
3- श्री शैलेश कुमार मायाराम सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी एवं MBIT में अपने कार्यकाल के दौरान संस्था के साथ उनके द्वारा किया गया किसी भी तरह के पत्राचार उपलब्ध कराने में असफल रहे ।

इस प्रकार श्री शैलेश कुमार, प्रखंड परियोजना प्रबन्धक का यह कृत्य एच आर डी मैन्युअल के Para-(b) 18 of Annexure 6 के अन्तर्गत Grave Misconduct की श्रेणी में आता है।

तदनुसार, श्री शैलेश कुमार, प्रखंड परियोजना प्रबन्धक को तत्काल प्रभाव से जीविका की सेवा से बर्खास्त किया जाता है और उनके द्वारा जीविका में पदधारण के दौरान जो भी लाभ लिया गया है उसकी वसूली का आदेश जारी किया जाता है।

(राहुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

श्री शैलेश कुमार
प्रखंड परियोजना प्रबंधक – बगहा 2
पश्चिमी चंपारण

प्रतिलिपि

1. निदेशक / प्रभारी प्रशासी पदाधिकारी / सी०एफ०ओ / पी०एस०
2. सभी परियोजना समन्वयक
3. सभी राज्य परियोजना प्रबंधक / परियोजना प्रबंधक/ राज्य वित्त प्रबंधक / सहायक वित्त प्रबंधक
4. सभी जिला परियोजना प्रबंधक / प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक
5. सभी एच आर मैनेजर / प्रभारी एच आर मैनेजर
6. सम्बंधित संचिकायें

पूर्व बीपीएम हरेराम कुमार और जीविका कैडर संघ के अध्यक्ष प्रदीप सिंह के खिलाफ आरोप लगाया गया कि उन लोगों ने संगीता कुंज को दलित और महादलित होने के कारण अमर्यादित टिप्पणी किया गया और ई-मेल भेजकर उसे सार्वजनिक करने सहित कई तरह के अनैतिक और गैर मर्यादित शब्दों को लिखते हुए उनके चरित्रहनन एवं सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया।

संगीता कुंज
एच.एन.एस. मैनेजर

आपकी जानकारी के लिए एक और बात बताना चाहेंगे जो कि काफी चर्चा का विषय है की वैशाली जिले की वर्तमान एचआर बेबी कुमारी सहरसा के नौहट्टा में सीसी थी और एसपीएम एचआर आनंद शंकर का घर सुपौल है। और जीविका के कई लोगों का कहना है कि बेबी कुमारी और आनंद शंकर के बीच काफी अच्छी ट्यूनिंग है और बेबी कुमारी के सीसी से एचआर बनने की प्रक्रिया में आनंद शंकर में अपने रुतबे और पहुंच का पूरा इस्तेमाल किया है। खैर यह भी केवल चर्चा मात्र है क्योंकि इसके भी पुख्ता सबूत हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जीविका के कुछ लोग नाम ना बताने की शर्त पर यहां तक कहते हैं कि हाल फिलहाल में जीविका के कई जिलों के एचआर बदले गए परंतु वैशाली की एचआर बेबी कुमारी का पदस्थापना दूसरे जिले में ना होने का मुख्य कारण आनंद शंकर की जीविका के राज्य कार्यालय में ताकतवर पहुंच और पैठ है।

इस आरोपपत्र में एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात और भी लिखी हुई है जिसमें कहा गया है कि संगीता कुंज ने उक्त सभी आरोपों से संबंधित शिकायत पहले ही बीआरएलपीएस के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से की थी परंतु उस पर कोई सुनवाई तक नहीं हुई। इस बात की पुष्टि केवल सच भी करता है क्योंकि केवल सच ने जीविका के तमाम कई अनियमितताओं भ्रष्टाचारों, भ्रष्टाचारियों और गलत कार्यों की जानकारी जीविका के मुख्य कार्यपालक

शैलेश कुमार
पूर्व बीपीएम, जीविका

पदाधिकारी को केवल सच पत्रिका के माध्यम से दी है लेकिन अभी तक किसी भी मुद्दों पर जीविका के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा ना कोई सुनवाई की गई ना कोई कार्यवाही की गई। ना ही कोई संज्ञान लिया गया और सीईओ राहुल कुमार खुद केवल सच को ना कभी साक्षात्कार देते हैं ना किसी अधिकारी को देने देते हैं। अब पता नहीं उन्हें और उनके अधिकारियों को केवल सच से किस प्रकार का भय लगता है कि हमारे प्रश्न को देखकर ही घबरा जाते हैं क्योंकि जीविका का कोई भी अधिकारी कर्मचारी पदाधिकारी हमें हमारे एक भी प्रश्नों के सीधा जवाब अभी तक नहीं दिया है।

पुनः हम लौटते हैं अपने टाइटल पर। उक्त एफ आई आर संगीता कुंज ने दिनांक 7 सितंबर 2022 को वैशाली के सदर थाने में दर्ज करवाई और फिर वही हुआ जिसका डर दिखाकर आनंद शंकर और बेबी कुमारी कई महीनों से संगीता कुंज और उनके पति शैलेश कुमार को परेशान कर रहे थे। आनंद शंकर, बेबी कुमारी पर एफ आई आर करने के ठीक 1 हफ्ते बाद दिनांक 14 सितंबर 2022 को रेफरेंस नंबर BRLPC/PROJ/694/14/VKOKL-6/3198 के अंतर्गत एक पत्र निर्गत किया गया जिसके निष्कर्ष में लिखा हुआ था कि शैलेश कुमार प्रखंड परियोजना प्रबंधक का यह कृत्य एचआरडी मैनुअल के पारा-(b)- 18 of Annexure 6 के अंतर्गत ग्रेव मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है तदनुसार श्री शैलेश कुमार प्रखंड परियोजना प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से जीविका की सेवा से बर्खास्त किया जाता है और उनके द्वारा जीविका में पद धारण के दौरान जो भी लाभ लिया गया उसकी

प्रदीप सिंह, अध्यक्ष
बिहार जीविका कैडर संघ

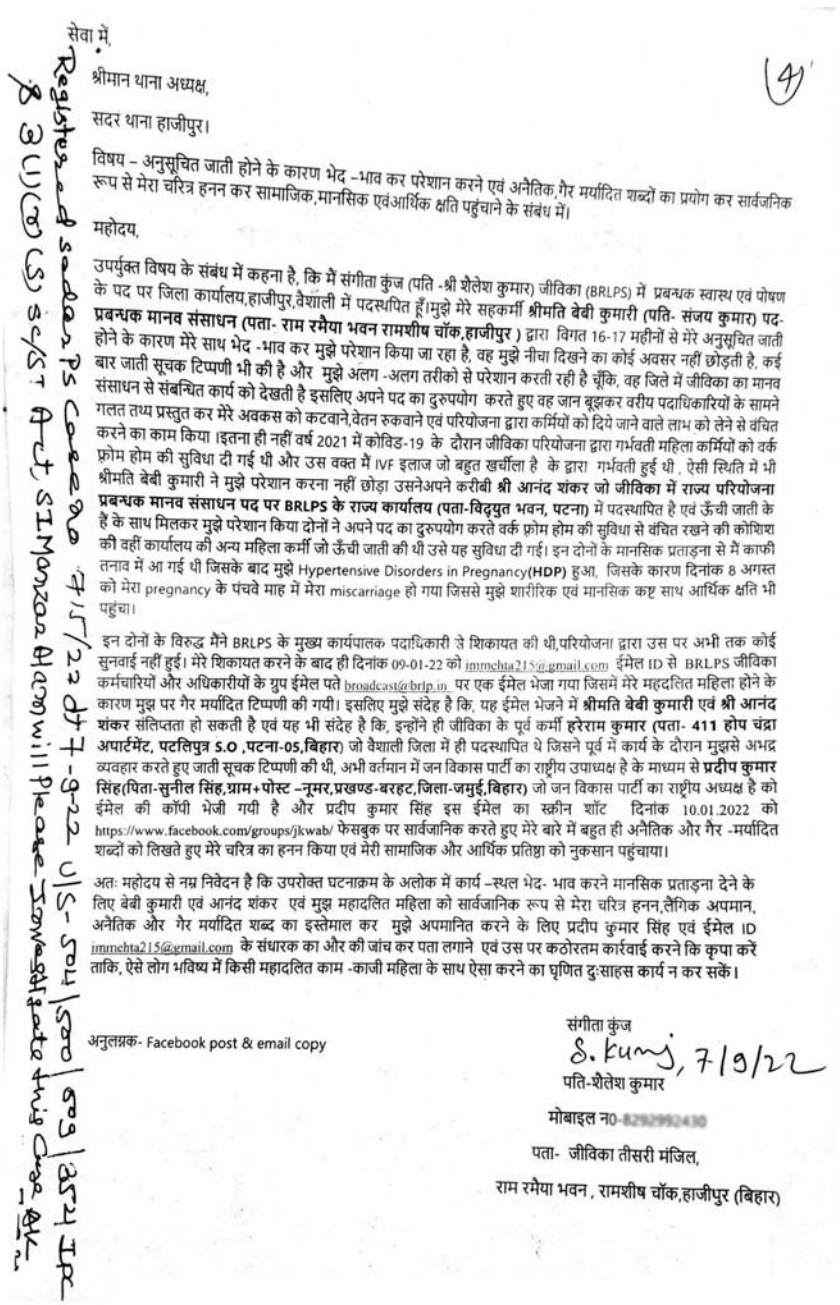

सेवा में,

श्रीमान थाना अध्यक्ष,

सदर थाना हाजीपुर।

विषय – अनुसूचित जाती होने के कारण भेद –भाव कर परेशान करने एवं अनैतिक,गैर मर्यादित शब्दों का प्रयोग कर सार्वजनिक रूप से मेरा चरित्र हनन कर सामाजिक,मानसिक एवंआर्थिक क्षति पहुंचाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है, कि मैं संगीता कुंज (पति -श्री शैलेश कुमार) जीविका (BRLPS) में प्रबन्धक स्वास्थ एवं पोषण के पद पर जिला कार्यालय,हाजीपुर,वैशाली में पदस्थापित हूँ।मुझे मेरे सहकर्मी **श्रीमति बेबी कुमारी (पति- संजय कुमार) पद-प्रबन्धक मानव संसाधन (पता- राम रमैया भवन रामशीष चॉक,हाजीपुर)** द्वारा विगत 16-17 महीनों से मेरे अनुसूचित जाती होने के कारण मेरे साथ भेद -भाव कर मुझे परेशान किया जा रहा है, वह मुझे नीचा दिखने का कोई अवसर नहीं छोड़ती है, कई बार जाती सूचक टिप्पणी भी की है और मुझे अलग -अलग तरीको से परेशान करती रही है चूँकि, वह जिले में जीविका का मानव संसाधन से संबन्धित कार्य को देखती है इसलिए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वह जान बूझकर वरीय पदाधिकारियों के सामने गलत तथ्य प्रस्तुत कर मेरे अवकस को कटवाने,वेतन रुकवाने एवं परियोजना द्वारा कर्मियों को दिये जाने वाले लाभ को लेने से वंचित करने का काम किया ।इतना ही नहीं वर्ष 2021 में कोविड-19 के दौरान जीविका परियोजना द्वारा गर्भवती महिला कर्मियों को वर्क फ्रोम होम की सुविधा दी गई थी और उस वक्त मैं IVF इलाज जो बहुत खर्चीला है के द्वारा गर्भवती हुई थी , ऐसी स्थिति में भी श्रीमति बेबी कुमारी ने मुझे परेशान करना नहीं छोड़ा उसनेअपने करीबी **श्री आनंद शंकर जो जीविका में राज्य परियोजना प्रबन्धक मानव संसाधन पद पर BRLPS के राज्य कार्यालय (पता-विद्युत भवन, पटना)** में पदस्थापित है एवं ऊँची जाती के हैं के साथ मिलकर मुझे परेशान किया दोनों ने अपने पद का दुरुपयोग करते वर्क फ्रोम होम की सुविधा से वंचित रखने की कोशिश की वहीं कार्यालय की अन्य महिला कर्मी जो ऊँची जाती की थी उसे यह सुविधा दी गई। इन दोनों के मानसिक प्रताड़ना से मैं काफी तनाव में आ गई थी जिसके बाद मुझे Hypertensive Disorders in Pregnancy(**HDP**) हुआ, जिसके कारण दिनांक 8 अगस्त को मेरा pregnancy के पंचवे माह में मेरा miscarriage हो गया जिससे मुझे शारीरिक एवं मानसिक कष्ट साथ आर्थिक क्षति भी पहुंचा।

इन दोनों के विरुद्ध मैंने BRLPS के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से शिकायत की थी,परियोजना द्वारा उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे शिकायत करने के बाद ही दिनांक 09-01-22 को immehta215@gmail.com ईमेल ID से BRLPS जीविका कर्मचारियों और अधिकारीयों के ग्रुप ईमेल पते broadcast@brlp.in पर एक ईमेल भेजा गया जिसमें मेरे महदलित महिला होने के कारण मुझ पर गैर मर्यादित टिप्पणी की गयी। इसलिए मुझे संदेह है कि, यह ईमेल भेजने में **श्रीमति बेबी कुमारी एवं श्री आनंद शंकर** संलिप्तता हो सकती है एवं यह भी संदेह है कि, इन्होंने ही जीविका के पूर्व कर्मी **हरेराम कुमार (पता- 411 होप चंद्रा अपार्टमेंट, पटलिपुत्र S.O ,पटना-05,बिहार)** जो वैशाली जिला में ही पदस्थापित थे जिसने पूर्व में कार्य के दौरान मुझसे अभद्र व्यवहार करते हुए जाती सूचक टिप्पणी की थी, अभी वर्तमान में जन विकास पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है के माध्यम से **प्रदीप कुमार सिंह(पिता-सुनील सिंह,ग्राम+पोस्ट –नूमर,प्रखण्ड-बरहट,जिला-जमुई,बिहार)** जो जन विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है को ईमेल की कॉपी भेजी गयी है और प्रदीप कुमार सिंह इस ईमेल का स्क्रीन शॉट दिनांक 10.01.2022 को https://www.facebook.com/groups/jkwab/ फेसबुक पर सार्वजानिक करते हुए मेरे बारे में बहुत ही अनैतिक और गैर -मर्यादित शब्दों को लिखते हुए मेरे चरित्र का हनन किया एवं मेरी सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।

अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त घटनाक्रम के अलोक में कार्य –स्थल भेद- भाव करने मानसिक प्रताड़ना देने के लिए बेबी कुमारी एवं आनंद शंकर एवं मुझ महादलित महिला को सार्वजानिक रूप से मेरा चरित्र हनन,लैंगिक अपमान, अनैतिक और गैर मर्यादित शब्द का इस्तेमाल कर मुझे अपमानित करने के लिए प्रदीप कुमार सिंह एवं ईमेल ID immehta215@gmail.com के संधारक का और की जांच कर पता लगाने एवं उस पर कठोरतम कार्रवाई करने कि कृपा करें ताकि, ऐसे लोग भविष्य में किसी महादलित काम -काजी महिला के साथ ऐसा करने का घृणित दुःसाहस कार्य न कर सकें।

अनुलग्नक- Facebook post & email copy

संगीता कुंज
S. Kunj, 7/9/22
पति-शैलेश कुमार
मोबाइल न0-8292992430
पता- जीविका तीसरी मंजिल,
राम रमैया भवन , रामशीष चॉक,हाजीपुर (बिहार)

वसूली का आदेश जारी किया जाता है. अब सवाल यह उठता है कि अगर शैलेश कुमार गलत थे तो उनका सिलेक्शन जीविका में कैसे हुआ और जो कार्रवाई कई दिनों पहले करनी चाहिए था. ठीक एफ आई आर के बाद करने का क्या मतलब है क्या इसे बदले की कार्रवाई नहीं कहेंगे?

खैर! जीविका में इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप आम बात है क्योंकि जीविका एक बहुत ही बड़ी संस्था है लेकिन इसके अंदर व्याप्त अनियमितताएं वित्तीय भ्रष्टाचार इतने ज्यादा अधिक हैं कि सारी चीजें ऊपर से नीचे तक लीपापोती हो जाती हैं और अंत में जो जीविका के राज्य कार्यालय में बैठे हुए मठाधीश तय करते हैं होता वही है क्योंकि सारा खेल सारा संरचना भी उन्हीं का बनाया हुआ रहता है और जब उस संरचना में वे खुद फंसने लगते हैं तो उसे बहुत ही जल्द दूसरे छोटे कर्मचारियों को फंसा कर संरचना को बंद कर देते हैं। उसके कई उदाहरण हैं और इसके जीता जागता और तात्कालिक उदाहरण पूर्णिया का बैंक मित्र द्वारा लाखों रुपए का गबन का मामला है । क्योंकि इसमें भी दोषी

राज्य परियोजना प्रबंधक मानव संसाधन (एसपीएम-एचआर) आनंद शंकर से केवल सच के सवाल

☞ आनंद शंकर जी आप पर संगीता कुंज ने विभिन्न धाराओं में एफ आई आर क्यों किया?

☞ आनंद शंकर जी आप और वैशाली की एचआर बेबी कुमारी मिलकर संगीता कुंज को पिछले 16 से 17 महीनों से लगातार प्रताड़ित और परेशान क्यों कर रहे थे?

☞ आनंद शंकर जी आपने एक दलित वर्ग की महिला संगीता कुंज जी को जाति सूचक शब्द और अमर्यादित शब्द क्यों कहे?

☞ आनंद शंकर जी जब संगीता कुंज के पति शैलेश कुमार के खिलाफ समिति की रिपोर्ट 1 अगस्त 2022 को ही आपके पास आ गई थी तो फिर आप ने तत्काल प्रभाव से उन्हें उनके पद से हटाया क्यों नहीं ? आप किस लालच में शैलेश कुमार को पद से नहीं हटा रहे थे?

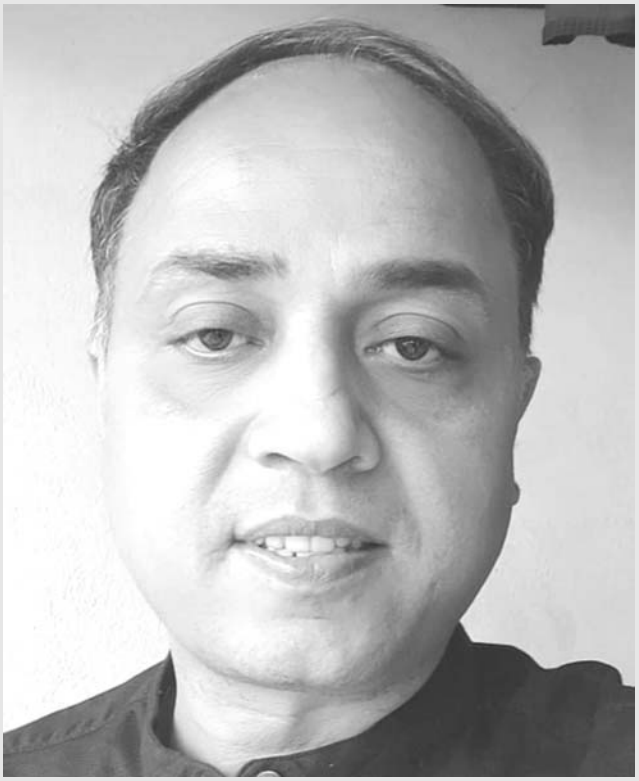

☞ आनंद शंकर जी जब संगीता कुंज ने 7 सितंबर 2022 को आप पर विभिन्न धाराओं में एफ आई आर दर्ज कराया तो आखिर क्यों उसके ठीक 1 हफ्ते बाद 14 सितंबर 2022 को आपने शैलेश कुमार को उनके पद से हटा दिया ? क्या यह बदले की भावना नहीं है ? आप जैसे गरिमापूर्ण पद पर बैठे हुए अधिकारी ही बदले और लालच की भावना रखेंगे तो जीविका परियोजना में सब कुछ ठीक कैसे हो पाएगा ?

☞ आनंद शंकर जी दिनांक 20 मार्च 2017 को रिफरेंस नंबर बीआरएलपीएस/पीएफ/4984 के अनुसार आशा कुमारी, पीएम-पी-ए ने भी एचआरडी मैनुअल पालन नहीं किया था फिर उन्हें तत्काल प्रभाव से जीविका से निष्कासित क्यों नहीं किया गया। और उनसे जीविका का पैसा रिफंड क्यों नहीं कराया गया ?

☞ आनंद शंकर जी पूर्व बीपीएम सौरव आनंद का भी अनुभव प्रमाण पत्र में गड़बड़ी थी उन्हें उनके पद से क्यों नहीं हटाया गया और उनसे जीविका का पैसा वापस रिफंड क्यों नहीं कराया गया। आखिर क्यों चोर दरवाजे से उनसे रिजाइन ले लिया गया, इसके पीछे क्या वजह है?

☞ आनंद शंकर जी लखीसराय की एच एन एस मैनेजर गुड़िया कुमारी पर भी उसके अनुभव प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी की कई सूचनाएं प्राप्त हुई फिर भी उसकी जांच अभी तक आपने क्यों नहीं कराई। जबकि इस संबंध में जीविका के निदेशक रामनिरंजन सिंह ने दिनांक 28 जून 2022 को पत्रांक बीआरएलपीएस/इ एस टी टी-एच आर/1932/22/1066 में पत्र निर्गत कर कहा की राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यरत सभी कर्मियों एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड परियोजना प्रबंधक का शैक्षणिक एवं कार्य अनुभव का सत्यापन राज्य कार्यालय एवं प्रखंड स्तर के विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मियों के शैक्षणिक एवं कार्यानुभव का सत्यापन जिला कार्यालय द्वारा कराया जाएगा।

☞ आनंद शंकर जी आप कब तक पूरे बिहार के जीविका के सभी अधिकारियों पदाधिकारी और कर्मियों की शैक्षणिक और कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यापन कर लेंगे।

☞ आनंद शंकर जी एक बात यह भी बताने की कृपा करें कि जब सभी अधिकारी पदाधिकारी और कर्मचारी जीविका द्वारा प्रदत कड़ी परीक्षा को पास करके आते हैं उसके बाद जीविका के ही लोगों के द्वारा उनका शैक्षणिक और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापित किया जाता है फिर किस प्रकार लगातार ऐसे गलत शैक्षणिक और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र वाले अधिकारी पदाधिकारी और कर्मचारी जीविका से निकल रहे हैं। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

☞ क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जो भी अधिकारी कर्मचारी शैक्षणिक एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन में गलत पाया जाए उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और साथ ही यह जांच किया जाए कि उस व्यक्ति के जॉइनिंग के समय इसके प्रमाण पत्रों की जांच किस व्यक्ति ने की है उसे भी जीविका से निष्कासित किया जाना चाहिए।

☞ अंत में एक और सवाल पूछना चाहेंगे आनंद शंकर जी आपसे कि अब आने वाले समय में क्या गारंटी है कि जो लोग जीविका में चुने जाएंगे या फिर जिन लोगों के प्रमाण पत्रों की जांच आप लोग करेंगे उनके शैक्षणिक और कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन सही ढंग से हो पाएगा?

☞ आनंद शंकर जी क्या आप इमानदारी पूर्वक यह वादा करेंगे की इन प्रमाणपत्रों की जांच के बाद फिर भी अगर किसी अधिकारी और कर्मचारी के प्रमाण पत्रों में गलती पाई जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए आप खुद जीविका से त्यागपत्र दे देंगे और आप अगर इसमें गलत पाए जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए।

कोई और है और आरोपी किसी और को बनाया गया है खैर इसकी भी पड़ताल हमारी रिसर्च टीम कर रही है बहुत जल्द इसके 1-1 काले पन्ने को हम केवल सच पर उजागर करेंगे।

पुनः हम अपने टाइटल पर आते हैं और आपको यह बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया की पड़ताल हमने किस प्रकार की और किसने क्या-क्या कहा। जब यह मामला हमारे सामने आया तो सबसे पहले एफ आई आर करने वाली वैशाली जिले की एच एन एस मैनेजर संगीता कुंज से फोन के माध्यम से हमने उक्त विषय में जानकारी लेनी चाही परंतु उन्होंने इस बारे में कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया। उसके बाद फिर हमने एसपीएम-एचआर आनंद शंकर से बात की और इस एफ आई आर से संबंधित जानकारी पूछी तो उन्होंने कहा कि वे इस जवाब को देने के लिए जिम्मेवार अधिकारी नहीं है। फिर हमने वैशाली जिले की एचआर बेबी कुमारी से बात की तो उन्होंने कहा कि ''संगीता जी ने जो एफ.आई.आर. किया है और डीएसपी सर के द्वारा जो जानकारी आई है वह मेरे लिए अचंभित करने वाली है। कुछ चीजें हैं जो ऑफिस में होते हैं और कुछ रूल ऑफिस डेकोरम में सबको फॉलो करना पड़ता है। यहां कार्यालय में कोई भी चीज वर्बल नहीं होती है सारी बातचीत ईमेल और फाइल के सहायता से की जाती है। यह सारी चीजें डॉक्युमेंटेड हैं फाइल पर हैं और देखा जा सकता है इसमें कहने को लिखने को लिखवाने को कोई कुछ भी लिखवा ले लेकिन फाइल भी बोलती है और इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी।'' उसके बाद वैशाली जिले के महनार के पूर्व बीपीएम हरेराम से बात हुई। उन्होंने कहा कि ''मैं तो खुद अति पिछड़ी जाति से आता हूं। 4 साल पहले 2019 में ही मैंने जीविका छोड़ी उसके बाद में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने लगा तथा जन शक्ति विकास पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर कार्य कर रहा हूं। मैं सामाजिक व्यक्ति हूं । मैं खुद धानुक जाति से आता हूं जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित है। मेरे द्वारा आज तक किसी भी व्यक्ति को या संगीता जी को अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, न ही मेरे द्वारा किसी प्रकार से इन्हें हानि दी गई है। मेरा मानना है कि समाज में अत्यंत पिछड़ावर्ग सबसे पिछड़ा है वह क्या दूसरों पर उंगली उठाएगा।'' फिर हमने बिहार जीविका कैडर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी से बात की तो उन्होंने कहा कि ''मेरे ऊपर लगाएं गए आरोप दुर्भावना से प्रेरित और दुर्भाग्यपूर्ण है। जो व्यक्ति पिछले 7-8 बर्षो से बिहार के लाखों-करोड़ों दलितों-पिछड़ों के हक व अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हो उस पर ही दलित उत्पीड़न का आरोप समझ से परे है। ये पूरी तरह से जीविका राज्य कार्यालय में बैठे नकारात्मक मानसिकता वाले पदाधिकारियों की साजिश है जो चाहते है कि दलितों-पिछड़ों की आवाज न उठे। साथ ही जीविका में व्याप्त भ्रष्टाचार की आवाज बुलंद करने वाले कि आवाज सदा के लिए बंद हो जाये।'' इसके बाद उक्त मुद्दे पर हमने जीविका के सबसे बड़े अधिकारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीईओ) राहुल कुमार जी से भी बात की उन्होंने कहा कि ''जीविका का इस पर कोई पक्ष नहीं है। व्यक्तिगत कैपेसिटी में वह केस हुआ है। वैसे मैंने जांच के लिए एक 3 सदस्य की टीम बनाई है। जो जाकर वहां पर अनुशासनहीनता या बाकी चीजों के बारे में जांच करेगी।'' सबसे अंत में कानून का पक्ष जानने के लिए हमने वैशाली सदर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल सुपरविजन नहीं निकला है बाकि केश का डिटेल आप आई. ओ. से ले लीजिए किन्तु केश के आई.ओ. मंजार आलम कई बार बात करने के बाद भी संतुष्ट और स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

बेबी कुमारी
एच.आर. मैनेजर, वैशाली

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट निकल कर आता है कि जीविका के अधिकारियों में भी गुटबाजीयां होती हैं। आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता है। पीड़ितों, पिछड़ों कमजोर लोगों को दबाने का

बालामुर्गन डी

सबसे बड़ा अड्डा अभी जीविका बना हुआ है। हमारी लड़ाई बिहार के आम जनमानस और अत्यंत गरीबी में भी अपने जीतोड़ मेहनत और लगन करके स्वयं को, जीविका को और बिहार को सुदृढ़ करने वाली जीविका दीदीयों को समर्पित है। परंतु अगर जीविका में इसी प्रकार से अधिकारी लाखों लाख रुपया सैलरी लेने के बाद भी आपस में लड़ते रहे झगड़ते रहें, एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप मढ़ते रहें और सभी चीजों को धृतराष्ट्र की भांति जीविका के सीईओ मुख दर्शक बनकर देखते रहे तो जीविका संगठन का काम प्रभावित होगा और उनके काम प्रभावित होने से बिहार के गरीब जीविका दीदियों से हकमारी की जाएगी। गरीब जीविका दीदियों का रोजगार प्रभावित होगा फलःस्वरूप लोगों में माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका के प्रति विश्वास कम होगा। जिससे बिहार की छती होगी। इसलिए केवल सच अपने दायित्वों को समझती है और हम लगातार जीविका में फैले हुए भ्रष्टाचार अनियमितताएं और अब इस प्रकार के आपसी विवाद से संबंधित खबरें प्रमुखता से दिखाते रहते हैं ताकि बिहार के गरीबों को उनका हक मिले उनका अधिकार मिले और जीविका सही मायने में बिहार सरकार की एक सशक्त गरीबी उन्मूलन करने वाली संस्था बन सके। ●

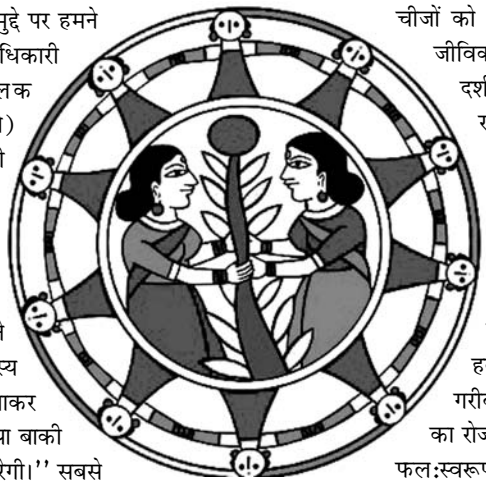

खूनी वारदात कब तक ?

बिहार खुद को बदलने की चाह लिये 1990 से लगातार छटपटा रहा है। हाँ, यह भी सच है कि आजादी के बाद से ही बिहार में बढ़ते अपराध एवं अपराधियों का तांडव की शुरूआत हो चुकी थी। दिगर बात है कि बिहार में अपराध का होना कोई नयी बात नहीं है। 1990 से 2005 तक चली लालू-राबड़ी की सरकार की सबसे ज्यादा जगहसाई अपराधिक गतिविधियों के कारण ही होती रही है और जंगलराज के नामकरण से ख्याति भी मिली। इसी अपराध को मुद्दा बनाकर एनडीए ने लालू कुनबे को राजनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा घेरती रही है और नतीजा यह हुआ कि वर्ष 2005 के नवंबर से लगातार सत्ता से बेदखल भी किया। दूसरी तरफ अपराध पर नियंत्रण के लिए ही बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर आंख मूंदकर भरोसा किया और ऐसा भरोसा किया कि सुशासन के लिए नीतीश कुमार का कोई दूसरा विकल्प आज तक नहीं बन पा रहा है। जबकि 2012 के बाद अपराधिक गतिविधियों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ, लेकिन सुशासन के विज्ञापनरूपी माहौल ने जघन्य अपराधों पर भी परदा डालने का काम किया और इन्ही कारणों से मीडिया के सुर्खियों में अपराधिक वारदात पर नियंत्रण दिखता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। बिडम्बना है कि सत्ता के सिंघासन पर नीतीश कुमार और मोदी का साथ जब-जब रहता है, उस वक्त की अपराधिक घटनाएं किसी न किसी रूप में छुपा ली जाती है और दूसरी ओर विपक्ष इसे सार्वजनिक करने में असफल साबित होता है। किन्तु जब वही नीतीश कुमार, लालू के साथ सत्ता में आते हैं तो उस वक्त की अपराधिक घटनाएं सुर्खियां बंटोरने लगती है, साथ ही अपराधिक घटनाओं की चर्चा हर जुबां पर होने लगता है। सच्चाई यह है कि अपराधिक घटनाओं में कमी ना तो एनडीए की सरकार में आयी और ना ही महागठबंधन की सरकार में। बस अपराधिक घटनाओं का एक्सपोजर कभी होता है, कभी नहीं। गौरतलब है कि बढ़ते अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का सोशल मीडिया पर हावी होना और अपने काम के प्रति उदासीन होना इसे कहा जा सकता है। अपराधी भी महसूस करते हैं कि पुलिस काम से ज्यादा दिखावे में विश्वास करते हैं। ये पुलिस अधिकारी अपराध नियंत्रण के बजाये समाज के बदलाव में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं तथा साहित्यकार की भूमिका में आलेख पर आलेख लिख रहे हैं। अधिकांशत: आईपीएस किसी फिल्म अभिनेता की तरह समाज में खुद को परोस तो रहे हैं, पर यह भूल जाते हैं कि यह तीन घंटे का रील लाइफ नहीं, बल्कि रियल लाइफ है और यही कारण है कि अपराधियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है एवं पुलिस की साख गिरती जा रही है। बहरहाल, जिस तरह से बिहार की राजधानी सहित अन्य जिलों की धरती खून की होली खेल रही है, वह रूकने का नाम नहीं ले रही। वही दूसरी ओर प्रदेश की जनता के बीच कौतुहल है कि अपराध पहले ज्यादा हो रहे थे कि नीतीश के साथ फिर से महागठबंधन की सरकार आने के बाद से बढ़ रहे हैं। इन तमाम सवालों पर हर एक अपराध पर गंभीरता से पुलिस महकमे व सरकार के बीच बढ़ते अपराध पर समीक्षा करने के बजाये क्वीक एक्शन की जरूरत को लेकर प्रस्तुत है पत्रिका के संयुक्त संपादक **अमित कुमार** के साथ **सागर कुमार** की अपराध पर समीक्षात्मक रिपोर्ट :-

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आठवीं बार मुख्यमंत्री बनने पर यह उम्मीद बिहारवासियों में जगी थी कि बिहार में शायद अपराध कम हो जाए। बिहार का आम जनमानस अपने मुख्यमंत्री का गठबंधन से महागठबंधन में सम्मिलित होने को लेकर इस प्रकार आशान्वित था कि शायद बिहार में आए दिन जो अपराध हो रहे हैं आए दिन हत्याएं, लूटपाट, चोरी-डकैती, मारपीट, साइबर अपराध, महिलाओं का शोषण, रेप इत्यादि घटनाएं कम हो जाएंगी, परंतु बिहार में अपराध चरम पर है और अपराध को रोकने की जिम्मेवारी जिस गृह विभाग के पास होती है, वह गृह विभाग शुरूआती दिनों से ही बिहार के सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है। बिहार में अपराध कोई नई बात नहीं है, परंतु जिस तरह से लगातार हर एक दिन, हर एक घंटे की रफ्तार से अपराधिक घटनाएं हो रही है वह राष्ट्रीय स्तर की चर्चा की विषय बन गई है। बेगूसराय गोलीकांड, हाजीपुर गोलीकांड, आरा गोलीकांड, समस्तीपुर गोलीकांड, पटना के बिहटा में बालू माफियाओं के बीच मुठभेड़, जमुई में पत्रकार की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, पूर्वी चंपारण के अनुमंडल अदालत के ठीक बाहर एक कर्मचारी को गोली मारना, पटना के गौरीचक में सीएम के खाली काफिला पर हमला, पटना के पीरबहोर थाने के भीतर एक पूर्व वार्ड पार्षद द्वारा थानाप्रभारी को अपशब्द कहने के साथ ही डीएसपी के कॉलर तक पकड़ लेने जैसे जघन्य अपराध इत्यादि शामिल है। यहां पर हम बिहार में हुए कुछ ऐसे ही और अपराधिक घटनाक्रमों की विस्तारपूर्वक चर्चा कर रहे हैं :-

✯ हत्या :-

☞ नवादा के कौवाकोल थाना क्षेत्र के उत्तरी धमनी में जमीन विवाद को लेकर युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि शंकर चौधरी का 25 वर्षीय पुत्र प्रमोद चौधरी बाथरूम के लिए घर से बाहर निकला था, उसी दौरान दो बाइक पर पांच की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने प्रमोद को पकड़कर गला रेत दिया और फिर मौके से फरार हो गए। युवक के चिल्लाने की आवाज के बाद घर से बाहर निकले तो देखा की गाड़ी से पांच की संख्या में लोग भाग रहे थे। जिसके बाद आनन-फानन में प्रमोद को अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने प्रमोद को मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई अपने इंजीनियर चाचा मिथिलेश चौधरी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।

☞ बेगूसराय में मामूली बात को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर एक ही परिवार के आधे दर्जन से अधिक लोगों की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। जिसमें दिव्यांग युवक समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बलिया उत्तरी वार्ड 5 की है। घायलों की पहचान उपेंद्र सहनी, सिकंदर सहनी, कारे लाल सहनी, अजीत सहनी, जितेंद्र सहनी और कला देवी के रूप में की गई। पीड़ित पक्ष ने पड़ोस के

ही रहने वाले राजेंद्र यादव पर मारपीट का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि उपेंद्र सहनी का अपने ही चचेरे भाई से मामूली बात को लेकर विवाद चल रहा था। इतने में ही राजेंद्र यादव वहां पहुंचा और पीड़ित पक्ष से बकझक करने लगा और देखते ही देखते राजेंद्र यादव उग्र हो गया और पिटाई शुरू कर दी।

☞ भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र के धनकर के समीप अपराधियों ने ई रिक्शा चालक की गला रेतकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। बगीचे में सुबह लोगों ने शव को देखा तो परिजनों और पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतक की पहचान तातारपुर थाना क्षेत्र के कृष्ण सिंह के बेटे 32 वर्षीय देव कुमार के रूप में हुई। घटना स्थल के पास चार चक्का वाहन के टायर के निशान मिले। परिजनों के मुताबिक शाम चार बजे उससे बात हुई थी-उसके बाद जब 11 बजे रात तक घर नहीं लौटे तो फिर फोन किया, लेकिन फोन बंद बताया जाने लगा। रात में खोजकर फिर सब घर चले गए और सुबह सूचना मिली कि शव मिला है। मृतक के शरीर पर कई जगह हमला हुआ है जख्मो के निशान है, ई रिक्शा भी गायब है।

☞ सुपौल जिले के बीरपुर थाना इलाके के परमानंदपुर गांव के वार्ड नंबर 5 में 20 वर्षीय शादीशुदा पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद हो जाने के उपरांत पत्नी घर से निकल कर पड़ोस में चली गई तो पति ने पड़ोसियों से उलझना शुरू कर दिया। जिस दौरान पड़ोसियों से पति की मारपीट में उसकी मौत हो गई। इधर मृतक के पिता के बयान पर बीरपुर थाना में पांच नामजद पड़ोसियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुपौल सदर अस्पताल भेजा। दरअसल, 20 वर्षीय मोहम्मद सद्दाम की पत्नी मोमिना खातून से घरेलू विवाद हो गया था। इस दौरान मोहम्मद सद्दाम ने अपनी पत्नी को दो-चार थप्पड़ भी लगा डाला था। जिससे गुस्से में आकर पत्नी मोमिना खातून पड़ोस में रहने वाले परवेज भाट के यहां चली गई। जिसे देख रहे दूसरे पड़ोसी ने वकील भाट, मुख्तार भाट पति-पत्नी के विवाद को लेकर देखने लगे थे। जिसे लेकर मोहम्मद सद्दाम ने उन लोगों को कहा की तमाशा बना के रख दिए हैं। बार-बार पति पत्नी के लड़ाई को देखने आ जाता है। इसी बात पर पड़ोसी वकील भाट, मुख्तार भाट से मोहम्मद सद्दाम उलझ गया। इस दौरान पड़ोसियों से मारपीट में जख्मी मोहम्मद सद्दाम की मौत हो गई।

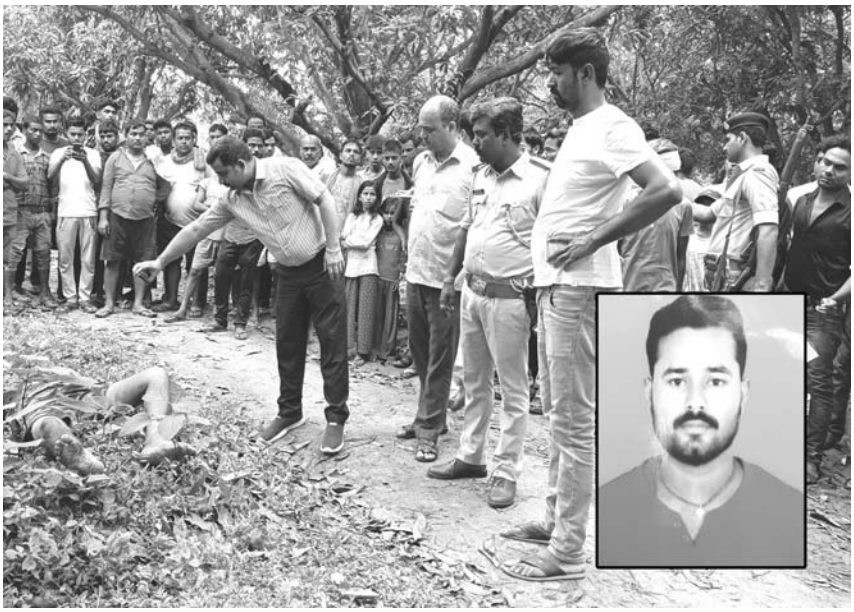

☞ राजधानी पटना से सटे बिहटा के दियारा इलाके में बालू खनन को लेकर दो गुटों में भिड़त हो गई। दोनों पक्षों की ओर से सैकड़ों राउंड गोली चलाई गई। मौके से खोखा बरामद किया गया। इसमें पांच लोगों की मौत की खबर भी आयी। बताया जाता है कि पटना जिले के सोन तटवर्तीय इलाके अमनाबाद और कटेसर में अवैध बालू खनन के वर्चस्व को लेकर यह घटना हुई थी। गोलीबारी की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। जानकारी के अनुसार, अमनाबाद बालू घाट पर बालू के अवैध खनन को लेकर दो गुटों में वर्चस्व को लेकर गोलियां चलीं थी। घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव की तलाश में जुट गई। बताया जा रहा है कि बालू के वर्चस्व को लेकर दो गुटों के बीच यहां आए दिन गोलीबारी होती रहती है। बालू माफिया किसानों के खेतों से फसल भी जबरन काट लेते है। सुबह दो गुट आमने-सामने हो गए और दोनों पक्षों की ओर से जमकर गोलीबारी हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के थानों की पुलिस घटनास्थल पहुंची। पुलिस सोन नदी में नाव के जरिए शव की तलाश करने में जुटी रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि मनेर थाना और बिहटा थाना की पुलिस बालू माफिया से मोटी रकम

वसूली में लगी रहती है। कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। बता दें कि बिहार में बालू के खनन पर एनजीटी और राज्य सरकार ने पिछले 3 माह से रोक लगा रखी है, इसके बावजूद यहां खनन माफिया खनन करते रहते हैं।

बिहार का 'पीला सोना' यानि बालू को लेकर आए दिन होने वाली झड़प, वर्चस्व की लड़ाई और गुटबाजी, जिसमें बालू माफिया शामिल होते हैं। पटना से सटा पालीगंज अवैध बालू खनन माफिया का गढ़ माना जाता है, जो वर्चस्व के लिए बात-बात पर फायरिंग करते हैं। नदी के गर्भ में 'पीला सोना' यानि बालू। नदी के चारों ओर बालू के रूप में पसरी सुनहरी चादर। चादर पर कब्जे के लिए स्थानीय बालू माफिया में चलने वाली वर्चस्व की लड़ाई। खूनी गुटबाजी। खुद को सुपर साबित करने की होड़। जी हां, ये पटना से सटे पालीगंज के लिए आम बात है। जहां आए दिन बात-बात पर दो गुट हथियार लेकर आमने-सामने होते हैं। उसके बाद किसी की गोद सुनी होती है। किसी का सुहाग उजड़ता है। बाकी रह जाती है बालू की भूख। जो कभी दोनों गुटों को शांत नहीं रहने देती। बालू के अवैध खनन के खेल में आधिपत्य की जंग प्रमुख होती है। एक तरफ सरकार की ओर से बालू के खनन और उठाव पर रोक है। माफिया ऐसा नहीं मानते। उनके लिए बालू पर कब्जा स्टेट्स सिंबल की तरह है। जिसके लिए दोनों गुट मरने-मारने पर उतारू हो जाते हैं। बिहार में बालू तस्कर बेखौफ होकर अब बालू घाटों पर वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। कहते हैं कि सोन के बालू पर वर्चस्व को लेकर फौजिया गिरोह और सिपाही गिरोह की लड़ाई काफी पुरानी है। जब सोन नदी के सुनहरे रेत के काले कारोबार की बात सामने आएगी तो दो गुटों का नाम हमेशा सामने आता है-फौजिया गुट और सिपाही गुट। बताया जा रहा है कि बालू घाट पर वर्चस्व को लेकर इन्हीं दो गुटों में गोलीबारी हुई थी। बालू के इस धंधे में यहां कब्जे की लड़ाई में पहले से फौजिया और सिपाही गिरोह ही आमने-सामने होते थे, लेकिन करोड़ों के इस काले कारोबार में अब कुछ और गिरोह सक्रिय हो गये हैं। वही बता दें कि बीते अगस्त माह में बिहटा के अमनाबाद में ही दोनों गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, जिसमें 15 पोकलेन मशीनें फूंक दी गयी थी। मनेर से लेकर कोइलवर तक का दियारा इलाका बेहद दुर्गम है और इसका लाभ बालू माफियाओं को मिलता है। काले कारोबार की कहानी घने अंधेरे रात में अधिक लिखी जाती है। क्योंकि पुलिस भी रात में यहां आने से परहेज करते हैं। बीते दिनों गोलीबारी में जितने खोखे मिले, उससे ये मालूम होता है कि इन गिरोह के पास ए.के.-47 जैसे हथियार भी है। दोनों गुट बालू पर वर्चस्व कायम करने के लिए मजदूरों की जिंदगी से भी खेलते हैं। इन दोनों गुटों में आए दिन गोलीबारी की घटना आम बात है। इलाके में गोली की आवाज सुनने के बाद कोई बच्चा चौंकता नहीं है। लोग अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं। उनके लिए गोली चलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये स्थिति तब है, जब पूरी सरकार इस इलाके के बगल में विराजती है। हाल के दिनों में मनेर के सुवरमरवा और बिहटा का अमनाबाद बालू घाट चर्चा के केंद्र में रहा। इन दोनों घाटों पर आए दिन गोलीबारी होती रहती है। सिपाही गुट की ओर से हाल में वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें कई लोग मरे थे। स्थानीय लोग नाम नहीं बताने की शर्त पर कहते हैं कि गोलीबारी में लोग मरते हैं। उनके शवों को दोनों गुट गायब कर देता है। बालू में गाड़ देता है। ग्रामीण मानते हैं कि प्रशासन सिर्फ बालू की खुदाई करे, तो नरकंकाल के ढेर लग जाएंगे। गोलीबारी के बाद मरने वालों के शव को सावधानी से ठिकाने लगाया जाता है। स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। भनक लगने के बाद भी पुलिस का मुंह बंद कर दिया जाता है। स्थानीय लोग डंके की चोट पर कहते हैं। बिहटा और मनेर इलाके में अवैध खनन को लेकर पुलिस बिल्कुल गंभीर नहीं है। पुलिस की नाक के नीचे धंधेबाज बालू लदे ट्रक और ट्रैक्टर निकाल ले जाते हैं। पुलिस देखती रह जाती है। पुलिस के नजरअंदाज करने के पीछे भी कई बातें हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बालू माफिया से डर और उनलोगों की पैरवी के आगे पुलिस नतमस्तक हो जाती है।

सूत्रों की माने तो बिहटा थाना क्षेत्र के अमनाबाद से श्रीराय गुट और सिपाही राय का गुट एक तीसरे गुट से टकरा गया। ये तीसरा गुट था सूरज नारायण राय, शत्रुघ्न राय, मनोहर गोप और मुकेश सिंह गुट। तीनों गुटों में जमकर गोलीबारी हुई। इसी गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि ये कोई नई बात नहीं है। इस गोलीबारी में मरने वाले सभी मजदूर हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस सिर्फ बड़ी घटना होने के बाद इलाके में आती है। जब मरने वालों की संख्या एक से ज्यादा हो। स्थानीय लोगों के मुताबिक अमनाबाद बालू घाट पर सिपाही राय गुट और सूरज नारायण गुट एक दूसरे से कम नहीं हैं। दोनों गुट कभी पीछे नहीं हटते हैं। चाहें कितनी भी लाशें गिर जाए।

☞ अपराध को दस्तक देती एक और निर्मम एवं सरकार को शर्मसार कर देने वाली घटना ने बिहार सहित पूरे देश में तब हड़कंप मचाकर रख दिया, जब बेगूसराय में दो बंदूकधारी करीब 30 किलोमीटर के क्षेत्र में 5 थानों से गुजरते हुए 40 मिनट में दो नेशनल हाईवे पर सैकड़ों राउंड गोलियां बरसाकर 11 लोगों को गोली मार दी और पुलिस सोती रही। बेगूसराय के बछवारा थाना क्षेत्र के गोधना क्षेत्र में शाम को करीब साढ़े पांच बजे हुई इस गोलीबारी में 31 साल के चंदन कुमार की मौत हो गई। इस मामले ने भी बिहार पुलिस की बहुत किरकिरी कराई विपक्ष ने सवाल उठाए। देशव्यापी चर्चा होने लगी, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सामने आए और घटना की जांच त्वरित करने के आदेश पारित किए। डीआईजी ने इस मामले में अपराधियों की जानकारी देने वाले को 50 हजार रुपये इनाम का भी ऐलान किया। वहीं गोलीबारी की इस घटना को लेकर कड़ी आलोचना होने के बाद नीतीश सरकार ने जिम्मेदार सात पुलिसकर्मियों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया। मामले में आंखों देखा लोगों ने बताया कि जैसे ही गोलीबारी शुरू होती है निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी विशाल कुमार (26) हाईवे पर गिर जाते हैं। आसपास के लोग जब उनतक पहुंचते हैं, बाइक सवार हमलावर आगे बढ़ जाते हैं। इससे 10 कदम दूर फिर फायरिंग होती है। गोली लगती है चंदन कुमार को और इनकी भी मौत हो जाती है। यह सिलसिला 40 मिनट तक चलता है। नेशनल हाईवे 28 से 31 तक 30 किलोमीटर के बीच 5 जगह बाइक सवारों ने गोलियां बरसाई। 11 लोगों को गोली लगी। लोगों ने कहा-एक बदमाश बाइक चला रहा था तो पीछे बैठा दूसरा शख्स जिसे मन किया, गोली मारता रहा। वहीं, मल्हीपुर चौक पर पान की दुकान पर बैठे युवक ने कहा कि उसने देखा कि तीन बाइक से बदमाश आए थे। हालांकि बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि गोली मारने वाले चार बदमाश थे और वे दो बाइक पर सवार थे।

☞ बेगूसराय गोलीकांड की आँच अभी कम नहीं हुई थी कि वैशाली में भी हुई बेगूसराय जैसी गोलीकांड हो गयी। वैशाली में बाइक सवार अपराधी हाजीपुर मरई रोड पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए पासवान चौक की तरफ भाग गए। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

☞ एक मामला आरा (भोजपुर जिला) के मझुपुर गांव का है। जहां हथियारबंद बदमाशों ने युवक को गोली मारी। दूसरी तरफ आरा में ही बर्थडे पार्टी के दौरान गोली मारी गई। टाउन थाना क्षेत्र के शिवपुर आनंद मोहल्ले में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब बर्थडे पार्टी के दौरान प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक 35 वर्षीय जितेंद्र उर्फ केबी नवादा थाना के जवाहर टोला निवासी शिव बालक प्रसाद का पुत्र बताया है। मृतक पहले से हथियार तस्करी और गोलीबारी समेत कई कांडों में आरोपित था। वर्तमान में प्रॉपर्टी डीलर और ठेकेदारी का काम करता था। अपराधियों ने उसके सिर और गर्दन के पास चार गोली मारी है।

☞ समस्तीपुर में अपराधियों ने ताबडतोड़ गोलियां बरसायी। अपराधियों की गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गयी। वहीं दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाने के मनियारपुर गांव की है। अपराधियों ने बाइक सवार दो युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसायी। इससे एक युवक की मौत वहीं हो गयी। अपराधियों की गोली से मरे युवक की पहचान कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर गांव के रंजीत चौधरी के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक गोपालपुर गांव का सुनील पासवान है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मनियारपुर गांव में बाइक दुर्घटना को लेकर विवाद हो गया था। रंजीत और सुनील उसी विवाद को सुलझाने मनियारपुर आये थे। वहां अपराधियों ने दोनों पर ताबडतोड़ फायरिंग की। रंजीत को अपराधियों की चार गोलियां लगीं और उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गयी, वहीं, सुनील को भी अपराधियों

ने गोली मारी। सुनील को स्थानीय लोग इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल ले गये, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर किया था।

☞ जमुई जिले के सिमुलतला थाना इलाके के गोपालामारन गांव में हुई इस घटना में एक हिंदी दैनिक के पत्रकार को गोलियों से छलनी कर दिया। इलाज के दौरान उसकी जमुई के सदर अस्पताल में मौत हो गई। पांच अपराधियों ने गोपालामारन गांव के पास पत्रकार पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और उसे गोलियों से छलनी कर दिया। अपराधियों ने पत्रकार गोकुल कुमार को एक गोली उसके कनपटी में, दूसरी सीने में और तीसरी गोली उसके पीठ में मारी। घटना की सूचना पर उसके परिवार वाले और सिमुलतला थानाध्यक्ष पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायल पत्रकार को इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता नागेन्द्र यादव ने कहा कि पंचायत चुनाव की रंजिश के कारण उसकी हत्या की गई है। पत्रकार गोकुल कुमार ने इस बार संपन्न हुए पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी को मुखिया पद के लिए प्रत्याशी बनाया था जो विरोधी खेमे को नागवार गुजरा और इस घटना को अंजाम दिया।

☞ मुंगेर जिला अंतर्गत सफियाबाद ओपी क्षेत्र के गौरीपुर गंगटी दुर्गा स्थान के समीप ड्यूटी जाने के दौरान एक रेलकर्मी की हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी। मृतक युवक की पहचान गौरीपुर गंगटी निवासी स्व० सहदेव तांती के पुत्र 40 वर्षीय बमबम कुमार के रूप में की गयी है। मृतक बमबम कुमार रेल कारखाना में कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि बमबम कुमार घर से ड्यूटी के लिए निकले थे। इसी दौरान रास्ते में घात लगाए 5 की संख्या में अपराधियों ने उनपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद घायल को परिजनों के द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

☞ भागलपुर में अपराधियों ने बेखौफ होने का परिचय दिया। हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार रोड पर अपराधी ने सरेशाम एक फेरीवाले युवक की गोली मार कर हत्या कर दी। 15 दिन पूर्व क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद व रंगदारी नहीं देने के कारण घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है। युवक को सीने में एक गोली मारने के बाद अपराधी दो हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गये। मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन मृतक को मायागंज अस्पताल भेजा। जहां

साइको हो गए हैं अपराधी, लगाम लगाएगा कौन?

बिहार में एक के बाद एक गोलीकांड और अंधाधुन फायरिंग होने की वजह से बिहार की जनता दहशत में है। बेगूसराय में 4 घंटे तक हुए फायरिंग के बाद मानो बिहार में इस प्रकार की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई। पटना गोली कांड ,आरा गोलीकांड, छपरा गोलीकांड मुजफ्फरपुर गोलीकांड , बेतिया गोलीकांड और अब फिर से पटना के मनेर में गोलीकांड। इस तरह की गोली कांडों को देखकर लगता है कि बिहार के अपराधी या तो साईको हो गए हैं या फिर उन्हें शासन और प्रशासन का कोई डर भय नहीं रह गया है। क्योंकि इस प्रकार की घटना तो बिहार के सबसे बुरे प्रशासनिक स्थिति वाले दिनों जिसे विपक्ष जंगलराज कहता है, में भी नहीं हुआ था और उसी जंगलराज को खत्म करने और बिहार में सुशासन लाने के वादे को लेकर सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी और यह सर्वविदित है कि शुरुआती दौर में नीतीश कुमार बिहार के बड़े बड़े अपराधियों खोया तो बिहार से बाहर भगा दिया या फिर उनका एनकाउंटर करवा दिया। उस समय तो नीतीश कुमार पर मानो चंड अशोक विद्यमान थे, क्योंकि जिस प्रकार चंड अशोक ने अपने सभी विरोधियों को कुचल कर उनकी हत्या कर दी उसी प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार के लगभग अपराधियों को ठंडा कर दिया था। और अपराधी बिहार में रहने से डरने लगे थे। परंतु पिछले कुछ सालों में बिहार का क्राइम रेट बढ़ा है जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हालांकि आंकड़ों में हेरफेर दिखा कर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने और डीजीपी बिहार एसके सिंघल ने बिहार में अपराध के ग्राफ को गिरा हुआ बताया। अब डीजीपी साहब को यह कौन बताएं कि बिहार में जिस प्रकार अपराधी साइको हुए घूम रहे हैं , बिहार का हर आम आदमी डरा हुआ है सहमा हुआ है। क्योंकि गोलीकांड की एक के बाद एक घटना होने पर बिहार की जनता पुलिस को इन लोगों के सामने बेबस हुए देख कर यह कह रही है कि आखिर इन साइको हुए अपराधियों पर लगाम लगाएगा कौन ?

डाक्टरों ने युवक की मौत की पुष्टि की। हबीबपुर के भतुआ बाड़ी मोमिन टोला निवासी मो सन्नी (30) अपने परिवार के साथ चमेलीचक के मोअज्जमचक में किराये के कमरे में रहता था। वह हर दिन तातारपुर से एक व्यापारी से कपड़े लेकर सुबह पांच बजे इंटरसिटी से मुंगेर जाता था, जहां फेरी का काम करने के बाद शाम में वापस भागलपुर लौट जाता था।

☞ मुजफ्फरपुर में 10वीं की छात्रा को बदमाशों ने कई दिनों तक गायब रखा और हत्या कर पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया। छात्रा अहियापुर थाना क्षेत्र के नजीरपुर की रहने वाली थी। उसका शव बोचहां थाना इलाके के माधवपुर में पाया गया।

☞ राजधानी पटना से सटे मनेर के एक निजी स्कूल की छात्र को बोलेरो सवार अपराधियों ने जबरन उठा लिया और बच्ची को बोलेरो से अगवा कर बदमाश भागने लगे। इसी दौरान आसपास के ग्रामीणों की नजर पड़ी। ग्रामीणों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया और बोलेरो का पीछा करने लगे। पीछा करने के बाद छात्र बेहोशी की हालत में दानापुर इलाके में मिली। जिसके बाद स्थानीय पुलिस की टीम को सूचना दी गई। छात्रा के पिता ने मनेर थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ पिता ने आवेदन में कहा कि मेरी बेटी दसवीं क्लास की छात्र सुबह में अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी तभी मनेर के पास पहले से घात लगाए बोलेरो सवार अपराधियों ने बच्ची को जबरन बोलेरो में बैठाया और उसे बेहोश कर दिया। आसपास के ग्रामीणों ने बोलेरो का पीछा किया तब मेरी बच्ची को दानापुर चांदमारी रोड में फेंक कर अपराधी भाग निकले। मेरी बच्ची बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जब बच्ची से बात की गई तो उसने बताया कि बोलेरो में सवार सभी अपराधी बात कर रहे थे कि उत्तरप्रदेश ले जाकर इसे बेच देंगे।

☞ बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना क्षेत्र के कोंदी स्टैंड में आपसी बर्चस्व को मारपीट और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। फायरिंग के बाद अपराधी पिस्टल लहराते फरार हो गये। अचानक हुये फायरिंग से ईलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है की बस स्टैंड में रसीद काटने को लेकर हुये विवाद में घटना को अंजाम दिया गया था। इस मारपीट की घटना में गौरव कुमार नामक एक युवक जख्मी हो गया, जिसे ईलाज के लिये अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। घायल गौरव ने बताया की राजकुमार और उसके समर्थको द्वारा फायरिंग की गई।

☞ पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में अंबेडकर हॉस्टल में छात्रों के ऊपर गोलीबारी की गई और पीएमसीएच डॉक्टर पर हमला किया गया। वही शाहपुर थाना क्षेत्र के युवक मनीष को अपराधी ने जिंदा ही जमीन में डाल दिया।

☞ राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना इलाके में लूटपाट के दौरान सेना के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक जवान अपने बेटे का एडमिशन कराने पटना आए थे। ओल्ड बायपास स्थित चंदन ऑटोमोबाइल्स के समीप अपराधियों ने लूटपाट के दौरान सेना के जवान बबलू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। मूल रूप से राघोपुर के चांदपुरा गांव के निवासी बबलू पाटलिपुत्र स्टेशन की ओर बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर उन्हे गोली मार दी।

☞ राजधानी पटना के पटना जंक्शन के पास बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल युवक की पहचान वैशाली जिले के राघोपुर निवासी ज्योतिष कुमार के रूप में हुई। युवक पटना जंक्शन के बाहर छोले-भटूरे का ठेले पर काम करता है। घटना के बारे में बताया जाता है कि युवक ज्योतिष कुमार दुकान पर काम करने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान बाइक सावर बदमाश दुकान पर पहुंचे और नाश्ता किया, दो रुपये कम देने पर ज्योतिष ने और पूरे पैसे मांगे। इसके बाद नाराज बदमाशों ने युवक को गोली मार कर घायल कर दिया। वहीं, घटना के बाद

आसपास के लोगों ने जब शोर मचाना शुरू किया तो, बदमाश मौके से हथियार लहराते हुए फरार हो गया। पटना में हुए हाल की घटना के बारे में बात करें तो बीते 11 अगस्त 2022 को दीदारगंज स्थित बुद्धा मोटर्स में बदमाशों ने लूटपाट करते हुए एक गार्ड की हत्या कर दी थी। इसके अलावे बीते 4 अगस्त को पटना सिटी में बहसबाजी के बाद अपराधियों ने एक युवक के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी।

☞ राजधानी पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र स्थित अटल पथ पर पानी टंकी के पास पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व मुखिया की पहचान नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र की नेहुसा पंचायत निवासी धीरज कुमार उर्फ लालजी के रूप में हुई। धीरज कुमार की पत्नी वर्तमान में मुखिया हैं। धीरज सिंह अपनी कार से जा रहे थे। बाहर से बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिससे उनकी मौत हो गई। परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

गौरतलब है कि हत्या और हत्या के प्रयासों की वारदात में लगातार वृद्धि हो रही है, किन्तु खबर लिखे जाने तक के हत्या के वारदात बिहार पुलिस और सूबे के मुखिया को आइना दिखाने के लिए काफी हैं।

✯ **लूट :-**

☞ राजधानी पटना के राजीव नगर से बैंक से

पैसा निकासी कर घर लौट रही महिला से बाइक सवार दो अपराधियों ने पैसे से भड़ा बैग झपट लिया। घटना की सूचना मिलते ही राजीव नगर थाने की पुलिस जांच के लिए पहुंची लेकिन बाइक सवार अपराधी फरार हो गए।

☞ पटना में एक अधिवक्ता के घर लाखों की चोरी वही राजीव नगर में 10 लाख की लूट की गई।

☞ पटना के बिहटा में एक साथ कई लोगों से मोबाइल और चेन की छिनतई हुई।

☞ मुजफ्फरपुर में आईआईसीआइ बैंक से 15 लाख की लूट हो गई।

☞ दरभंगा के समैला निवासी रहिका से रिटायर नर्स गिरिजा देवी 10 लाख रुपए की निकासी कर ऑटो से घर जा रही थी उसी दौरान नगर थाना क्षेत्र के भौआरा में बाइक सवार अपराधियों ने महिला के हाथ से 5 लाख रुपए से भरा झोला झपट कर भाग निकले।

☞ आरा में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक महिला से पांच लाख से भरा बैग लेकर रफूचक्कर हो गए।

☞ नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोढना रोड निवासी सुरेश प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी सुनैना देवी पकड़ी स्टेट बैंक से पांच लाख रूपए निकाल कर घर जा रहे थे तभी इनके साथ लूट की घटना हुई।

☞ मधेपुरा में दिनदहाड़े दो बाइक सवार बदमाशों ने महिला से सोने की चेन लूट कर फरार हो गए। घटना जिला मुख्यालय के विद्यापुरी मोहल्ले में हुई है। चेन स्नेचिंग की यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिस महिला से बदमाशों ने चेन लूटी है। जानकारी के मुताबिक अपाची मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने पहले महिला का पीछा किया और उसके बाद कुछ दूर आगे बढ़े-बदमाश फिर मुड़कर महिला की तरफ बढ़ने लगे। सामने से बाइक आने की वजह से दोनों महिला सड़क के बिल्कुल किनारे हो गई तभी बाइक पर पीछे बैठा बदमाश महिला के गले से चेन छीन कर फरार हो गया।

☞ मुजफ्फरपुर में हथियारबंद अपराधियों ने दिनदहाड़े एक घर में घुसकर डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया है- घटना सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज इलाके की है। ये घटना बालू-गिट्टी के व्यवसायी के घर पर हुई है। बताया जा रहा है कि घर पर व्यवसायी की 20 वर्षीय बेटी अपनी

बिहार पुलिस को अपराधियों से लगता है डर !

बिहार की राजधानी पटना के जिला और राज्य पुलिस मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर सिविल कोर्ट के समीप पटना के हाई प्रोफाइल थाने में घुस कर थानाध्यक्ष सबीह उल हक और सभी पुलिस वालों के सामने एक पूर्व एमएलसी का बेटा पटना के सदर डीएसपी अशोक कुमार सिंह को ऑन ड्यूटी कॉलर पकड़कर पीट देता है और उसका बाप पुलिस वाले की वर्दी उतरवा लेने की धमकी दे देता है। और उससे भी बड़ी शर्म की बात की उसी थाने का अनुसंधानकर्ता पुलिसकर्मी प्रमोद कुमार द्वारा उक्त डीएसपी के कॉलर पकड़ने और उस पर ऑन ड्यूटी हाथ उठाने के मामले में केस डायरी लिखने में आरोपी पूर्व एमएलसी के बेटे असफर अहमद को मदद करते हुए साफ-साफ बचा लेता है अर्थात उसे जमानत दिलवा देता है। अब पटना पुलिस की इस क्रियाकलाप को क्या कहें पुलिस का अपराधियों से डर या फिर रिश्वतखोरी , यह तो पटना के एसएसपी मानव जीत सिंह ढिल्लों ही बताएंगे । खैर इस डायरी में आरोपी को मदद पहुंचाने वाले एसआई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है परंतु इस घटना ने पटना और बिहार के तमाम पुलिस अधिकारियों और पुलिस थानों पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है की बिहार के राजधानी में डीएसपी रैंक का अधिकारी सुरक्षित नहीं तो बिहार का आम आदमी अपराधियों से आखिर कब तक बचेगा।

बुजुर्ग दादी के साथ घर पर थी। इस दौरान दोपहर में घर में दो लोग चायपत्ती बेचने के बहाने आए किशोरी ने मना किया तो उनमें से एक व्यक्ति ने पानी पीने के लिए मांगा। जबतक लड़की उसे पानी लाकर देती तब तक दोनों अपराधी घर में जबरदस्ती घुस गए और लूट की घटना को अंजाम दिया।

✯ **बलात्कार :-**

☞ बेतिया में बकरी चराने गई नाबालिक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और बाद में आरोपियों ने उसे पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। मामला बेतिया के मझौलिया थाना इलाके का है। बताया जा रहा कि पीड़िता बकरी चराने गई थी। इस दौरान गांव के ही दो नाबालिग लड़कों ने उसे घेर लिया। वो जबरन बच्ची को सूनसान जगह पर

ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों के मुताबिक, नाबालिग बच्ची ने इसका विरोध किया तो उसे पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर हुए फरार आरोपियों ने वारदात के बाद पीड़िता के हाथ तोड़ दिए और आंख फोड़ने की कोशिश भी की। हमले के निशान सीधे तौर उसके आंखों पर भी दिख रहे हैं। पीडिघ्ता के परिजनों के मुताबिक, आरोपियों ने बच्ची को बकरी खरीदने के बहाने बात करने के लिए रोका था। इसी बीच उन्होंने उसे सूनसान जगह ले गए और फिर वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं घटना के आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, पीड़िता को अधमरा करने के बाद दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए। घटना के कुछ देर बाद बच्ची किसी तरह दर्द से कराहती हुई अपने परिजनों के पास पहुंची। वहां पहुंचकर पीडिघ्ता ने पूरी आपबीती रोते हुए बताई। तुरंत ही परिजन घटना की शिकायत लेकर थाने पहुंचे। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर, पीड़िता को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेतिया के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र वर्मा ने पुलिस कार्रवाई की जानकारी दी।

☞ बेतिया में सामूहिक दुष्कर्म का एक और मामला सामने आया जिसमें अपराधियों ने दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या का प्रयास भी किया। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय किशोरी से गांव के दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता सुबह करीब चार बजे घर से शौच करने सरेह में निकली थी। इसी दौरान उसके गांव के ही दो युवकों ने उसे पकड़ लिया और सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। किशोरी को मरा जान दोनों युवक फरार हो गए हैं। सरेह में अर्धनग्न और मरणासन्न स्थिति में पड़ी लड़की को देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस इलाज के लिए पीडिघ्ता को जीएमसीएच में भर्ती करा दी है। जहां उसका इलाज हो रहा है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी शुरू कर दी है। पीडिघ्ता की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल वह बोलने की स्थिति में नहीं है। हाथ से इशारा कर अपने साथ हुई दरिंदगी को बयां कर रही है। पुलिस अभी आरोपियों के नाम का पर्दाफाश नहीं कर रही है। पीडिघ्ता की मां ने बताया कि घर में शौचालय नहीं होने की वजह से लड़की सरेह में शौच करने गई थी। बाद में उसके साथ दुष्कर्म होने की सूचना मिली। इस बावत मुफस्सिल थानाध्यक्ष उग्रनाथ झा ने बताया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लड़की का इलाज कराया जा रहा है। स्वजन लड़की के साथ दुष्कर्म होने की बात बताए हैं। इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

☞ बिहार के अररिया में एक नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई. घटना अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के नारायणपुर की है जहां जिउतिया के मेले से नौ वर्षीय बच्ची लापता हो गयी थी. उसका शव सोमवार को घर के बगल के खेत से ही नग्न अवस्था में बरामद हुआ है। पीड़ित बच्ची के परिजनों का कहना है कि बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।

☞ बिहार के कटिहार जिले में नाबालिग से रेप के एक आरोपी को पेड़ से बांधकर इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। जिले के हसनगंज थाना क्षेत्र के एक युवक मोहम्मद सगीर के ऊपर एक नाबालिग से रेप का आरोप था। लोगों की भीड़ ने 28 साल के आरोपी को पकड़कर एक पेड़ से बांधा और उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसने दम तोड़ दिया।

☞ बिहार के बेगूसराय के सरकारी स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सफाई कर्मी ने टॉयलेट में रेप किया। बच्ची के पिता और चचेरा भाई शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई। ग्रामीणों के विरोध और चक्का जाम करने की वजह से पांच दिन बाद सामने आई। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि मध्याह्न भोजन के समय बच्ची टॉयलेट गई हुई थी, तभी स्कूल के सफाई कर्मी ने उसे वहां अकेला पाकर दरवाजा बंद कर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। स्कूल की अन्य छात्रा जब टॉयलेट की ओर आई तो दरवाजा लगा हुआ पाया। जोर-जोर से दरवाजे पर धक्का देने के बाद दुष्कर्मी ने पीड़िता को छोड़ दिया और खुद भी निकल कर भाग गया।

☞ बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक इंस्टिट्यूट संचालक द्वारा दो सगी बहनों को नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया गया। दोनों बहनें कोचिंग में दाखिले के लिए आई थी। कहा जाता है इसी दौरान इंस्टिट्यूट संचालक ने बहला-फुसलाकर दोनों बहनों को नशीला पदार्थ खिलाया और दुष्कर्म किया।

☞ बिहार के बिहटा थाने के एक गांव में हथियार के बल पर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बिहटा थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया

कानून के रक्षक ही कानून को दे रहे हैं चुनौती!

बिहार के पुलिस महकमे में एक बार फिर हड़कंप तब मच गई जब शराबबंदी कानून के पालन में शिथिलता बरतने के कारण अपने पद से हटाए गए और विभाग में विभिन्न अनियमितताओं के मुख्य आरोपी होने के साथ ही फरार चल रहे गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार ने अपने मित्र अभिषेक अग्रवाल को बिहार का नकली चीफ जस्टिस बनवाकर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल से फोन के माध्यम से अपने केस में पैरवी करवाई। अभिषेक अग्रवाल ने गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार की पैरवी के लिए एक बड़ी साजिश रची। इस साजिश के तहत खुद अभिषेक अग्रवाल ने पटना हाईकोर्ट के एक सीनियर जज की फेक आईडीआदित्य कुमार के केस को जल्द खत्म करने और पूर्णिया का एसपी बनवाने का दबाव डीजीपी पर बनाया। अब बड़े साहब इतना डर गए कि आनन फानन में छुट्टी पर दूसरे राज्य में गए और जांच रिपोर्ट मे मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताते हुए रिपोर्ट कोर्ट मे जमा कराया। पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार को इस मामले मे क्लीन चीट दे दिया गया। लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय की नजर पड़ी और मामले की जांच ईओयू और साइबर सेल को दी गई। ईओयू की टीम ने अभिषेक को धर दबोचा। कई सिम कार्ड और मोबाईल फोन मिले है। वहीं दूसरी तरफ आय से 65% से अधिक संपत्ति रखने वाले पूर्णिया के पूर्व एसपी दयाशंकर के खिलाफ भी रोजाना बड़े खुलासे हो रहे हैं पूर्णिया के एसपी

दयाशंकर ने लुटेरों का गिरोह बना रखा था। गिरोह में सदर थाना, पूर्णिया के थानेदार संजय सिंह, एसपी का रीडर नीरज कुमार सिंह, सिपाही (टेलीफोन ड्यूटी) सावन कुमार और बिल्डर संजीव कुमार शामिल थे। गिरोह के सरगना खुद एसपी दयाशंकर थे। इसके पहले मगध प्रक्षेत्र के आईजी अमित लोढ़ा और गया के डीएम अभिषेक कुमार पर भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। यह सब घटना उस समय हो रही है जब लगभग दो दशकों से बिहार की राजनीति की धुरी और मुख्य चेहरा रहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश भर में उनके द्वारा बिहार में बनाएं नीतीश मॉडल की चर्चा घूम घूम कर कर रहे हैं और उनके नेता और कार्यकर्ता उन्हें प्रधानमंत्री पद के विपक्ष का उम्मीदवार बता रहे हैं लेकिन आज बिहार का हर आम आदमी पुलिस को संदेह भरी नजरों से देख रहा है और कह रहा है की जब कानून के रक्षक ही कानून को चुनौती दे रहे हैं तो बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था बिहार के बड़े अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर लगाम कैसे लगाएगी।

है। महिला ने पुलिस को दिए आवेदन में 4 लोगों को नामजद किया है।पीड़ित महिला शौच के लिए अपने घर से देर रात बाहर निकली थी। कुछ ही देर बाद कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया और उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। इसके बाद चारों आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से गैंग रेप किया। इसके बाद आरोपियों ने मुंह न खोलने की धमकी दी और फरार हो गए।

☞ बिहार के बांका में नाबालिग लड़की से ना सिर्फ रेप हुआ है बल्कि इस घटना के बाद उसके पिता ने सदमे में दम तोड़ दिया। मामला जिले के रजौन प्रखंड के एक गांव का है. गांव के ही करीब 25 वर्षीय एक युवक ने मुंह में जबरदस्ती कपड़ा ठूंस कर नाबालिग से रेप किया. युवक मुंहबोला चाचा लगता है। इस घटना को लेकर पीड़िता की मां के अलावा चाचा सहित सगे संबंधी और ग्रामीण गुरुवार को रजौन थाने पहुंच गए. रेप करने वाले युवक को फांसी की सजा दिलाने की मांग करने लगे. लड़की से रेप और पिता की मौत के बाद एक तरफ परिवार होश खो बैठा है वहीं दूसरी ओर बलात्कारी के परिजन पीड़िता परिवार को ही केस उठाने की धमकी दे रहे हैं।

☞ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिले नालंदा में रिश्तों के कलंकित होने का मामला सामने आया है। यहां दो अलग-अलग घटनाओं में अपनों ने ही अपनों की इज्जत पर डाका डाला. यह दोनों वारदात दीपनगर थाना क्षेत्र की है. पहली घटना में एक चाचा ने अपनी नाबालिग भतीजी के साथ बलात्कार किया. तो वहीं दूसरी घटना में एक दोस्त ने अपने दोस्त की पत्नी के साथ रेप बलात्कार किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मामलों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है दीपनगर थाना क्षेत्र के कोरई गांव के निवासी पप्पू कुमार ने अपनी नाबालिग भतीजी को राजगीर के एक होटल में ले जाकर उससे बलात्कार किया. इतना ही नहीं रेप के बाद आरोपी ने पीड़िता की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना ली जिसे उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दूसरी घटना भी इसी थाना क्षेत्र के एक गांव की है, यहां सोनू नाम के युवक ने अपने दोस्त को काम पर लगाया था। दोस्त कामकाज और कमाने के लिए तमिलनाडु चला गया तो सोनू मौका देखकर उसके घर आ धमका और उसकी पत्नी के साथ रेप किया. इस दौरान पीड़िता के विरोध करने पर सोनू ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर दीपनगर थाना अध्यक्ष मोम्मद मुश्ताक ने तत्काल

कार्रवाई करते हुए रेपिस्ट सोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।

☞ बिहार के राजधानी पटना से सटे नौबतपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला ताजा मामला सामने आया है। जब छात्रा कोचिंग के लिए अपने घर से निकली तभी उसका चचेरा भाई भी उसके पीछे-पीछे निकला और अपने एक दोस्त को भी बुला लिया. जैसे ही छात्रा सुनसान जगह पर पहुंची तो पीछे से आ रहा उसका भाई और उसके दोस्त ने उसे रास्ते में रोक लिया और जबरन उठाकर बगीचे की ओर ले गया. जहां उसके चचेरे भाई और उसके दोस्त ने छात्रा के एक-एक कपड़े उतारे और दरिंदगी को अंजाम देते हुए अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया. पीड़िता के अनुसार, वह अपने घर से नौबतपुर कोचिंग के लिए निकली थी. अपने गांव से लगभग 600 मीटर की दूरी पर आगे अजवां एवं बाला ठाकुर गांव के बीच स्थित फोनू बाबू के बगीचा के पास पहुंची तभी उसके चचेरा भाई अपने एक दोस्त के साथ उसके पास आया. पहले रास्ता रोका, और इसके बाद दोनों मिलकर जबरदस्ती करने लगा. पीड़िता ने बताया कि उसके शोर मचाने पर भी कोई नहीं आया क्योंकि रास्ता सुनसान था. इसके बाद भाई ने मुंह बंद कर दिया तथा अपने दोस्त के साथ उठाकर बगीचा में ले गया. इसके बाद दोनों ने नग्न कर बारी ख्र बारी से बलात्कार किया. रेप करने के दौरान दोनों ने एक दूसरे का वीडियो बनाया. पीड़िता ने बताया कि उसके चीखने-चिल्लाने के बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे. इस दौरान उसको अर्धनग्न अवस्था में छोड़कर आरोपी फरार हो गए. लोगों ने उसी हालत में किसी तरह घर पहुंचाया. घटना के बाद जब पीड़िता ने अपने घर वाले को पूरी कहानी बताई तो लड़के के परिजनों ने युवती और उनके माता पिता को वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी.

बिहार में बढ़ते क्राइम को देखते हुए डीजीपी एसके सिंघल पटना जिले के क्राइम कंट्रोल व लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करने के लिए एसएसपी ऑफिस पहुंच गये। डीजीपी ने संबंधित डीएसपी और थाना प्रभारी को निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि अगर क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ और लंबित पड़े केसों का निष्पादन नहीं हुआ तो उन्हें पटना जिले से बाहर भेज दिया जायेगा। बता दे कि चार घंटे की मैराथन बैठक में डीजीपी ने पाया कि जिले के कई थानों में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है और अनुमंडल स्तर पर कई केस लंबित हैं. इस पूरे मामले पर डीजीपी ने यहां तक कहा कि अगर कोई मदद चाहिए तो हम करने को तैयार है, लेकिन उन्हें बेहतर काम करना होगा. इसके साथ ही बैठक में उन्होंने वरीय पुलिस अधिकारियों एडीजी, आइजी, डीआइजी और एसएसपी को टास्क सौंपा और उन्हें अपने अनुभवों को अधीनस्थों से शेयर करने का निर्देश दिया. इसके ही उनकी समस्याओं और कमियों की पहचान कर शॉर्टआउट करने को भी कहा। डीजीपी ने हर जिलों में जाकर थाने का निरीक्षण करने और सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक करने का उद्देश्य बताते हुए कि इसका सबसे बड़ा मकसद अधिकारी से लेकर जवान तक की एक-एक बातों को सुनना और उनकी तमाम समस्याओं को हल करना है. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को भी लगातार मॉनीटरिंग करने को कहा गया है ताकि बेहतर पुलिसिंग हो सके. डीजीपी के साथ बैठक में एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार, रेंज आइजी राकेश राठी, एसएसपी डॉ मानवजीत सिंह ढिल्लो, सभी सिटी एसपी, डीएसपी व थानाध्यक्ष मौजूद थे। इधर, डीजीपी के जाने के बाद उनके दिये गये निर्देश को अमलीजामा पहनाने के लिए एसएसपी डॉ मानवजीत सिंह ढिल्लो ने सभी सिटी एसपी, डीएसपी व थानाध्यक्ष के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने उन थानाध्यक्षों को फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, वारंट का निष्पादन करने का निर्देश दिया, जहां अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है. सूत्रों का कहना है कि अधिकांश पटना सिटी इलाके के थाने हैं, जहां हाल के दिनों में अपराध की घटनाएं अधिक हुई हैं। गौरतलब है कि एडीजीपी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार बदलने के बाद अपराध बढ़ने के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बिहार में अगस्त में बनी नयी सरकार (महागठबंधन) के कार्यकाल में अपराध कम हुआ है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि हत्या, लूट, बलात्कार आदि संगीन वारदातों में शामिल अपराधियों पर कार्रवाई का ग्राफ महागठबंधन सरकार के गठन के एक महीने के अंदर 38 फीसदी बढ़ गया है। उनसे पूछा गया था कि क्या नयी सरकार के बनने के बाद बिहार में अपराध बढ़ा है? अपनी बात की पुष्टि करने के लिए जितेंद्र सिंह गंगवार ने समय-समय पर मुख्यालय तथा एनसीआरबी द्वारा जारी ताजा आंकड़ों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि हत्या, पुलिस पर हमला, हत्या का प्रयास, दलित उत्पीड़न एवं विशेष कांडों में वज्र टीम द्वारा जनवरी से जुलाई तक 41 हजार 983 अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी, यानी हर महीने 5997 अपराधी पकड़े गये। वहीं, अगस्त में 8301 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. इससे प्रमाणित होता है कि अगस्त में 38 फीसदी अधिक अपराधी पकड़े गये. इसके अलावा पूरे राज्य में जुलाई तक एक लाख 57 हजार 735 अपराधी जिला-थाना पुलिस द्वारा पकड़े गये. इनमें 119 नक्सली और 4980 हार्डकोर अपराधी हैं। बिहार में अपराध का ग्राफ गिरा है। एनसीआरबी की रिपोर्टके अनुसार अपराध के मामले में बिहार 24वें स्थान पर है। बिहार में अपराध की दर एक लाख आबादी पर 228 है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार 26वें स्थान पर है. पॉक्सो एक्ट के मामले

जे.एस. गंगवार

नीतीश कुमार

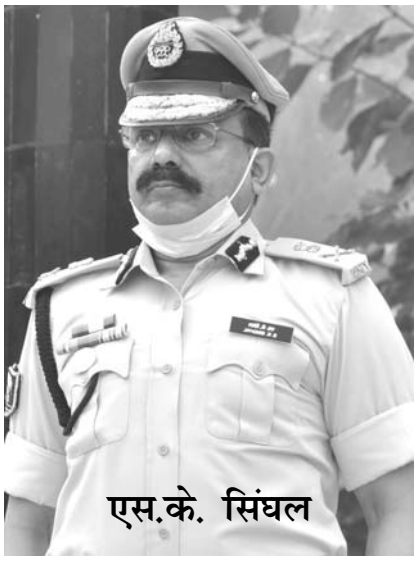
एस.के. सिंघल

में कमी आयी है. हत्या और अपहरण के मामले में भी कमी आयी है। जितेंद्र सिंह गंगवार का कहना है कि वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध शीर्ष में राष्ट्रीय औसत अपराध दर 64.5 (प्रति एक लाख) है, जबकि इसी वर्ष बिहार में महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर 30.2 है, जो कि राष्ट्रीय औसत अपराध दर के आधे से भी कम है. बिहार में महिलाओं के विरुद्ध कुल दर्ज कांडों की तुलना अन्य राज्यों से करें, तो बिहार का स्थान नौवां है. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, ओडिसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं असम महिलाओं के विरुद्ध प्रतिवेदित अपराध में बिहार से ऊपर हैं। एडीजीपी ने बताया कि पुलिस-सरकारी कर्मचारी पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोगों में यदि गुस्सा है, तो वह कानून के दायरे में प्रकट करें। शारीरिक रूप से हिंसा करेंगे, तो गैर जमानती धाराओं में कांड दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी। जुलाई तक 2394 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अगस्त में ही 339 पकड़े गये हैं।

गौरतलब है कि डीजीपी से बिहार में बढ़ते अपराध पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले बिहार में अपराध घटे हैं. ये हम नहीं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट कह रही है. हम सिर्फ तथ्यों की बात ही करते हैं. तथ्य और आंकड़े ऐसे किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं रखती है कि अपराध बहुत बढ़े हैं। डीजीपी ने आगे कहा, बिहार की जिस 20 मामलों में एनसीआरबी की रैंकिंग है, उसमें एक-दो मामलों को छोड़ दिया जाए तो अपराधों में कमी आई है। ये बिहार पुलिस के मेहनत का नतीजा है। इस साल भी हमारी पुलिस आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए काम कर रही है. डीजीपी सिंघल ने कहा कि शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है. इस मामलें में बड़े-बड़े लोग शामिल हैं. उनको पकड़ कर अवैध रूप से शराब को लाने से रोका जाएगा. इस कड़ी में इस साल बंगाल, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से 62 बड़े-बड़े कारोबारियों को पकड़ा गया है. इससे पहले एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने भी कहा था कि प्रदेश में अपराध की दर में कमी आई है। उन्होंने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि राज्य में 2021 के मुकाबले हत्या की वारदात में काफी कमी आई है। 2019 में मर्डर के जहां 3138 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2020 में यह आंकड़ा घटकर 3150 और 2021 में 2279 पर पहुंच गया. गंगवार ने बताया कि रेप के मामलों में भी काफी कमी देखने को मिली है। 2019 के मुकाबले 2021 में रेप के महज 786 मामले सामने हैं. उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार का अन्य प्रदेशों की तुलना में 24वां स्थान आता है. जितेंद्र गंगवार ने बताया कि 112 नंबर लॉन्च होने से अपराध कंट्रोल में है. साथ ही ऑपरेशन प्रहार भी अपराध रोकने में काफी कारगर साबित हो रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य में लागातार पुलिस बलों को बढ़ाया जा रहा है. नई-नई भर्तियां हो रही हैं। हर थान को दो-दो गाड़ियां दी गई हैं. किसी थाने में तो इसकी संख्या ज्यादा है. उन्होंने यह साफ कर दिया है कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में अपराध की दरों में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के हर जिले में लगातार सघन छापेमारी और गस्ती के कारण अपराध के दरों में गिरावट आई है।

भले ही बिहार पुलिस मुख्यालय के बड़े अधिकारी इस बात से मना करें कि बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है लेकिन बिहार के मुखिया और लगभग 17 सालों से बिहार के प्रशासन को अपने हाथ में रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पिछले महीने अपने सीएम आवास पर अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग करके यह बता दिया बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अपराध और अपराधियों में इजाफा हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति पर सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री नीतीश ने बैठक में डीजीपी समेत आला पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अपराध को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। कार्रवाई की सूचना रोजाना मीडिया को दी जाए। साथ ही जमीन विवाद के मसले स्थानीय अधिकारी हल करें। क्योंकि बिहार में भूमि विवाद के कारण 60 फीसदी हत्याएं होती हैं। श्री नीतीश कुमार ने कहा कि डीएम और एसपी को अपने अधिकार क्षेत्र में भूमि संबंधी विवादों को हल करने के लिए महीने में एक बार संयुक्त बैठक करनी चाहिए। इसी तरह, उप-मंडल अधिकारी (एसडीओ) और उप मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) एक समान संयुक्त बैठक करेंगे। उपमंडल स्तर पखवाड़े में एक बार, जबकि अंचल कार्यालय और थाना प्रभारी सप्ताह में एक बार। सीएम ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वह अपराधों पर नियंत्रण में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अपराधों की घटनाओं में जांच की गति में तेजी लाने और शामिल व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए समय पर जांच पूरी करने को कहा। नीतीश ने सभी जिलों में रात्रि गश्त की व्यवस्था को मजबूत करने के भी आदेश दिए. उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कनिष्ठ अधिकारियों और आरक्षकों द्वारा रात्रि गश्त और पैदल गश्त की नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने बिहार में अपराध कम करने के लिए राज्य के 11 जिलों के लिए ग्रामीण एसपी के पद का सृजन किया।

इसके अलावा 40 डीएसपी साइबर क्राइम के पद का भी सृजन किया। बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के 2 दिन बाद ही पुलिस अधिकारियों के बदल गए सुर। बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री की बैठक के पहले जहां डीजीपी बिहार और एडीजी मुख्यालय बिहार में अपराध कम होने और अपराधियों में बिहार पुलिस के प्रति बढ़ रहे डर के कसीदे पढ़ रहे थे। परंतु बैठक में नीतीश कुमार के द्वारा अधिकारियों की खिंचाई के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने माना कि बिहार में मौजूदा वक्त में लगभग 3 लाख 67 हजार कांड लंबित हैं. जिस को जल्द से जल्द अनुसंधान पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इन कांडों को अनुसंधान करने को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने चुनौतिपूर्ण लिया है. एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार कहना है कि इन कांडों को जल्द से जल्द अनुसंधान पूरा करने को लेकर दो तरह की कमेटी बनाई गई है. पहला जिला स्तरीय कमेटी और दूसरा राज्य स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जो हर 15 दिन पर इन लंबित कांडों का अनुसरण कर जल्द से जल्द निपटारा करेगी। जितेंद्र सिंह ने बताया कि इन टीम के द्वारा यह पता किया जाएगा कि आखिर किन कारणों से अनुसंधान में कठिनाइयां आती है. जिस वजह से समय पर अनुसंधान पूरा नहीं हो पाता है. अक्सर देखने को मिलता है कि कुर्की मिलने में दिक्कत, इंजरी रिपोर्ट मिलने में दिक्कत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने में दिक्कत के अलावे कई तरह की मुश्किल सामने आती हैं और इसे जल्द से जल्द कैसे निपटाया जाए. इन सभी विषयों पर हर पल हर दिन पर बैठक की जाएगी। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक उसी प्रकार एफआईआर दर्ज होने में भी वृद्धि हो रही है। पहले जहां दो लाख से कम एफआईआर दर्ज हुआ करता था, वह बढ़कर अब ढाई से तीन लाख पहुंच गया है अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) जितेंद्र सिंह गंगवार ने एक ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर लोग हैरान हैं। दरअसल, गंगवार ने कहा कि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 31 दिसंबर तक 270402 अपराधियों की गिरफ्तारी की जायेगी। वहीं करीब तीस हजार वाहन जब्त होने की उम्मीद है।

पिछले दिनों बिहार में इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएं घटी किन्तु बिहार पुलिस को लूट और बलात्कार बस एक छोटा अपराध दिखाई पड़ता है क्योंकि अगर बिहार पुलिस बिहार में तेजी से बढ़ रहे लूट छिनैती और बलात्कार की घटना को संजीदगी और गंभीरता से लेती तो आए दिन इस प्रकार की घटना देखने को नहीं मिलती। सच के पाठकों से एक निवेदन है कि दिवाली आने से पहले अपने घर के तख्तों अलमारियों में रखे हुए अखबारों के पुराने पन्ने निकालकर देख लीजिए आपको ऐसा कोई दिन शायद ही मिले जिस दिन लूट हत्या या बलात्कार की घटना बिहार में ना घटी हो। आज अगर कोई महिला या कोई बुजुर्ग बैंक से पैसे निकालने जाता है, अपने साथ किसी न किसी को लेकर निकलता है, क्योंकि उसे डर है कि जब पैसे निकाल कर लौटेगा तो अपराधी उनका पैसा छीन लेंगे या महिला है तो उनका बलात्कार कर देंगे। अब आप ही लोग बताइए किस सुशासन की सरकार दिनदहाड़े किसी का पैसे से भरा बैग छीन लिया जाए वह या किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाए बलात्कार किया जाए तो इस प्रकार के शासन को क्या कहेंगे, साथ ही बिहार पुलिस को और बिहार के गृह मंत्री मुख्यमंत्री सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी को कौन सी उपमा और कौन सी संज्ञा दी जाए या तो हिंदी के कोई बहुत बड़े विद्वान ही बता सकते हैं। परंतु बिहार के डीजीपी एसके सिंघल साहब (जो कभी मीडिया को साक्षात्कार नहीं देते हैं) और पटना के एसएसपी मानव जीत साहब आपके मुख्यालय से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर बिहटा थाना आता है और वहां से 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर अमनाबाद दियारा क्षेत्र आता है और क्षेत्र में रात के समय लगभग 6 से 8 घंटे दो हजार राउंड गोलियां चलती है कई लाशें से गिर जाती हैं और आपके पुलिस को इसकी भनक तक नहीं मिल पाती है धन्य हो आपकी पुलिस प्रशासन का आपके गुप्तचर प्रणाली का, आपके नेतृत्व कौशल का और आपके पब्लिक फ्रेंडली होने का। क्योंकि आप और आपके प्रशासन के यही उपरोक्त गुण हैं जिसके वजह से आप अपराधियों की, गोलीबाजो की। बालू माफियाओं की सूचना ग्रामीणों द्वारा मिलने के बाद भी मौके पर पहुंच कर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं। शुक्र है भारत सरकार का कि आपकी तरह जवान हमारे बॉर्डर पर नहीं दिये हैं क्योंकि अगर आपकी तरह जवान बॉर्डर पर रहते तो भारत के हर एक इंसान को अपने घर की पहरेदारी खुद करनी होती। खैर, इन शब्दों से तो आप पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं परंतु आपको और आप की पूरी लचर प्रशासनिक व्यवस्था को मंथन करना चाहिए कि आखिर किस दबाव में किस लाचारी और बेबसी में आप अपराधियों की सूचना पाकर भी उन्हें पकड़ने नहीं जाते हैं और घटना के बाद भी मुख्य आरोपियों को पकड़ने में आपके हाथ केवल खाली खोखे और कुछ लाशे ही बची मिलती है। क्यों थाने से कुछ दूरी पर बार-बार ऐसी घटनाएं होने के बाद भी इन घटनाओं पर आप ना लगाम लगा पा रहे हैं और ना ही दोषियों को पकड़ पा रहे हैं? इस स्थिति में बिहार की जनता आपको क्या कहेगी-थका हुआ, हारा हुआ, लाचार और बेबस बिहार पुलिस। ●

बाबा तिलका मांझी केवल सच सम्मान-2022 से सम्मानित हुए पत्रकार, पुलिसकर्मी एवं समाजसेवी

● अभिषेक मिश्रा/ओम प्रकाश

दिनांक 18 सितम्बर, 2022 को झारखण्ड की राजधानी राँची के होटवार स्थित **राज्य संग्रहालय** में **''बाबा तिलका मांझी''** का प्रथम स्वाधिनता में संघर्ष और बलिदान पर **श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट** और **केवल सच राष्ट्रीय पत्रिका** के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट के सभी सदस्यों के साथ ही केवल सच पत्रिका के बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित झारखण्ड के पत्रकार सम्मिलित हुए। 'बाबा तिलका मांझी' का देश एवं खासकर झारखण्ड प्रदेश के लिए क्या महत्व है, यह

न्यायमूर्ति डॉ० एस.एन. पाठक

किसी से छुपा नहीं है। ''बाबा तिलका मांझी' के संघर्ष पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौरपर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉ० एस. एन. पाठक मौजूद रहे। इनके अलावे विशिष्ट अतिथियों में श्री रामटहल चौधरी (पूर्व सांसद, राँची), श्री संजीव विजयवर्गीय (उप महापौर, राँची नगर निगम),, श्री धर्मेन्द्र तिवारी (केन्द्रीय अध्यक्ष (भारतीय जनतंत्र मोर्चा), श्री बाल व्यास (धर्मरक्षक वृंदावन) एवं श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट की अध्यक्षा श्रीमती सुषमा मिश्रा एवं कार्यक्रम संयोजक श्री ब्रजेश मिश्र मौजूद रहे। अंग्रेजों के साथ उनके संघर्ष की परिचर्चा को लेकर झारखण्ड एवं बिहार के कई मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों ने उक्त कार्यक्रम में सम्मिलत होकर ''बाबा तिलका

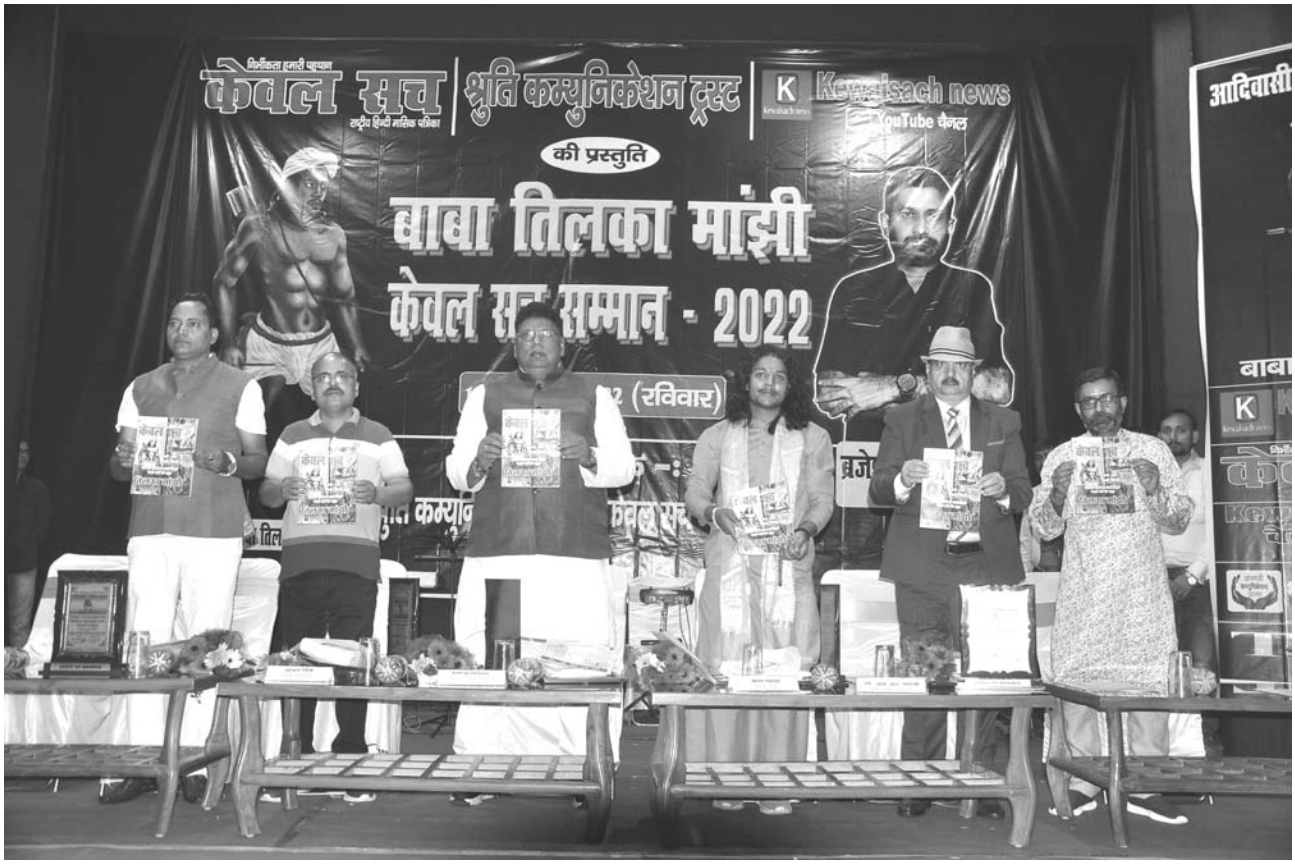

रामटहल चौधरी
पूर्व सांसद, रांची

मांझी' के सम्मान में अपने विचारों से चार चांद लगाने का काम किया।

श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट और केवल सच पत्रिका द्वारा 'बाबा तिलका मांझी' पर यह कार्यक्रम की शुरूआत सर्वप्रथम गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्जवलित करके किया गया। इसके बाद 'बाबा तिलका मांझी' की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया गया। वही देश की स्वाधिनता एवं प्रदेश के सम्मान बढ़ाने वाले झारखण्ड के खास व्यक्तित्व पर प्रकाशित केवल सच पत्रिका का विशेषांक का विमोचन कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य अतिथियों के द्वारा किया गया। इसके साथ ही उपस्थिति गणमान्य अतिथियों के करकमलो से झारखण्ड प्रदेश में केवल सच पत्रिका के जुझारू, निर्भीक एवं कर्मठ पत्रकारों, पुलिसकर्मियों एवं समाजसेवियों को **''तिलका मांझी केवल सच सम्मान-2022'** से सम्मानित भी किया गया।

उक्त कार्यक्रम को लेकर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति डॉ० एस.एन. पाठक ने कहा

संजीव विजयवर्गीय
उपमहापौर, रांची

कि केवल सच पत्रिका अपने नाम के अनुरूप कार्य कर रही है। आज के दिन 'बाबा तिलका मांझी' के बलिदान और संघर्ष के ऊपर केवल सच एवं श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट ने कार्यक्रम कराया है, इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि पत्रकार बंधु भी परमेश्वर का एक रूप है। उन्होंने कहा कि हमलोग नौकरी नहीं करते, हम मिशन पर हैं। भगवान ने हमें भेजा है उनका कार्य करने के लिए। न्याय भगवान से मिलता है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारिता अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पूरे देश समाज और विश्व के लिए करना चाहिए और केवल सच के पत्रकार ऐसा कर रहे हैं। श्री पाठक ने आगे कहा कि तिलका मांझी ने अंग्रेजों के सामने कभी आत्मसर्म्पण नहीं किया। उन्होंने 1857 के स्वंत्रता संग्राम के 80 साल पहले आदिवासियों की भूमि से जंग की चिंगारी फूंकी। उन्होंने आदिवासियों को तीर-धनुष का प्रशिक्षण दिया और ब्रिटीश कंपनी से बहुत सारा धन और अनाज लूटकर किसानों में आदिवासियों में बांट दिया। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केन्द्रीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र तिवारी ने कहा कि श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट और केवल सच को तिलका मांझी कार्यक्रम के लिए दिल से ध न्यवाद देता हूं। तिलका मांझी झारखण्ड के गरीबों के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। वे

बाल व्यास
धर्मरक्षक, वृंदावन

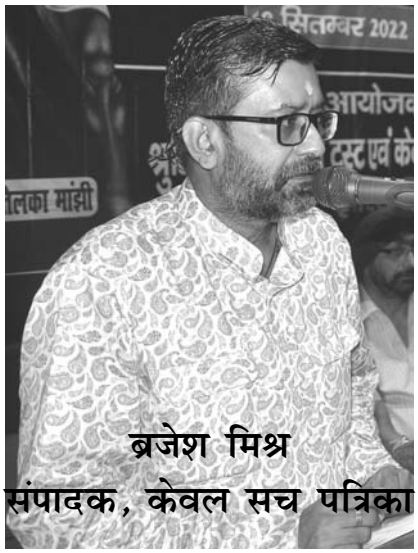

ब्रजेश मिश्र
संपादक, केवल सच पत्रिका

जन-जन के नेता थे। इनके लाल-लाल आंखों को देखकर अंग्रेजों के छक्के छूट जाते थे। अगले वक्ता में कथावाचक व्यासजी ने कार्यक्रम की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से बात पहुंचायी जानी चाहिए की गौ माता को वैक्सिन लगे और उन्हें लंबी बीमारी से मुक्ति मिले। उन्होंने तिलका मांझी जी के बारे में कहा कि वे लड़े थे इसलिए कि हमारी संस्कृति और हमारी अस्मिता की रक्षा हो सके। विशिष्ट अतिथि रांची के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने कहा कि तिलका मांझी प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हें पाठ्य-पुस्तक में शामिल किये जाये। उन्होंने कहा कि जब तक धरती, सूरज-चांद रहेगा, तब तक इनका नाम रहेगा। इन्होने केवल सच पत्रिका को बधाई देते हुए कहा कि पत्रिका आगे निरंतर बढ़ती रहे और इस पत्रिका से देश और समाज को केवल सच मिले। आगे वक्ता में रांची के उपमेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि तिलका मांझी स्वतंत्रता संग्राम के पहले सेनानी थे। इनको भारतीय इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया। रांची एक अनप्लांड सिटी है। हमलोग 15 वर्षों से इसको ठीक करने में लगे हुए हैं। आपलोगों के सहयोग से रांची नगर निगम स्वच्छ एवं सुंदर होगा। श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट की अध्यक्षा सुषमा मिश्रा ने कहा कि हमलोग बहुत जल्द रांची में वृद्धा आश्रम बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

कार्यक्रम के समापन पर अध्यक्षता करते हुए कार्यक्रम संयोजक ब्रजेश मिश्र ने

धर्मेन्द्र तिवारी
केन्द्रीय अध्यक्ष, भाजमो

जरनैल सिंह, व्यवसायी

कहा कि विश्वकर्मा पूजा और जिउतिया पर्व के बावजूद भी सभागार में देश भर से आये हुए केवल सच के पत्रकारों, शिक्षाविदों, अधिकारियों एवं तमाम समाजिक विभूतियों को बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बहुत ही हर्ष की बात है कि इस कार्यक्रम स्थल में लोकतंत्र के चारों स्तंभ मौजूद हैं। श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट और केवल सच लगातार 16 वर्षों से देश में योगदान देने वाले महापुरूषों के ऊपर कार्यक्रम करती आयी है और आज हमलोग बाबा तिलका मांझी जी के बलिदान और संघर्ष पर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमलोग ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसे देखकर केन्द्र और राज्य की सरकारे भी उसे अपनाये। हमलोग शुद्ध समाजिक कार्यक्रम करते हैं। ●